"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 539] रायपुर, बुधवार, दिनांक 20 अक्टूबर 2021 — आश्विन 28, शक 1943

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-33/दो-गृह/न. से./2019. — छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 (क्र. 19 सन् 2018) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, संगठन, सेवा शर्तों, जुर्माना, कर और अन्य प्रभारों के उदग्रहण तथा उससे संबंधित विषयों के विनियमन के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2021 कहलायेंगे ।
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 (क्र. 19 सन् 2018);
(ख) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
(ग) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(घ) **"धारा"** अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
(ङ) **"उप-धारा"** अभिप्रेत है अधिनियम की उप-धारा ।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है ।

अध्याय–दो

संगठन

3. **अग्निशमन संभागों का गठन.**– राज्य शासन, अग्नि की स्थिति से संबंधित अत्यावश्यकता के अनुसार, राज्य में अग्निशमन संभागों का, एक पृथक अधिसूचना द्वारा, गठन कर सकेगा।

4. **अग्निशमन जिलों का गठन.** –कार्य की आवश्यकतानुसार, अधिनियम की धारा 9 के प्रयोजनों के लिये, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक राजस्व जिले में अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शासन द्वारा सृजित किसी अन्य जिले में, एक अग्निशमन जिले का गठन किया जा सकेगा।

5. **अग्निशमन उप–संभागों का गठन.**– (1) अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कार्य की आवश्यकतानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक राजस्व उप–संभाग में एक अग्निशमन उप–संभाग होगा।

(2) प्रत्येक अग्निशमन उप–संभाग में ऐसे अग्निशमन केन्द्र होंगे, जैसा कि राज्य शासन बाद में विनिर्दिष्ट करे।

(3) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र ''स्टेशन अग्निशमन अधिकारी'' के प्रभार में होंगे, जिनके कर्त्तव्य के निर्वहन करने में एक या अधिक उप–अधिकारी सहायता करेंगे।

6. **सेवा का गठन.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का गठन किया जायेगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, शासन सेवा के लिए किसी भी व्यक्ति की, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी भी पद का मूल हैसियत में धारक हो, नियुक्ति कर सकता है:

परंतु यह कि सेवा के आरंभिक गठन के प्रयोजन हेतु किसी व्यक्ति को, जो मूल हैसियत में किसी पद का धारक हो, उन्हें उनके स्वीकृत वेतनमान में सेवा के संवर्ग में सम्मिलित नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया था, यदि वे इन नियमों के

अधीन पद को धारण करने हेतु पूर्णतः योग्य पाये जाते हैं, तो उन्हें इन नियमों के अधीन सेवा में नियुक्त समझा जाएगा, जब तक कि वे इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपना अन्यथा विकल्प न दे दें।

स्पष्टीकरणः– शब्द ''धारक'' से अभिप्रेत है कि कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन नियमित आधार पर उसके स्वीकृत वेतनमान में छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के संवर्ग में सम्मिलित किसी भी पद का धारक हो और उन व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं करेगा, जो पूर्व–संवर्ग/प्रतिनियुक्ति आधार अथवा तदर्थ आधार पर पद के धारक हों ।

7. **सेवा की संख्या–बल और संघटन.–** (1) संवर्ग के प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी संख्या–बल, और उनमें निहित पदों की प्रकृति का, समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारण किया जाएगा और इन नियमों में सेवा के आरंभिक गठन ऐसी होंगी, जैसा कि इन नियमों में संलग्न अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट है:

परंतु यह कि, शासन, विनिर्दिष्ट अवधि या प्रयोजन हेतु संवर्ग या सेवा में ऐसे अस्थायी पदों का सृजन कर सकेगा, जैसा कि वह समय–समय पर आवश्यक समझे।

(2) शासन द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों के अंतराल पर अथवा यथा आवश्यक किसी भी अंतराल में, सेवा के संवर्ग के संख्या–बल और संघटन का पुनरीक्षण किया जाएगा और इसमें ऐसा संशोधन किया जाएगा, जैसा कि वह उचित समझे।

8. **अग्निशमन केन्द्रों हेतु स्थान का निर्माण अथवा किराये पर लिया जाना.–** (1) महानिदेशक, उस स्थल की पहचान करेंगे, जहाँ अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना, अग्नि सुरक्षा सेवा के प्रदाय हेतु, युक्तियुक्त रुप से समुदाय के लिये लाभप्रद होगा।

(2) शासन के पूर्व अनुमोदन से, महानिदेशक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर, छत्तीसगढ़ के संबंधित नगरीय निकाय के मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसरण में, भूमि के प्रदाय हेतु स्थानीय प्राधिकरण को अपेक्षित करेगा।

(3) जहां स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई हो, वहां शासन, किसी भवन या परिसर को ऐसे किराए पर तथा ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर ले सकता है, जैसा कि दोनों पक्षों द्वारा सहमति से तय किया जाये।

(4) अग्निशमन केन्द्र का आकार या तो 3–खाँचो या 5–खाँचो वाला हो सकता है, जो संबंधित क्षेत्र में अग्नि के जोखिम पर निर्भर करेगा और इसे मॉडल प्लान, जैसा कि भारत की केन्द्र सरकार, अन्य सरकारों, या निजी स्थापनाओं के विशेषज्ञ संगठनों द्वारा सुझाए जाते हों, के अनुसार निर्मित किया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ उपलब्ध कराई गई अधोसंरचना मानक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है वहाँ महानिदेशक, आदर्श योजना (मॉडल प्लान) से अलग प्रकार के अग्निशमन केन्द्र के निर्माण पर भी विचार कर सकते हैं,

9. **अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए उपकरण और साधन सामग्रियां.**– (1) महानिदेशक, आपातकाल के समय प्रभावी और कुशल अनुक्रिया हेतु, उतनी संख्याओं में और ऐसे मानदण्डों, जो उस क्षेत्र विशेष में अग्नि के जोखिम तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बचाव, अग्निशमन, व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु उपकरण और साधन–सामग्रियों का अवधारण कर सकेंगे।

(2) शासन की पूर्व मंजूरी से, महानिदेशक, उप–नियम (1) के अधीन अवधारित उपकरण और साधन–सामग्रियों की उपाप्ति इस प्रकार से करेंगे कि प्रत्येक फायर डिवीजन, मध्यम श्रेणी की अग्नि आपदा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त रुप से सुसज्जित हो और उनके रख–रखाव तथा अनुरक्षण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे और यथा आवश्यकतानुसार, सेवा हेतु इनकी उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उपकरण और साधन–सामग्रियों का जीवन–काल, 'स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद', गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, अथवा इन प्रयोजनों के लिए शासन द्वारा सृजित किसी अन्य प्राधिकरण की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

अध्याय–तीन
स्थापना और प्रशासन

10. **अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में संगठनात्मक संरचना.**– अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं की संगठनात्मक संरचना, अनुसूची–दो में उल्लिखित है और "समादेश एवं नियंत्रण" अनुसूची के अनुसार होगा।

11. **अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में भर्ती.**– अधिनियम की धारा 7 (2) के अधीन अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों (रैंकों) की भर्ती, शासन द्वारा अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी।

12. **भर्ती हेतु योग्यताएं और पद्धति.**– (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी श्रेणी, वर्ग या ग्रेड में किसी भी पद पर नियुक्ति या पदोन्नति हेतु पात्र नहीं होगा, जब तक वह छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल (एस.डी.आर.एफ.) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में यथा–उद्धृत अर्हतायें धारण नहीं करता है और तत्समय प्रवृत्त नियमों तथा आदेशों में यथा उपबंधित भर्ती की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है।

(2) सेवा की किसी श्रेणी में प्रथम नियुक्ति निम्नानुसार की जा सकती है :–

(क) सीधी भर्ती द्वारा; अथवा

(ख) पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ग) आंशिक रुप से (क) द्वारा और आंशिक रुप से (ख) द्वारा, "छत्तीसगढ़ अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल (एस.डी.आर.एफ.) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम" में प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित अनुपात एवं प्रक्रिया के अनुसार :

परन्तु यह कि शासन के इस प्रयोजन हेतु जारी नियमों/आदेशों के अनुसार राजपत्रित अधिकारी के सीधी भर्ती के सभी पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से और अराजपत्रित अधिकारी की सीधी भर्ती के सभी पदों को विभागीय भर्ती समिति के माध्यम से भरी जाएगी।

(3) विभाग, राजपत्रित अधिकारियों की, सीधी भर्ती में तथा पदोन्नति कोटा की भर्ती से संबंधित उपलब्ध रिक्तियों को, लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट करेगा।

13. **नियुक्ति में आरक्षण.**– पदोन्नति तथा नियुक्तियां करते समय, ऐसे आरक्षण नियम, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति/पिछड़ा वर्गों या कोई अन्य वर्ग या श्रेणी, जो उन नियमों के अंतर्गत अधिकृत हो, के सदस्यों के लिए समय–समय पर जारी किए गए हों, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित हों, का पालन किया जाएगा।

14. **परिवीक्षा.**– (1)सीधी भर्ती द्वारा सेवा हेतु नियुक्त व्यक्ति, दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और संबंधित श्रेणी या वर्ग में उनका स्थायीकरण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी:

परंतु यह कि वह व्यक्ति, जो अराजपत्रित श्रेणी से राजपत्रित श्रेणी में पदोन्नत हुए हों, ऐसे प्रथम बार पदोन्नत होने के पश्चात् भी, दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

(2) इन नियमों के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्ति के वेतन का नियमितीकरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अथवा समय–समय पर जारी सामान्य नियमों के अनुसार किया जाये।

15. **अधिनियम की धारा 6 के अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं में वेतन एवं भत्ते.**– अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन और भत्ते, वेतन आयोग अथवा कोई अन्य प्राधिकारी, जो अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अधिकारियों और अन्य सदस्यों के वेतन एवं भत्ते को अवधारित करने हेतु शासन द्वारा नियुक्त हो, की अनुशंसाओं के अनुसार होगा।

16. **सहायक बल.**– सहायक बल का गठन अधिनियम के अनुसार किया जाएगा तथा ऐसे बल के सदस्यों को प्ररूप–ड में यथावर्णित नियुक्ति प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

17. **अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्ति प्रमाणपत्र.**– नियुक्ति का प्रमाणपत्र प्ररूप–क में महानिदेशक, अथवा महानिदेशक द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी, के मुहर और हस्ताक्षर के अधीन जारी किया जाएगा।

18. **पारितोषिक.**– (1) अग्निशमन सेवा के महानिदेशक, महानिरीक्षक, संचालक प्रशिक्षण केन्द्र, निदेशक प्रशिक्षण प्रचालन, जिला अग्निशमन अधिकारी, और सहायक संचालक (प्रशिक्षण केन्द्र), अनुसूची–चार के अधीन यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं तक किसी आम जनता को अथवा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों को प्रमाणपत्र के रूप में या नकद पुरुस्कार के रूप में या दोनों की मंजूरी प्रदान कर सकते है:

परन्तु यह कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों द्वारा उल्लेखनीय कार्य निष्पादन के अनुकरणीय मामलों को मान्यता प्रदान करने में अथवा अग्नि की दुर्घटना एवं बचाव के कार्य में किसी आम जनता द्वारा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा कर्मियों की सहायता के लिए, शासन, महानिदेशक की अनुशंसाओं पर, प्रत्येक प्रस्तुत प्रकरण में, बजट सीमा में पूर्ण शक्ति से पारितोषिक मंजूर कर सकता है।

(2) ऐसे पारितोषिक को मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा, उप–नियम (1) के अधीन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों को प्रदत्त पारितोषिक को, उनकी सेवा पुस्तिका में हरी स्याही से अभिलिखित किया जाएगा।

19. **प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा.**– प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि के दौरान समय–समय पर ऐसा प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा और परिवीक्षा या परीक्षण अवधि के दौरान, ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जैसा कि शासन विहित करे :

परन्तु यह कि शासन, ऐसे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को, इस प्रकार के प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा से पूर्णतः या आंशिक रुप से छूट दे सकेगा, जो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या ऐसी विभागीय परीक्षा दे चुके हैं, जिन्हें शासन द्वारा, इन नियमों के अधीन विहित विभागीय परीक्षा या प्रशिक्षण के समतुल्य घोषित किया गया है।

20. **बैठकों अथवा प्रदर्शन के प्रयोजन.–** अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का कोई भी सदस्य, किसी राजनैतिक प्रयोजनों के लिए अथवा किसी भी ऐसे उद्देश्यों के लिए, जो कि विहित किए जाएं, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा आयोजित किसी भी बैठक में न तो सम्मिलित होंगे और न ही संबोधित करेंगे और न ही किसी प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे।

21. **अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओ में श्रेणियों (रैंको) के बैज.–** अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में विभिन्न श्रेणियों (रैंको) के बैज, इन नियमों की अनुसूची–तीन के अनुसार होंगे।

22. **अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों की तैनाती तथा स्थानांतरण.–** (1) सामान्यतः तीन वर्षों में एक से अधिक बार स्थानांतरण का एक मात्र कारण जन सेवा का हित ही होगा।

(2) महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के किसी भी सदस्य का स्थानांतरण, दो वर्षों की अवधि के भीतर नहीं होगा।

(3) किसी भी अग्निशमन अधिकारी को, किसी भी अग्निशमन केन्द्र पर सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक अवधि तक नहीं रखा जाएगाः

परन्तु यह कि, विशेष दक्षता वाले अग्निशमन अधिकारियों के एक स्थान पर रूकने की अवधि, आवश्यकताओं के अनुसार, महानिदेशक अथवा प्रमुख सचिव (गृह), छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बढ़ाई जा सकेगी।

(4) सामान्यतः स्थानांतरण, प्रत्येक वर्ष मई और जून माह के मध्य किया जाएगा।

(5) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्य के अनुरोध के आधार पर किए गए स्थानांतरण की स्थिति में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(6) जब कोई स्टेशन ऑफिसर या सब–ऑफिसर का स्थानांतरण किया जाता है, तो एक चार्ज रिपोर्ट संबंधी प्रमाणपत्र, जिला अग्निशमन अधिकारी द्वारा महानिदेशक को भेजी जाएगी।

(7) जब कोई स्टेशन ऑफिसर किसी अग्निशमन केन्द्र का प्रभार सौपेंगे, तो वे अपने द्वारा अनुरक्षित सभी अभिलेख और संपत्ति को भारमुक्त करने वाले अधिकारी को सौंपेंगे। भारमुक्त करने वाला अधिकारी, इसकी पावती सम्यक् रुप से प्रदाय करेंगे।

(8) अग्निशमन केन्द्र में रखी गई शासकीय संपत्ति के पंजी (रजिस्टर) में, अग्निशमन केन्द्र में उपलब्ध संपत्तियों का अभिलेख रखा जाएगा और भारमुक्त करने वाला अधिकारी, तीस दिनों के भीतर, ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति का निरीक्षण कर, उन संपत्तियों की जांच करेंगे और किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, पाए जाने की स्थिति में इन्हें जिला अग्निशमन अधिकारी की जानकारी में लाएंगे, जिसके लिए भारमुक्त होने वाले अधिकारी को उत्तरदायी समझा जाएगा।

(9) जब भी कोई सब–ऑफिसर, स्टेशन का प्रभार सौपेंगे, तो वे भारमुक्त करने वाले अधिकारी को प्रभार–सूची सौपेंगे, जिसमें संपत्ति, पंजियों और स्टेशन ऑफिसर द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों का विवरण अंतर्विष्ट होगा। प्रभार लेते समय, भारमुक्त करने वाला अधिकारी, प्रभार–सूची में उल्लिखित सभी संपत्तियों, उपकरणों, साधन–सामग्रियों, अभिलेख और पंजियों का मिलान करेंगे और भारमुक्त होने वाले अधिकारी को पावती देंगे। यदि वह, उसे सौंपे गए मदों में किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या कमी पाते हैं, तो वह जिला अग्निशमन अधिकारी को विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अलावा, पंजी में उक्त दोष की प्रविष्टि करेंगे।

(10) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्य, जो अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से सेवानिवृत्ति, त्याग–पत्र, निष्कासन या बर्खास्तगी के फलस्वरुप, पृथक हो रहे हों, के वेतन और अन्य देयकों का भुगतान और समायोजन अंतिम रुप से नहीं किया जाएगा, जब तक कि सभी शासकीय संपत्तियों, अभिलेखों और पंजियों, जो उसकी अभिरक्षा में थी का उचित रुप से हिसाब नहीं कर लिया जाता और इन्हें उनके उत्तराधिकारी को सौंप नहीं दिया जाता।

23. **स्थानांतरण की शक्तियां.**– अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अग्निशमन अधिकारियों और अन्य सदस्यों के स्थानांतरण की शक्तियां, निम्नलिखित अधिकारियों में निहित रहेंगी :–

(क) महानिदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के स्टेशन ऑफिसर तथा समतुल्य श्रेणी का या उससे निम्न श्रेणी के कर्मियों का स्थानांतरण आदेश जारी कर सकते हैं।

(ख) महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों तथा जिला अग्निशमन अधिकारी तथा इनसे ऊपर की श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण का प्रस्ताव, छत्तीसगढ़ शासन को प्रेषित करेंगे तथा शासन इस हेतु ऐसे आदेश जारी करेगा, जैसा कि वह उचित समझें।

24. **अग्निशमन अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का लेखन.**– अग्निशमन अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का लेखन और अनुरक्षण, शासन द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

25. **अग्निशमन अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्य और दायित्व.**– (1) महानिदेशक द्वारा, उचित समय पर, राज्य सरकार के अनुमोदन से अग्निशमन सेवा नियमावली (मैन्युअल) तैयार किया जाएगा, जिसमें अग्निशमन सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्त्तव्य और दायित्व, विस्तृत रूप में विनिर्दिष्ट होंगे। उस दौरान सेवा के सदस्य, प्रासंगिक धाराओं/ नियमों अर्थात् अधिनियम की धारा 7 (1), 8, 9(5)(एक), 9(5)(दो), 10(2), 12, 15(3), 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, और 45 तथा "छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम के विनियमन के लिए नियम, 2021" के नियम क्रमांक 9, 19, 20, 22, 26, 32, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 57 एवं 58, समाविष्ट है किन्तु सीमित नहीं, के अनुसार, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन हेतु, अधिशासित होंगे।

(2) शासन के अनुमोदन से, महानिदेशक, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अग्निशमन अधिकारी या कर्मचारियों के कर्त्तव्यों और दायित्वों में वृद्धि या लोप या संशोधन कर सकते हैं, तथा ऐसा होने पर, तद्नुसार अग्निशमन सेवा नियमावली (मैन्युअल) में संशोधन किया गया माना जाएगा।

26. **अग्निशमन अधिकारियों अथवा अग्निशमन कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक या अन्य कार्रवाई.**– प्रत्येक अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन कर्मचारी, जो अपने कर्तव्य का उल्लघंन करते हैं अथवा अधिनियम के किसी प्रावधान या किसी नियम का या अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं, अथवा कायरतापूर्ण कार्य प्रदर्शित करते है या कायरतापूर्ण कार्य में लिप्त होते हैं अथवा बिना अनुमति के अपने पदीय कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं अथवा अवकाश की समाप्ति के बाद भी किसी समुचित कारण के बिना, अवकाश की समाप्ति के उपरांत, कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होते हैं अथवा, बिना किसी प्राधिकार के, अपने कर्त्तव्य के अतिरिक्त कहीं और नियोजित होते हैं, तो वह अनुशासन भंग करने के लिये, उनके विरूद्ध कार्यवाही के भागी होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 तथा सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अनुसार, इस नियम के उल्लंघन हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही सम्मिलित होगी।

अध्याय–चार
अग्निशमन कर और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण

27. **अधिनियम की धारा 26 के अधीन अग्निशमन कर के रूप में उद्ग्रहण हेतु सम्पत्ति कर पर अधिभार की दर.**–. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अनुरक्षण हेतु होने वाले प्रशासनिक व्ययों को दृष्टिगत् रखते हुए, भवनों या परिसरों के संबंध में, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सम्पत्ति कर पर, अधिभार की दर वैसी होगी, जैसा कि शासन अधिसूचित करे।

28. **कर निर्धारण की रीति.**– इसका निष्पादन छत्तीसगढ़ शासन के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

29. **अधिनियम की धारा 27 की उप–धारा (1) के अधीन अग्निशमन कर के संग्रहण की रीति.**– (1) प्रत्येक तिमाही में, स्थानीय प्राधिकारी से अग्निशमन कर के संग्रहण के विवरण की प्राप्ति पर, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संग्रहण प्रभार के रूप में, स्थानीय प्राधिकारी, संग्रहण के 1% की समतुल्य राशि को नामे जमा करेंगे।

(2) उप–नियम (1) के अधीन संग्रहण प्रभारों को, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के खाते के शीर्ष में जमा किया जाएगा, जबकि शेष अर्थात् संग्रहण के 99% का भुगतान, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को पूर्व–लेखा–परीक्षण काउंटर पर, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा द्वारा देयक (बिल) की प्रस्तुति पर किया जाएगा।

(3) उप–नियम (2) के अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को किए गए भुगतान को "इस प्रयोजन हेतु बनाये जाने वाले खाते शीर्ष" से कटौती के रूप में दर्शाया जाएगा।

30. **अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के परिनियोजन हेतु शुल्क.**– (1) अधिनियम की धारा 29 के उप–नियम (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकार–क्षेत्र से बाहर, आवश्यक उपकरण और साधन–सामग्रियों के साथ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों के परिनियोजन पर शुल्क को, अनुसूची–पांच के अनुसार प्रभारित किया जाएगा।

(2) तब तक किसी भी प्रकार का शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा, जब कभी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों का अथवा उपकरण और साधन–सामग्रियों का अथवा दोनों का परिनियोजन, अधिनियम की धारा 29 के अधीन किया जाता है, और जहाँ जनहित में परस्पर आधार पर एक वैध करार विद्यमान है।

31. **धारा 30 के अधीन पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाओं के लिए शर्तें.**– आग लगने की स्थिति पर महानिदेशक अथवा अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी के रूप में उस समय स्थल पर उपस्थित कोई भी प्राधिकृत सदस्य, यदि परिस्थिति ऐसी अपेक्षित हो, तो निम्नलिखित कार्य निष्पादित कर सकते है :–

(क) सामान्यतः ऐसे उपायों का निष्पादन कर सकते हैं, जैसा कि आवश्यक प्रतीत हो, जैसे अग्नि स्थल पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अथवा अग्निशमन उपकरणों की सुरक्षा हेतु बचाव कार्य और जीवन एवं संपत्ति के संरक्षण हेतु पुलिस कर्मियों, दण्डाधिकारी की अध्यपेक्षा करना;

(ख) सभी शासकीय अभिकरणों जैसे विद्युत एवं ऊर्जा, विमानपत्तन, प्राधिकरण, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, अभियांत्रिकी संगठन, नगर निगम और राजस्व विभाग, कृषि, पशु चिकित्सा, वन तथा आबकारी विभागों से सहायता और सहयोग लेना, जो उन सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ आवश्यक रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, जब अग्निशमन, बचाव और भ्रंश उद्धार के प्रभावी निष्पादन के लिए अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी उनसे अपेक्षा करे।

(ग) अग्निशमन उपकरणों की अपेक्षा करना और सभी निजी एवं शासकीय निकायों का यह विधि–संगत दायित्व होगा कि वे अपने अधिकार में यथा उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों की पूर्ति करेंगे; तथा

(घ) कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी या उप–संभागीय दण्डाधिकारी के समक्ष अपेक्षा दर्ज करना, जो प्रभावी अग्निशमन, बचाव और भ्रंश उद्धार के लिए, यथा आवश्यक उपकरणों या मशीनों को किराये पर लेंगे।

अध्याय–पांच
अग्नि की रोकथाम हेतु सामान्य उपाय

32. **भवनों के लिए अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा हेतु न्यूनतम मानक.–** (1) अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनों के लिए, भवनों में अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा हेतु न्यूनतम मानक, भवन की ऊँचाई और भवन के अध्यावास की श्रेणी के अनुसार तथा भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग–चार, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित मामलों के संदर्भ में, लागू होंगे :–

(1) भवन के लिए पहुँच मार्ग;

(2) निकास द्वारों की संख्या, चौड़ाई, प्रकार और विन्यास;

(3) अग्नि जॉच दरवाजा (दरवाजे) और/या दाब के माध्यम से निकासों की सुरक्षा;

(4) कक्षीकरण;

(5) धूम्र प्रबंधन प्रणाली;

(6) अग्निशमन उपकरण;

(7) प्राथमिक–सहायक होजरील्स;

(8) स्वचलित अग्नि अनुसंधान और संकट सूचना प्रणाली;

(9) मोएफा (दृष्य–श्रव्य);

(10) जनसंबोधन प्रणाली;

(11) स्वचलित छिड़काव प्रणाली;

(12) आंतरिक नलका और यार्ड नलकाएँ / गीला राईजर;

(13) पम्पिंग प्रणालियां (पम्प सहित भूमिगत टैंक);

(14) अग्निशमन हेतु समर्पित जल भण्डारण (छत का टैंक);

(15) निकास संकेत–चिन्ह;

(16) लिफ्ट का प्रावधान;

(17) वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति;

(18) शरणस्थल क्षेत्र;

(19) अग्नि नियंत्रण कक्ष;

(20) विशेष जोखिम की सुरक्षा हेतु विशेष जोखिम अग्नि सुरक्षा प्रणालियॉं;

(21) 450 / 900 एलपीएम (लीटर प्रति मिनट) क्षमता का छत–टैंक पम्प;

(22) एकत्रित होने के लिए विनिर्दिष्ट स्थल :

परंतु यह कि भवन उप–विधियां या भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग–चार, 2016 में अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए, जिन अध्यावास की श्रेणियों या भवनों या परिसरों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसे अध्यावास या भवनों या परिसरों के स्वामी या कब्जाधारी से, महानिदेशक, ऐसी अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों का प्रावधान करने की मांग कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रावधानित किया जा सके :

परंतु यह और कि जहॉ शासन का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा, लिखित रूप में वर्णित कारणों के साथ, विशेष क्षेत्रों के किसी भी अध्यावास की श्रेणियों के भवनों या परिसरों के संबंध में इन नियमों के अधीन अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों की किसी भी आवश्यकता को अथवा किसी भी क्षेत्र के किसी भवन या परिसरों के संबंध में, इन नियमों के लागू होने की तिथि से पूर्व, जिसका निर्माण हो चुका हो या जो निर्माणाधीन अवस्था में हो, इन नियमों के अधीन अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों की किसी भी आवश्यकता को रद्द कर सकते है या छूट दे सकते है या संशोधन कर सकते है।

(3) जहॉ महानिदेशक का यह विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, लिखित रूप में वर्णित कारणों के साथ, भवनों या परिसरों के स्वामी या कब्जाधारी को अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों के अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु अपेक्षित कर सकते हैं।

33. **पण्डाल में अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा हेतु न्यूनतम मानक.**– धारा 15 के प्रयोजनों के लिए, पण्डाल में अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा हेतु न्यूनतम मानक, IS8758:1993 के अनुसार होगी, जिसका प्रकाशन भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली तथा भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, भाग–चार 2016 के द्वारा किया गया है, जिनका संबंध निम्नलिखित विषयों से है :–

(1) पण्डाल में पहुॅच मार्ग;
(2) पण्डाल के चारों ओर खुला स्थान;
(3) मध्यम और उच्च वोल्टेज के बिजली के तारों और जोखिम से भरे प्रतिस्थापनों से दूरी;
(4) निकास का माध्यम;
(5) निर्माण सामग्री;
(6) प्राथमिक–सहायक अग्निशमन व्यवस्थाऐं;
(7) अग्निशमन हेतु जल भण्डारण;
(8) विद्युतीय वायरिंग;
(9) प्रशिक्षित अग्निशमन स्टॉफ की उपलब्धता।

34. **घोषणा का प्ररूप.**– अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (2) के प्रयोजनों के लिये, पण्डाल निर्माणकर्ता को प्ररूप–ख में घोषणा पत्र देना होगा।

35. **अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की आवश्यकता.**– (1) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, भाग–चार, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट सभी भवनों या परिसरों या अध्यावासों के लिए, सभी समयों पर, नियम 37 के अंतर्गत, एक वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

(2) महानिदेशक, अथवा उनके द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के बिना, भारतीय भवन संहिता, भाग–चार, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट अध्यावास की श्रेणीयों के भवनों या परिसरों के संबंध में, आवासीय कब्जे की अनुमति या पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी, इस प्रकार का प्रमाणपत्र या अनुज्ञा–पत्र जारी नहीं करेंगे।

(3) भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, भाग–चार, 2016 में यथा विनिर्दिष्ट किसी भवनों या परिसरों या इनके किसी भाग में, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, चिकित्सीय स्थापनाओं, कारखानों, होटल, वेयरहाऊस तथा कोल्ड स्टोरेज या कोई अन्य व्यापार, क्रय–विक्रय व्यापार या व्यावसाय या इसी प्रकार की अन्य कोई भी गतिविधियों के लिए,अनुज्ञा जारी करने या नवीनीकरण करने के लिए सशक्त कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी तब तक अनुज्ञा जारी या इसका नवीनीकरण नही करेंगे, जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि इनमें समुचित एवं प्रचालनीय रूप से कार्यशील, अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं और इनके पास वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध है।

(4) **खतरनाक सामान/रसायन, विस्फोटक, ज्वलनशील, अत्याधिक ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण एवं उनके सुरक्षा उपाय**– राज्य के प्रत्येक जिलों के संबंधित अधिकारी, राज्य अग्निशमन विभाग को विस्फोटक, खतरनाक रसायन/ज्वलनशील/अति ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण एवं अग्नि सुरक्षा हेतु उपाय के बारे में सूचित करेंगे एवं इस संबंध में से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता होगी।

36. **अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र तथा अग्नि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी की योग्यता.**– (1) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र और अग्निशमन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करने के प्रयोजन के लिए, अग्नि–निरीक्षण हेतु निरीक्षणकर्ता अधिकारी को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर, गृह कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से अग्निशमन अभियांत्रिकी में उन्नत पत्रोपाधि (संभागीय अधिकारी पाठ्यक्रम) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण होने की तकनीकी योग्यता आवश्यक है या महानिदेशक द्वारा विशेष परिस्थितियों में, ऐसे अग्निशमन अधिकारी को, जिसने स्टेशन अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण की हो तथा एक वर्ष तक क्षेत्र (अग्निशमन) में कार्य करने का अनुभव रखता हो, को निरीक्षण हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।

(2) कोई अग्नि अंकेक्षण, या तो भवनों/परिसरों के कब्जेदार/स्वामी/किसी विधि पूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति आदि के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा के आधार पर, अग्नि की स्थिति की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं द्वारा किया जा सकता है।

37. **अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र एवं अग्नि अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी.**– नियम 36 में उल्लिखित अग्नि सुरक्षा निरीक्षण तथा अग्नि अंकेक्षण के संचालन की अनुशंसा पर, महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करने तथा अग्नि अंकेक्षण के संचालन हेतु सक्षम अधिकारी होंगे। अग्नि सुरक्षा उपायों की उपलब्धता तथा परिचालन कियाशीलता को सुनिश्चित किये जाने के लिये अग्निशमन अधिकारियों के दल (टीम) द्वारा भवन या परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा; दल (टीम), महानिदेशक को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की मंजूरी या रद्द करने की अनुशंसा करेगी।

38. **अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की अवधि.**– अग्नि सेवा प्राधिकारी द्वारा सभी अध्यावासों को उनके अग्नि के खतरे और जोखिम के आधार पर, 1 से 3 वर्षों के लिए अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

39. **अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण.**– नियम 37 के अधीन मंजूर अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन को, महानिदेशक या अधिकृत अधिकारी के समक्ष, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की प्रति के साथ, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के 3 माह पूर्व, प्रस्तुत करना होगा।

40. **अग्नि सुरक्षा निरीक्षण/अग्नि अंकेक्षण शुल्क.**– अग्निसुरक्षा निरीक्षण और अग्नि अंकेक्षण शुल्क का उद्ग्रहण राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

41. **अग्नि सुरक्षा उपायों के अनुरक्षण हेतु दायित्व.**– (1) भवन या परिसरों के कब्जाधारी, जैसी भी स्थिति हो, भवन या परिसरों में प्रावधानित अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों को भवन या परिसरों में सभी समय उत्तम कार्यरत स्थिति में अनुरक्षित रखेंगे, ताकि आग लगने की स्थिति में अध्यावासियों या अग्निशमन सेवा के सदस्यों या दोनों के द्वारा उपयोग किया जा सके।

(2) यथास्थिति, भवनों या परिसरों के कब्जाधारी या अधिनियम की धारा 18 के अधीन नियुक्त अग्नि सुरक्षा अधिकारी, प्रतिवर्ष, महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में यह घोषणा करेंगे कि यथास्थिति, भवन या परिसर में अग्नि की रोकथाम एवं अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था उत्तम क्रियाशीलता की अवस्था में है।

(3) महानिदेशक अथवा उनके द्वारा नामांकित प्राधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि उपर्युक्त की गयी घोषणा की शुद्धता के सत्यापन करने के परिप्रेक्ष्य में और किसी कमी, यदि कोई हो, उस कमी को दिये गये समयातंराल में पूर्ण करने के दिशा–निर्देश देने के लिए, वह यथास्थिति, ऐसे भवन या परिसर में प्रवेश कर सके और उसका निरीक्षण कर सके। यदि निरीक्षण अधिकारी के दिशा–निर्देशों का दिये गये समयातंराल में अनुपालन नहीं होता है, तो महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से, निरीक्षण अधिकारी, भवन या परिसर को, अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुपयुक्त घोषित करेंगे और स्थानीय निकाय या कोई अन्य संबंधित प्राधिकारी को, यथास्थिति, स्थानीय भवन या परिसर की बिजली और जल आपूर्ति के विच्छेदन करने हेतु, यथास्थिति, निर्देशित करेंगे और स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकारी, निरीक्षण अधिकारी के दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे।

42. **अग्नि सुरक्षा उपायों की पूर्णता हेतु समय.–** (1) नामांकित प्राधिकारी समय दर्शित करेंगे, जो 90 दिनों से अधिक नहीं होगा, जिसके भीतर अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों का प्रावधान आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए।

(2) महानिदेशक, उपरोक्त उप–नियम (1) के अधीन नामांकित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत समय की समीक्षा कर सकते हैं और यदि वह कार्य की प्रगति से संतुष्ट हों, तो वह, एक या अधिक बार, अधिकतम 180 दिनों के अध्यधीन रहते हुए समयावधि में विस्तार मंजूर कर सकते हैं।

(3) नियम 37 के अधीन जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, उप–नियम (1) के अधीन जारी, नामित प्राधिकारी की नोटिस की तारीख से, निलंबित समझा जाएगा, जब तक कि महानिदेशक या नामांकित प्राधिकारी की संतुष्टि तक, अनुपालन नही कर लिया जाता और इसे अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र में सम्यक् रूप से दर्ज किया जाएगा।

(4) उपर्युक्त उप–नियम (1) और उप–नियम (2) के अधीन कार्य की पूर्णता हेतु अनुमति प्रदत्त समय–सीमा के दौरान, भवन या परिसरों में अध्यावास, स्वामी या कब्जाधारी के जोखिम और दायित्व पर होगा।

43. **अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण.–** (1) यदि स्वामी या कब्जाधारी, विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर, नियम 42 के अधीन दिये गये दिशा–निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहते हैं, तो महानिदेशक अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, अधिनियम या नियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वामी या कब्जाधारी को कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् कि ऐसे आदेश क्यों न जारी किये जाएं, ऐसे आदेश द्वारा कारणों को लिखित में दर्शाते हुए, नियम 37 के अधीन जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को निरस्त कर सकते हैं।

(2) भवन या परिसरों के स्वामी या कब्जाधारी, जिनके अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र को, उप–नियम (1) के अधीन महानिदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है, आदेश की प्रति की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष नियम 50 के अधीन यथा उल्लिखित रीति में, अपील कर सकते हैं, जो स्वामी या कब्जाधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश की पुष्टि, उत्क्रम या संशोधित कर सकते हैं।

44. **निरीक्षण आदि की शक्ति.–** (1) महानिदेशक अथवा महानिदेशक के विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत सदस्य, परिसर के स्वामी या कब्जाधारी या परिसर के विधिवत अधिकृत व्यक्ति को प्ररूप–घ में कम से कम तीन दिनों का नोटिस देने के पश्चात्, नोटिस को डाक या ई–मेल या अन्य ऐसे किसी माध्यम, जैसा

व्यवहार्य हो, से तामील करते हुए अथवा परिसर में इसकी प्रति को चस्पा करते हुए, अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) के अधीन यथा आवश्यकतानुसार प्रस्तुत जानकारी की शुद्धता के सत्यापन के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे परिसरों में प्रवेश और इनका निरीक्षण करेंगे तथा अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों की पर्याप्तता तथा प्रचालन कार्यशीलता का अवलोकन सुनिश्चित करेंगे या यह भी देखेंगे कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इन नियमों का कोई उल्लंघन न हुआ हो और स्वामी या कब्जाधारी को कमियों (विसंगतियों), यदि कोई है, को ऐसे समय के भीतर पूरा करने के लिये निर्देशित करेंगे, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) स्वामी या कब्जाधारी या ऐसे परिसर के विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण अधिकारियों को उप–नियम (1) के अधीन निरीक्षण कार्य निष्पादित करने हेतु सभी यथा संभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(3) यदि उप–नियम (1) के अधीन निरीक्षण अधिकारी के दिशा–निर्देशों का अनुपालन विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उक्त परिसरों के अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के संबंधित विनियामक को सम्यक् रूप से सूचित करते हुए, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(4) स्वामी या कब्जाधारी या कोई अन्य विधिवत अधिकृत व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 33 की उप–धारा (1) के अधीन अशुद्ध जानकारी देते हैं, को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम के अधीन संयुक्त और पृथक रूप से दण्डित किया जा सकता है तथा उक्त भवन या परिसरों के अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र को, जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(5) जहाँ उप–नियम (1) के अधीन निरीक्षण किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वे ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

45. **अधिनियम के प्रावधानों या नियमों या इसके अधीन जारी दिशा–निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई.**– (1) महानिदेशक, या प्राधिकृत सदस्य द्वारा, स्वामी या कब्जाधारी या किसी विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को, जैसी भी स्थिति हो, नोटिस तामिल होने के पन्द्रह दिनों के भीतर, कारण बताने का अवसर देने के पश्चात्, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्र को निरस्त किया जा सकता है,–

(क) अधिनियम या इन नियमों के किन्हीं भी प्रावधानों या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र में विहित किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन करने पर; अथवा

(ख) अधिनियम या इन नियमों के अधीन जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं करने या अपूर्ण अनुपालन करने की स्थिति में; अथवा

(ग) नियम 44 के उप–नियम (1) के अधीन किये जा रहे निरीक्षण में बाधा उत्पन्न करने पर अथवा असहयोग आदि करने पर:

परंतु यह कि अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को, इसे जारी करने वाले या नवीनीकरण करने वाले अधिकारी की श्रेणी से निम्न के किसी अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकेगा।

(2) किसी भवन या परिसरों की अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण के पश्चात्, महानिदेशक या प्राधिकृत सदस्य निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रतिवेदित करेंगे,–

(क) संबंधित अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स, चित्सिकीय स्थापनाओं, कारखानों, होटल, वेयरहाऊस और कोल्ड स्टोरेज अथवा किसी व्यापार, क्रय–विक्रय व्यापार या व्यवसाय या कोई अन्य गतिविधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, के प्रचालन हेतु अनुज्ञप्ति को निरस्त करने हेतु; अथवा

(ख) संबंधित उप–संभागीय दण्डाधिकारी अथवा जिला दण्डाधिकारी को दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 133 और अन्य तत्संबंधी विधियों के अधीन कार्रवाई करने हेतु।

(3) जल और विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तरदायी प्राधिकारीगण, महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर, तत्काल प्रभाव से उक्त आपूर्ति को विच्छेद कर देंगे।

(4) यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, प्रतिवेदन के अनुसार कार्रवाई नहीं करते हैं तो महानिदेशक अथवा प्राधिकृत सदस्य, इस हेतु कारणों को दर्ज करने के पश्चात्, सील करने हेतु कदम उठा सकते हैं और अभियोजन आरंभ कर सकते हैं।

46. **सील करने हेतु प्रकिया.**– (1) जहाँ महानिदेशक या प्राधिकृत सदस्य को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भवन या परिसर की स्थिति जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है और आग लगने का जोखिम संभावित है, तो प्राधिकृत सदस्य,

किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे परिसर के स्वामी या कब्जाधारी को, स्वयं को तत्काल, ऐसे परिसरों से हटने के लिए, आदेश द्वारा, अपेक्षित कर सकता है।

(2) यदि उप–नियम (1) के अधीन महानिदेशक या प्राधिकृत सदस्य द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, तो उस पुलिस स्टेशन, जिसकी अधिकारिता क्षेत्र के अधीन यह क्षेत्र स्थित है, के प्रभारी निरीक्षक, परिसरों से ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे और सील करने की प्रक्रिया को सुगम बनायेंगे।

(3) व्यक्तियों को हटाये जाने के पश्चात्, महानिदेशक या प्राधिकृत सदस्य, दण्डाधिकारी की सहायता से और स्थानीय पुलिस को सूचित करते हुए, उस रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, परिसर को सील करेंगे।

(4) परिसर की सील करने हेतु प्रयुक्त सील को महानिदेशक अथवा प्राधिकृत सदस्य की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(5) महानिदेशक अथवा प्राधिकृत सदस्य के द्वारा दिए गए आदेश के बिना, इस प्रकार की सील को किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा हटाया नही जाएगा।

(6) यदि परिसर, जिसे प्राधिकृत सदस्य से प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् सील किया जाना अपेक्षित है, तालाबंद या अगम्य पाया जाता है, तो वे ताले को तोड़ सकते हैं, परिसर में प्रवेश कर सकते हैं और अधिनियम के अधीन लिए जाने वाले सभी आवश्यक कदम उठाये जाने के उपरांत, पुनः ताला लगाकर, परिसर को सील कर सकते हैः

परंतु यह कि यदि किसी परिसर को इस नियम के अधीन बल पूर्वक खोला जाता है, तो परिसर में पाई गई सामग्रियों की सूची, दण्डाधिकारी या दो सम्माननीय स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तैयार की जायेगी और इसकी एक प्रति स्वामी या कब्जाधारी को सौंपी जायेगी।

(7) सील करने से पूर्व, प्ररूप–च में एक नोटिस, सील करने का कारण दर्शाते हुए, परिसर के स्वामी या कब्जाधारी को दिया जाएगा और आपात स्थिति में, इस प्रकार के नोटिस को देना आवश्यक नहीं होगा।

(8) क्षेत्र, जहाँ परिसर स्थित है, की अधिकारिता वाले दण्डाधिकारी या संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक, महानिदेशक, या प्राधिकृत सदस्य को सील करने की प्रकिया के दौरान सभी सहायता प्रदान करेंगे।

(9) यदि किसी परिसर में, इन नियमों के अधीन लगाई गई सील, टूटी हुई या छेड़खानी की गई पाई जाती है, तो उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को सूचित किया जाएगा।

(10) इस नियम के अधीन अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के सदस्यों द्वारा उनके कर्तव्यों के निष्पादन में सहयोग करना, सभी श्रेणी (रैंक) के पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य होगा।

47. **अभियोजन प्रकिया.**– (1) वे अधिकारी, जो स्टेशन ऑफिसर की श्रेणी से निम्न के न हों, या प्राधिकृत अधिकारी जो अपनी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी करते हैं, अपराधी के विरूद्ध अभियोजन प्रारम्भ करने हेतु अपने निकटम वरिष्ठ अधिकारी को, विहित प्ररूप–छ में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और सक्षम अधिकारिता क्षेत्र वाले न्यायालय को इसकी एक प्रति भेजेंगे।

(2) विवेचना अधिकारी प्ररूप–ज में केस डायरी का अनुरक्षण करेंगे और जांच पूरी होने के पश्चात्, वे छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 की धाराओं 15, 20, 24, 35, 38, 41, 47, 48, 49 तथा 50 के अधीन सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष अपराधी/दोषी के विरूद्ध प्ररूप–झ में शिकायत या अंतिम रिपोर्ट दर्ज करेंगे।

(3) जांच के दौरान, विवेचना अधिकारी, ऐसी संपत्तियों की जांच, परीक्षण, वजन माप, अभिलेखीकरण तथा जब्ती करेंगे, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह, सम्पत्ति और जीवन की सुरक्षा के लिए खतरनाक या हानिकारक हैं और ऐसी जब्ती करते समय वे प्ररूप–ञ में यथा विहित पंचनामा तैयार करेंगे और प्ररूप–ट में जब्ती ज्ञापन तैयार करेंगे तथा प्रकरण दायर करने की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर शिकायत की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(4) विवेचना अधिकारी, अंतिम प्रपत्र या शिकायत प्रकरण की एक प्रति सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में भी प्रस्तुत करेंगे।

(5) विवेचना अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, पुलिस की सहायता ले सकते है, जो अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के प्राधिकृत सदस्य द्वारा किए जा रहे जांच के निष्पादन में सहायता करेंगे।

(6) सभी पंजीकृत मामलों को प्रकरण पंजी में दर्ज किया जाएगा।

(7) महानिदेशक या प्राधिकृत सदस्य द्वारा परिसर के ऐसे कब्जाधारी या स्वामी या विधिसम्मत अधिकृत किसी व्यक्ति को प्ररूप–ङ में एक नोटिस की तामिली की जाएगी, जिसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, किन्तु इसे प्राप्त करने में वे असफल रहे या अनुज्ञप्ति, जिसमें उन्हें अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित किया गया है, में विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन करने में या अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किसी शर्त को पूरा करने में, जैसी भी स्थिति हो, वे असफल रहें हो।

(8) यदि परिसरों के स्वामी या कब्जाधारी नोटिस का अनुपालन नहीं करते हैं तो महानिदेशक या कोई भी प्राधिकृत सदस्य, उन्हें प्ररूप–ठ में कारण बताओ नोटिस की तामिली करेंगे और यदि स्वामी या कब्जाधारी या कोई विधिसम्मत अधिकृत व्यक्ति, नोटिस का अनुपालन करने में पुनः असफल रहते हैं तो महानिदेशक या अन्य कोई प्राधिकृत सदस्य, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 की धारा 35 के अधीन दण्डनीय अभियोजन आरम्भ करने की पहल करेंगे।

48. **महानिदेशक और राज्य शासन की सामान्य शक्तियां.** – (1) अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन महानिदेशक, समय–समय पर विभिन्न वर्गों के भवनों या परिसरों में अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा के उपायों के प्रभावी कियान्वयन और इनसे संबंधित या इनके आनुषंगिक मामलों में, परिपत्रों और आदेशों को जारी कर सकेगें ।

(2) महानिदेशक या राज्य शासन, किसी भी समय, अधिनियम या इन नियमों के अधीन, ऐसे की गई कार्यवाही की वैधता या औचित्य पूर्णता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी कार्रवाई के अभिलेख को, परीक्षण के लिये मांग सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(3) इस प्रकार के आदेश को पारित करने से पूर्व, ऐसे आदेश से प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्ति को कारण बताने का तर्कसंगत अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय, अंतिम होगा।

अध्याय–छः
नोटिस और अपील

49. **नोटिस के प्ररूप.–** अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों के उल्लघंन के लिए नोटिस तामील की जायेगी।

50. **अपील.–** (1) अधिनियम की धारा 16 की उप–धारा (7) के अधीन अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील, प्ररूप–ग में प्रस्तुत की जायेगी और इसके साथ उस आदेश या नोटिस की प्रति संलग्न की जायेगी, जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है तथा इसके साथ महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवायें के पक्ष में देय रू. 5000/– (पांच हजार रूपये मात्र) की राशि, बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से देय होगी।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, प्रकरण की सभी परिस्थितियों पर विचार करेंगे और ऐसा आदेश देंगे, जैसा कि वे न्यायोचित और साम्यपूर्ण समझें, तथा उनका आदेश अंतिम होगा।

(3) प्राधिकारी, जिन्होंने आदेश जारी किया था, जिसके विरूद्ध अपील की गई थी, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित करेंगे।

51. **अपराधों का प्रशमन.–** (1) जिला अग्निशमन अधिकारी, अधिनियम की धारा 51 की उप–धारा (1) के अधीन अपराध, जो कि जुमाने से दण्डनीय हो, का प्रशमन, उस सीमा तक कर सकता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के प्रयोजनों के अधीन निदेशक, प्रशिक्षण/प्रचालन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के लिए प्रशमन सीमा ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये।

(3) महानिदेशक, अधिनियम की धारा 51 के अंतर्गत किसी अपराध का, तथा इन नियमों के अंतर्गत जुर्माने सहित दण्डनीय किसी अपराध का, प्रशमन कर सकता है।

(4) ऐसे सभी प्रशमन शुल्क को महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से, ऐसे शीर्ष के अंतर्गत जमा किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार बाद में अधिसूचित करे।

अध्याय–सात
विविध

52. **आपात स्थिति में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की अनुक्रिया.**– आग लगने की घटना होने पर, या किसी अन्य आपदा में, जिसमें अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के दखल की अपेक्षा हो, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की अनुक्रिया महानिदेशक द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार होगी।

53. **अग्निशमन हेतु जल की पर्याप्त आपूर्ति.**– (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या नियमों में किन्हीं प्रावधानों के प्रतिकूल होते हुए भी, महानिदेशक, अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरण से, ऐसे प्राधिकरण द्वारा यथा वांछित प्रभारों के भुगतान पर, न्यूनतम 150 मि.मी. व्यास के लोक मुख्यनली या निजी मुख्यनली के महत्वपूर्ण स्थलों पर नलका की अपेक्षा कर सकते हैं।

(2) नलका के मुख पर अवशेष दाब, न्यूनतम 1.5 बार (लगभग 20 पौण्ड प्रति वर्ग इंच) से कम नहीं होना चाहिए।

(3) उप–नियम (1) के अधीन उपबंधित प्रत्येक नलके के पास पहचान पट्टी लगी होनी चाहिए, जिसमें नलका संख्या और मुख्यनली (मेन्स) का आकार लिखा होना चाहिए और ऐसे सभी नलकाओं का अनुरक्षण उस प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, जिनके द्वारा नलका का प्रदाय किया गया हैं।

54. **अग्निशमन कार्यों के लिए मानक संचालन प्रकिया.**– अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के प्रचालन के लिए, स्थायी संचालन प्रकियाएँ निम्नानुसार हैं–

(1) **नियंत्रण कक्षः–**

(क) **कॉल रिसीव करना**– आग की दुर्घटनाओं और बचाव कार्य/कार्यो के संबंध में कॉल, जिला/शहर स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त किया जाएगा और अग्नि दुर्घटना और/अथवा बचाव कार्य संबंधी निम्नलिखित जानकारी को कॉल कर रहे व्यक्ति से संग्रहित किया जाएगा–

(एक) कॉल करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम;

(दो) कॉल कर रहे व्यक्ति का फोन नम्बर;

(तीन) आग का प्रकार, उदाहरणार्थ गैस में आग, तेल में आग, विद्युतीय अग्नि, कार्यालय/घर में आग, सामान्य अग्नि दुर्घटना इत्यादि;

(चार) अग्नि दुर्घटना स्थल का पूरा पता;

(पांच) आग की प्रकृति (छोटी, मध्यम, गंभीर, बहुत गंभीर;

इसके पश्चात फायर काल प्राप्त होने के समय को नोट करने की कार्यवाही की जाएगी और फायर कॉल नोट करने के पश्चात् 30 सेकण्ड के अंदर अग्निशमन वाहन को दुर्घटना स्थल की ओर रवाना किया जाएगा।

(ख) **कॉल का सत्यापनः**– कॉलर द्वारा अग्नि दुर्घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त होते पर, मुख्य नियंत्रण कक्ष/अग्निशमन केन्द्र नियंत्रण कक्ष, पुनः उस नम्बर पर कॉल करके उसकी सत्यता की जांच करेगा कि कॉल करने वाले के द्वारा अग्नि दुघर्टना से संबंधित जानकारी, प्रमाणित है या नहीं।

(ग) **प्रेषण लामबंदी** :– आग दुर्घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी की प्राप्ति के तत्काल बाद, प्रथम टर्नआउट (प्रथम अनुकिया वाहन)

को, प्रथम टर्न आऊट ऑफिसर के साथ, 30 सेकेण्ड के भीतर, बिना किसी विलम्ब के, अग्नि दुर्घटना स्थल की ओर भेजा जाएगा और नियंत्रण कक्ष, वॉकी–टॉकी सेट/किसी अन्य संचार माध्यम से निरंतर टर्न आउट ऑफिसर से संपर्क में रहेंगे और साथ ही साथ अनुदेशों/दिशा–निर्देशों का निरंतर आदान–प्रदान करेंगे। टर्नआउट ऑफिसर, दुर्घटना स्थल की दूरी, ट्रैफिक की स्थिति या ट्रैफिक जाम की स्थिति के बारे में जानकारी, नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे।

(घ) **अग्निशमन वाहन को दुर्घटना स्थल की ओर रवाना करने के बाद नियंत्रण कक्ष द्वारा अन्य विभागों को सूचित करना** :–

(एक) **ऊर्जा विभाग**– अग्नि दुर्घटना स्थल की बिजली आपूर्ति बंद करने के लिये, संबंधित बिजली कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुरोध करेंगे तथा वे अग्नि दुर्घटना स्थल के आसपास स्थित दुकानों/भवनों एवं कार्यालयों इत्यादि की बिजली की आपूर्ति बंद करते हुए, यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्नि बुझाते समय, अग्निशमन कर्मचारियों को कोई भी हानि न हो तथा वे अग्नि दुर्घटना नियंत्रित होने तक बिजली विभाग के जबावदार कर्मियों को घटना स्थल पर नियुक्त करने के लिए निर्देशित करेंगे। अग्निशमन विभाग के बहुत से उपकरण, जो कि विद्युत शक्ति से चलते है जैसे कटर, स्प्रेडर एवं वॉलब्रेकर आदि के लिये उक्त विभाग, अलग से विद्युत प्रदाय करने की व्यवस्था करेगा।

(दो) **अग्नि दुर्घटना क्षेत्र का पुलिस थाना**:– नियंत्रण कक्ष, अग्नि दुर्घटना स्थल के बारे में सूचना, संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने को देगा और वह पुलिस थानें से सहायता की मांग कर सकता है कि उक्त दुर्घटना स्थल पर पुलिस

कर्मियों को भेजा जाए, ताकि वे दुर्घटना स्थल पर एकत्रित अवांछित जनसमूह को दूर हटने के लिए दिशा–निर्देश दे सके, जिससे अग्निशमन कर्मीगण अपना कार्य, बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से कर सके।

(तीन) **चिकित्सा केन्द्र** :– नियंत्रण कक्ष, अग्नि दुर्घटना स्थल के आसपास स्थित चिकित्सा केन्द्र या एम्बुलेंस सेवा प्रदाता संस्थाओं को तत्काल अग्नि दुर्घटना के बारे में सूचित करेंगे, ताकि वे उक्त अग्नि दुर्घटना के फलस्वरूप आहतों को, यदि कोई हो, अविलम्ब चिकित्सीय उपचार की प्राप्ति हेतु चिकित्सीय केन्द्रों में स्थानांतरित कर सके।

(चार) **नगरनिगम, नगरपालिका/लोक निर्माण विभागः**– नगरपालिक निगम विभाग से अग्नि दुर्घटना में सड़क की सफाई या भवन के ढहकर गिरने की स्थिति से निर्मित मलबे की सफाई के लिए, भारी वाहनों, जैसे डोजर, डम्पर, जेसीबी आदि की मांग की जायेगी, ताकि अग्निशमन वाहन की आवाजाही में कोई बाधा उत्पन्न न हो और नगर निगम द्वारा संचालित जल टैंकर भराई केन्द्र को भी निर्देशित करेंगे, ताकि अग्निशमन वाहन में जल की आपूर्ति की निरंतरता में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो ।

(ड.) अग्नि दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के उपरांत अग्निशमन अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :–

(एक) **प्राथमिक मूल्यांकन**– अग्नि दुर्घटना/बचाव कार्य प्रचालन की सूचना पर फायर कॉल स्लिप के आधार पर प्रथम टर्न आऊट अधिकारी, आरंभिक मूल्यांकन निष्पादित करेंगे और अपने अधीनस्थ अग्निशमन कर्मियों/स्टॉफ के साथ एक रणनीति तैयार करेंगे कि अबिलम्ब अग्नि के

नियंत्रण/बचाव कार्य हेतु अग्निशमन कर्मियों और अग्निशमन उपकरणों तथा संसाधनों का समुचित प्रयोग किस प्रकार किया जाए, ताकि अग्नि दुर्घटना और बचाव कार्य को तत्काल नियंत्रित किया जा सके ।

(दो) **कार्रवाई की दिशा**– अग्नि दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के पश्चात् प्रथम टर्नआऊट ऑफिसर, सबसे पहले वाहन के पहुंचने के बारे में और अग्नि दुर्घटना की भयावहता के बारे में और/अथवा इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे। गैस फायर, इलेक्ट्रिक फायर, केमिकल फायर, मकान/घर या भवन में आग आदि के नियंत्रण हेतु उक्त अधिकारी, अपने स्वयं के विवेक पर लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेंगे और तदनुसार अतिरिक्त बल/स्टॉफ, उपकरणों, पम्पों, बचाव उपकरणों/यंत्रों आदि की मांग करेंगे। सबसे पहले वे अग्नि दुर्घटना स्थल पर आहत व्यक्तियों की तलाश करेंगे और, यदि हो तो, उन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करेंगे और वे पुलिस विभाग तथा एम्बुलेंस की सेवाओं की भी सहायता लेंगे। तत्पश्चात् वे आग का नियंत्रण कार्य करेंगें, अग्नि दुर्घटना पर पूर्ण नियंत्रण के पश्चात् वे उपकरणों और अग्निशमन कर्मियों की रिपोर्ट हेतु अपने वरिष्ठ अधिकारियों और नियंत्रण कक्ष को सूचित करेंगे।

(तीन) **अग्निशमन वाहनों/फायर टेण्डर को स्थल से वापस ले जाना** :– अग्नि दुर्घटना के नियंत्रण के पश्चात्, मुख्य नियंत्रण कक्ष और अग्निशमन नियंत्रण कक्ष को, इसके बारे में और दुर्घटना स्थल से अग्निशमन वाहनों/फायर टेण्डर के निर्गमन के लिए सूचित किया जाएगा। इसके

पूर्व, फायर आफिसर, अग्नि दुर्घटना स्थल के स्वामी से अथवा किसी जिम्मेदार व्यक्ति से क्लीयरेंस प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे, जिसमें स्वामी यह दर्शायेंगे कि उक्त आग को पूर्णतः नियंत्रित कर दिया गया है और अग्नि दुर्घटना स्थल में कोई भी आहत व्यक्ति उपस्थित नहीं है। अग्नि दुर्घटना स्थल को छोड़ने से पूर्व, अधिकारी, वाहनों के सभी उपकरणों की गहनता से जाँच करेंगे और किसी उपकरण के गुम होने या किसी प्रकार की क्षति होने की स्थिति में, वे इसके बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेंगे।

किसी विशेष स्तरीय अग्नि दुर्घटना /आपातकालीन स्थिति के मामले में निदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, यह सुनिश्चित करेंगे कि कौन से अधिकारी दुर्घटना स्थल में कार्य करेंगे और कौन से अधिकारी, प्रचालन क्षेत्र में पर्याप्त बल/कर्मियों के साथ कार्य करेंगे। ऐसे परिदृश्य में, महानिदेशक, स्थल पर उपस्थिति दर्ज करवाने और सहायता प्राप्त करने के लिये अन्य विभागों से विभिन्न श्रेणी के संबंधित अधिकारियों से समन्वय भी स्थापित कर सकेंगे।

(2) **अग्नि के प्रकारः–**

(एक) **तेल की आग** :– ज्वलनशील तेल के आग की सूचना की प्राप्ति पर, अग्निशमन नियंत्रण कक्ष, अग्नि दुर्घटना स्थल की ओर फोम टेण्डर को प्रथम टर्न आउट के रूप में अधिकारी के साथ रवाना करेंगे। इसके साथ ही, इससे संबंधित अन्य उपकरणों जैसे ड्राई केमिकल पाउडर अग्निशामक (50 कि.ग्रा.), फोम अग्निशमक (45लीटर), उच्च फैलाव वाला फोम जनरेटर, उच्च दाब फोम मॉनिटर तथा विभिन्न प्रकार के फोम ब्रांच को अविलंब अग्नि के नियंत्रण हेतु अन्य छोटे वाहन के साथ अग्नि दुर्घटना स्थल में भेजा जाएगा।

अतिरिक्त फोम कम्पाउंड ड्रम की व्यवस्था, फोम कम्पाउंड की निरंतर आपूर्ति हेतु किया जाएगा और प्रथम टर्न आऊट ऑफिसर निरंतर नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहेंगे।

(दो) **बिजली की आग** :– बिजली से संबंधित अग्नि दुर्घटना जैसे ट्रांसफार्मर में आग, हाई टेंशन केबल में आग , केबल टनल में आग, इलेक्ट्रिक गैजेट में आग, बिजली के खम्भे में आग, लार्ज इलेक्ट्रिकल फिक्सर और इलेक्ट्रिक मीटर में आग लगने की स्थिति में, नियंत्रण कक्ष, सबसे पहले प्रथम टर्न आऊट ऑफिसर के साथ अग्नि दुर्घटना स्थल की ओर कम्बाइंड फायर टेण्डर को रवाना करेंगे और तत्पश्चात् संबंधित बिजली कम्पनी के कर्मियों को अग्नि दुर्घटना स्थल की विद्युत आपूर्ति को विच्छेद के लिए सूचित करेंगे।

अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी बिजली की आग को नियंत्रित करने हेतु कम्बाइंड फायर टेण्डर द्वारा ड्राई केमिकल पावडर छिड़कने और साथ ही कार्बन डाई–ऑक्साइड अग्निशमन उपकरण और इनर्ट गैस फायर बॉल का उपयोग करते हुए, यथाशीघ्र, अग्नि दुर्घटना को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे।

(तीन) **गैस की आगः**– किसी ज्वलनशील गैस में आग लगने की सूचना की प्राप्ति पर, अग्निशमन अधिकारी, तत्काल आग को ड्राई केमिकल पावडर टेण्डर के साथ कार्बन डाई ऑक्साइड अग्निशमक यंत्र और इनर्ट गैस फायर बॉल और जल–छिड़काव शीतलीकरण के द्वारा तत्काल अग्नि दुर्घटना को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। यदि तत्संबंधी उपकरण फायर टेण्डर वाहन में उपलब्ध नहीं हैं, तो तत्काल इसकी जानकारी नियंत्रण कक्ष में दी जायेगी, ताकि अविंलब वांछित सहायता प्राप्त की जा सके और आग को नियंत्रित किया जा सके। औद्योगिक क्षेत्रों में गैस की आग होने की स्थिति में, सर्वप्रथम गैस की आपूर्ति बंद करने का प्रयास किया जायेगा, ताकि आग की दुर्घटना को रोक कर, इसे अधिक भीषण होने से बचाया जा सके।

(चार) **ऊंचे भवनों में आगः–** 15 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले भवन, ऊँची इमारत की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऊँचे भवनों में अग्नि दुर्घटना की जानकारी की प्राप्ति होने पर, अग्निशमन अधिकारी, अग्नि दुर्घटना स्थल की ओर फायर टेण्डर के साथ हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (बचाव वाहन) भेजेंगे और साथ ही दुर्घटना स्थल में सहायता के लिए अतिरिक्त बल/स्टाफ के लिए अन्य फायर स्टेशनों को सूचित करेंगे, ताकि अग्नि दुर्घटना के कारण ऊँचे भवन (भवनों) में फंसे व्यक्तियों/आहतों को हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (बचाव वाहन) और/या विस्तार सीढ़ी की सहायता से जमीनी सतह पर नीचे लाया जा सके।

पीड़ितों के बेहतर ईलाज के लिए एम्बुलेंस की सेवा ली जा सकती है। एम्बुलेंस सेवा की अनुपलब्धता की स्थिति में, पीड़ितों को अग्निशमन विभाग के छोटे वाहनों द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाएगा, तत्पश्चात वे ऊँचे भवनों में लगे आग को हाइड्रोलिक प्लेटफार्म (बचाव वाहन) में स्थापित हाई प्रेशर वॉटर मॉनीटर के मध्यम से तत्काल नियंत्रित करेंगे। गगनचुंबी भवनों में आग की दुर्घटना होने की स्थिति में, आसपास की औद्योगिक इकाइयों के अन्य फायर टेण्डरों से सहायता ली जा सकती है।

(पांच) **सामान्य आगः–** नियंत्रण कक्ष से सूचना की प्राप्ति के पश्चात, प्रथम टर्न–आऊट ऑफिसर, वॉटर टेण्डर और अग्निशमन उपकरणों/यंत्रों की सहायता से सामान्य आग या छोटी आग को नियंत्रित करेंगे और साथ ही आसपास स्थित मकानों की आग से सुरक्षा करने हेतु जल के छिड़काव द्वारा इन्हें कूलिंग कर, आग को फैलने से रोकने का प्रयास करते हुए, आग को नियंत्रित करेंगे ताकि आग अन्य भवनों में विकिरण के माध्यम से न पहुंच सकें।

(3) **आग का वर्गीकरण –**

छोटी आग :– रू. 50,000/– से कम मूल्य की संपत्ति/वस्तुओं की क्षति।

मध्यम आग :– रू. 50,000/– से अधिक, किन्तु रूपये 1,00,000/– से कम मूल्य की संपत्ति/वस्तुओं की क्षति ।

भीषण आग :– अग्नि दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होना।

बड़ी आगः– रूपये 1,00,000/– से अधिक मूल्य की संपत्ति/वस्तुओं की क्षति।

ब्रिगेड कॉल :– अत्याधिक गंभीर आग की घटना से अनेक व्यक्ति आहत होना या बहु–मंजिली इमारतों का ढह जाना आदि।

(4) **अग्नि का श्रेणीकरण –**

ए– वर्ग आग : सामान्य आग, जैसे फर्नीचर, कोयला, कपड़ा, कागज, घरेलू सामान और प्लास्टिक, रबर आदि।

यथोचित अग्निशमन उपकरण : वाटर–टाईप अग्निशमन उपकरण।

बी– वर्ग आग : ज्वलनशील तरल सामग्रियाँ, जैसे पेट्रोल, बेंजीन, पेन्ट, डीजल, साल्वेंट और मिट्टी तेल में आग आदि।

यथोचित अग्निशमन उपकरण : मैकेनिकल फोम टाईप अग्निशामक।

सी– वर्ग आग : ज्वलनशील गैसें जैसे एल पी जी में एसिटिलीन गैस, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, मीथेन और अन्य गैसों में आग।

यथोचित अग्निशमन उपकरण : ड्राई केमिकल पावडर और कार्बनडाईआक्साईड टाईप अग्निशमन उपकरण, हाईड्रो–फ्ल्यूरो कार्बन अग्निशमन उपकरण।

डी– वर्ग आग : (एक) धातुई (मैटल) आग, जैसे मैग्नेशियम, एल्यूमिनम,सोडियम, पोटेशियम आदि।

यथोचित अग्निशमन उपकरण : ड्राई केमिकल पावडर टाईप अग्निशमन उपकरण।

(दो) इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे स्विच बोर्ड, पावर बोर्ड, कम्यूटर आदि।

यथोचित अग्निशमन उपकरण : कार्बनडाईआक्साईड टाईप अग्निशमन उपकरण, हाइड्रो–फ्ल्यूरो कार्बन, हेप्टाफ्लूरोप्रोपेनटाईप अग्निशमन उपकरण।

(5) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के प्रचालन हेतु, स्थिति के अनुसार, महानिदेशक, स्थायी प्रचालन प्रक्रिया जारी करेंगे।

55. **छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा हितकारी निधि.**– (1) रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी द्वारा सम्यक रूप से पंजीकृत "छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा हितकारी निधि" नामक निधि की स्थापना की जाएगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रबंधन, एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें महानिदेशक द्वारा नामित, 6 सदस्यगण होंगे।

(3) महानिदेशक, निधि की प्रबंधन समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(4) निधि में अंशदान, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में कार्यरत सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क के द्वारा और अग्नि सेवा सप्ताह के आयोजन के दौरान पिन से झण्डा लगाने से, चेक के माध्यम से, जनता से प्राप्त दान के द्वारा किया जाएगा।

(5) मौद्रिक सहायता राशि की मात्रा और इस प्रकार की सहायता के प्रदाय हेतु अवसर का निर्णय, प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाएगा।

56. **प्रशासनिक अनुदेश** – (1) शासन के पूर्व अनुमोदन से, महानिदेशक, निम्नलिखित मामलों पर प्रशासनिक अनुदेश जारी कर सकते हैं :–

(एक) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों का प्रशिक्षण;

(दो) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों का अनुशासन और अच्छा आचरण;

(तीन) आग की आपदा सूचना के मिलने पर, आवश्यक साधन सामग्रियों और उपकरणों के साथ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों की त्वरित उपस्थिति;

(चार) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें;

(पांच) सभी श्रेणियों और वर्गों के अग्निशमन अधिकारियों के लिये उनके कर्तव्य नियत करना तथा वह रीति एवं शर्तें निर्धारित करना, जिसके अनुसार, उन्हें अपनी तत्संबंधी शक्तियों और कर्त्तव्यों का निर्वहन और निष्पादन करना होगा;

(छः) नीतिगत प्रशासन से संबंधित, किसी भी प्रयोजन हेतु, किसी भी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निधि को संस्थित, प्रबंधन तथा विनियमन करना;

(सात) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के उपकरणों और साधन–सामग्रियों को वांछित कार्य कुशलता की स्थिति में रखने हेतु अनुरक्षण;

(आठ) सामान्यतः, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को कुशल एवं दक्ष बनाए रखने, तथा उन्हें दुष्प्रयोग या उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने से रोकने के लिए; और;

(नौ) कोई भी अन्य मामले, जिन्हें नियमों के द्वारा उपबंधित किया जाना आवश्यक हो अथवा उपबंधित किया जा सकेगा।

57. **अग्निशमन वाहनों और उपकरणों का कय, अनुरक्षण तथा जीवन अवधि.–** (1) फायर टेण्डरों और संबंधित उपकरणों की खरीदी, छत्तीसगढ़ क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2004) के अनुसार की जाएगी।

(2) सभी अग्निशमन वाहनों और उपकरणों को सभी समय कार्य हेतु तैयार रखा जाएगा तथा सभी व्यय एवं भुगतान, वित्तीय शक्ति पुस्तिका, भाग–एक और दो के अनुसार किया जाएगा।

(3) चलाई गई दूरी (कि.मी. में) और उपयोग की अवधि (वर्षों में) के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों का जीवन काल, सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित अनुसार होगा :

स. क्र.	वाहनों और अग्निशमन वाहनों के प्रकार	जीवन काल
(1)	(2)	(3)
1.	वॉटर टेण्डर टाईप 'A' और 'B' तथा अन्य फायर टेण्डर वाहन	10 वर्ष या 1.5 लाख कि.मी.
2.	हाइड्रोलिक प्लेटफार्म	15 वर्ष या 1.5 लाख कि.मी.
3.	पेट्रोल द्वारा चलित पी.टी.ओ. मोटर सायकल	10 वर्ष या 1.5 लाख कि.मी.
4.	धुआं निस्सारक वाहन	10 वर्ष या 1.5 लाख कि.मी.

(4) अग्निशमन उपकरण के जीवन–काल को अनुसूची– छः में दर्शाया गया है।

58. **अग्नि के दौरान अग्निशमन अधिकारी अथवा अग्निशमन कर्मी को दुर्घटना की रिपोर्ट और क्षतिपूर्ति का भुगतान.–** अग्नि या प्राकृतिक आपदा प्रचालन के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, इस प्रकार के कार्य के दौरान घटित किसी भी दुर्घटना की रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार की किसी दुर्घटना के घटित होने पर, किसी अग्निशमन अधिकारी या अग्निशमन कर्मी को देय क्षतिपूर्ति राशि अथवा उनकी मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में उनके आश्रितों को देय क्षतिपूर्ति राशि ऐसी होंगी, जैसा कि महानिदेशक, किसी सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, राज्य शासन के अनुमोदन से निर्धारित करे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा चंपावत, विशेष सचिव.

अनुसूची–एक
(नियम 7 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण
1.	महानिदेशक	01	प्रथम श्रेणी
2.	महानिरीक्षक	01	प्रथम श्रेणी
3.	निदेशक (अति. प्रधान सेनानी, होमगार्ड, उप–महानिरीक्षक रैंक)	01	प्रथम श्रेणी
4.	निदेशक, प्रशिक्षण/प्रचालन (पुलिस अधीक्षक रैंक)	01	प्रथम श्रेणी
5.	संयुक्त संचालक (पुलिस अधीक्षक रैंक)	01	प्रथम श्रेणी
6.	स्टॉफ ऑफिसर होमगार्ड	01	प्रथम श्रेणी
7.	वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी	02	द्वितीय श्रेणी
8.	अग्निशमन तकनीकी अधिकारी	02	द्वितीय श्रेणी
9.	सहायक निदेशक (जिला सेनानी/उप पुलिस अधीक्षक रैंक)	02	द्वितीय श्रेणी
10.	जिला अग्निशमन अधिकारी	27	द्वितीय श्रेणी
11.	चिकित्सा अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी
12.	लेखा अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी
13.	कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी	02	तृतीय श्रेणी
14.	अग्निशमन अधिकारी (निरीक्षक रैंक)	30	तृतीय श्रेणी
15.	स्टेशन ऑफिसर/क्यूएम/एमटीओ	04	तृतीय श्रेणी
16.	निरीक्षक/कम्पनी कमाण्डर	06	तृतीय श्रेणी
17.	प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, अग्निशमन अधिकारी (उप निरीक्षक रैंक)	52	तृतीय श्रेणी
18.	हवलदार प्रशिक्षण	04	तृतीय श्रेणी
19.	लीडिंग फायरमैन (एलएफएम)	94	तृतीय श्रेणी
20.	मैकेनिक	04	तृतीय श्रेणी
21.	कम्पाउंडर	01	तृतीय श्रेणी
22.	पुरूष नर्स	02	तृतीय श्रेणी
23.	स्टोर कीपर	33	तृतीय श्रेणी
24.	फायरमैन	313	तृतीय श्रेणी
25.	वाहन चालक	37	तृतीय श्रेणी

6.	वाहन चालक सह ऑपरेटर	198	तृतीय श्रेणी
7.	वायरलेस ऑपरेटर (नियंत्रण कक्ष) संविदा पद	08	तृतीय श्रेणी
8.	वॉच रूम ऑपरेटर	42	तृतीय श्रेणी
9.	रसोईया (कुक)	19	तृतीय श्रेणी
0.	कार्यालय अधीक्षक	01	तृतीय श्रेणी
1.	सहायक ग्रेड– एक (मुख्य लिपिक)	03	तृतीय श्रेणी
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	04	तृतीय श्रेणी
3.	सहायक ग्रेड–दो	04	तृतीय श्रेणी
4.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	01	तृतीय श्रेणी
5.	सहायक ग्रेड–तीन	34	तृतीय श्रेणी
6.	सहायक ग्रेड–तीन (नियंत्रण कक्ष) संविदा आधारित	02	तृतीय श्रेणी
7.	भृत्य (चपरासी)	07	चतुर्थ श्रेणी

अनुसूची–दो

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं में संगठनात्मक संरचना

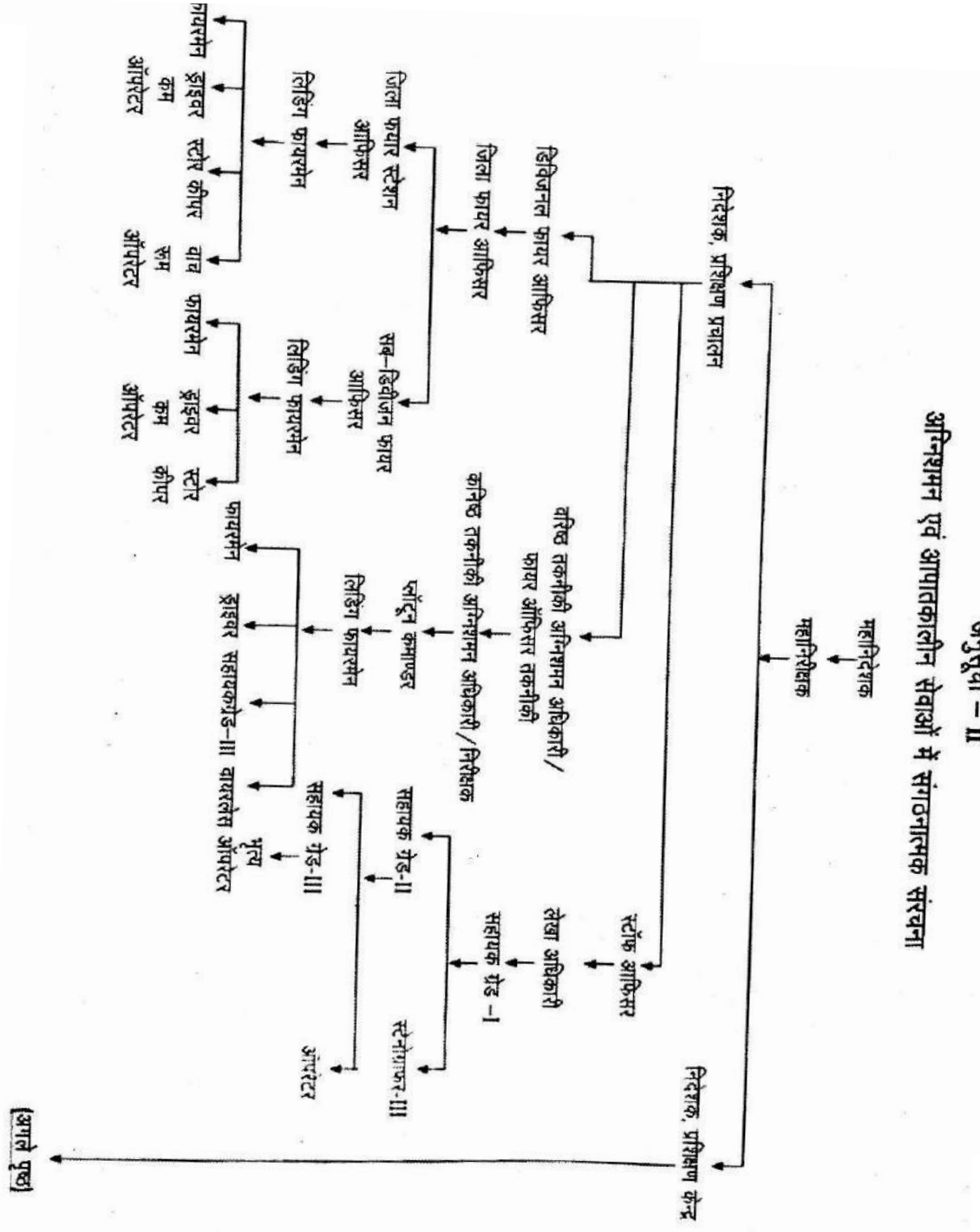

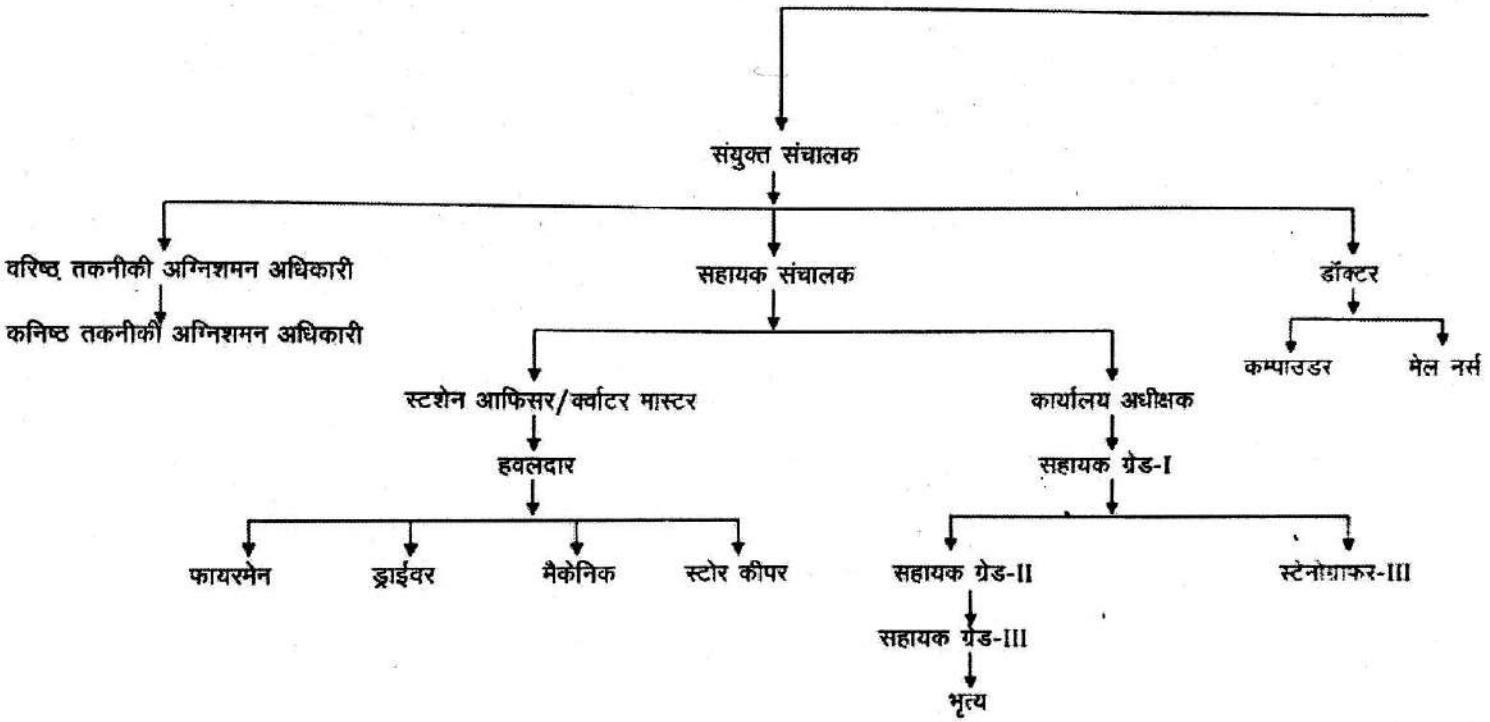
संयुक्त संचालक
वरिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी
कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी
सहायक संचालक
डॉक्टर
कम्पाउडर
मेल नर्स
स्टशेन आफिसर/क्वार्टर मास्टर
कार्यालय अधीक्षक
हवलदार
सहायक ग्रेड-I
फायरमेन
ड्राईवर
मैकेनिक
स्टोर कीपर
सहायक ग्रेड-II
स्टेनोग्राफर-III
सहायक ग्रेड-III
भृत्य

अनुसूची–तीन

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओ में रैंको के बैज

(नियम 21 देखिये)

रैंको के बैज, पीक कैप, कॉलर पैचेज तथा हेलमेट चिन्हांकन

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में विभिन्न पदों के लिए रैंको के बैज, पीक कैप, कॉलर पैचेज तथा हेलमेट के चिन्हांकन नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे :–

रैंको के बैज, पीक कैप, कॉलर पैचेज तथा हेलमेट चिन्हांकन

स. क्र.	पद का नाम	रैंक का बैज	कॉलर पैचेज	पीक कैप	हेलमेट
1.	उप–महानिरीक्षक अग्निशमन सेवा	3/4" व्यास के तीन छोटे इंपेलरों के साथ अशोक चिन्ह	नीले ब्लेजर कपड़े पर 7 से.मी. लंबी एक सिल्वर लाईन	पीक कैप पर सिल्वर बलूत (ओक) के पत्तो की एक कतार, कसीदायुक्त बैज तथा हेड लेवल के चारो ओर स्थित काला बैण्ड	12.5 मि.मी. के अलगाव (पृथकता) के साथ दो 19 मि. मी. के काले बैण्ड के साथ सफेद हेलमेट
2.	निदेशक (एसएसपी रैंक) अग्निशमन सेवा	3/4" व्यास के दो छोटे इंपेलरों के साथ अशोक चिन्ह	नीले ब्लेजर कपड़े पर 7 से.मी. लंबी एक सिल्वर लाईन	पीक कैप पर सिल्वर बलूत (ओक) के पत्तों की एक कतार, कसीदायुक्त बैज तथा हैड लेवल के चारो ओर स्थित काला बैंड	12.5 मि.मी. की अलगाव (पृथकता) के साथ दो 19 मि. मी. काले बैण्ड के साथ सफेद हेलमेट
3.	निदेशक अग्निशमन सेवा (एस पी रैंक)	3/4" व्यास के एक छोटे इंपेलर के साथ अशोक चिन्ह	–	कसीदा कढ़ाई युक्त बैज के साथ सादा पीक कैप	12.5 मि.मी. की अलगाव (पृथकता) के साथ 12.5 मि.मी. के तीन बैंड के साथ सफेद हेलमेट
4.	सहायक निदेशक (निदेशक अग्निशमन सेवा) अग्निशमन सेवा	3/4" व्यास के तीन छोटे इंपेलर + कंधे में "CFES" लिखी पट्टिका	–	कसीदा मेटल बैज के साथ सादा पीक कैप	एक 12.5 मि.मी. के काले बैण्ड के साथ सफेद हेलमेट

5.	स्टेशन आफिसर (निरीक्षक रैंक)	नीली पट्टी + कंधे में "CFES" लिखी पट्टिका के साथ 3/4" व्यास के तीन छोटे इंपेलर	–	मैटल बैज के साथ सादा पीक कैप	एक 12.5 मि.मी. के काले बैण्ड के साथ पीला हेलमेट
6.	स्टेशन आफिसर (उप निरीक्षक रैंक)	नीली पट्टी + कंधे में "CFES" लिखी पट्टिका के साथ 3/4" व्यास के दो छोटे इंपेलर	–	मैटल बैज के साथ सादा पीक कैप	पीला हेलमेट
7.	लीडिंग फायरमैन	सफेद मैटल से बने टॉप पर राऊंड सतह और बॉटम सतह पर फ्लैट के साथ अर्धवृत्त क्रास सेक्शन के साथ, 1/2" चौड़ा और $1^{1/2}$" लम्बा एक बार + "CFES" लिखित कंधे पर पट्टिका	–	मैटल बैज के साथ नेवी ब्लू बेरे कैप	काला हेलमेट
8.	वाहन चालक–सह–ऑपरेटर	कंधे + कुहनी के मध्य दाएं बाजू पर नीला पृष्ठभूमि के आधार कपड़े पर सफेद में कसीदायुक्त 2" व्यास के 3 तीलियों वाले स्टीयरिंग व्हील	–	मैटल बैज के साथ नेवी ब्लू बेरेट कैप	काला हेलमेट
9.	फायरमैन	"CFES" लिखित कंधे में लगी पट्टिका	–	मैटल बैज के साथ नेवी ब्लू बैरेट कैप	काला हेलमेट

अनुसूची–चार

(नियम–18 देखिये)

स. क्र.	मंजूरी हेतु सक्षम प्राधिकारी	प्रशस्ति का प्रकार	नगद पारितोषिक
1.	महानिदेशक	प्रशस्ति तालिका	बजट सीमा में पूर्ण शक्ति
2.	महानिरीक्षक	प्रशस्ति प्रमाणपत्र वर्ग–एक	निदेशक द्वारा प्रदेय शक्ति की तुलना में प्रशस्ति की उच्च फार्म की पात्रता रखने वाले को विशेष प्रवीणता युक्त कार्यो के लिए प्रत्येक मामले में रु0 5000/– की सीमा तक ।
3.	निदेशक प्रशिक्षण केन्द्र/निदेशक प्रशिक्षण/प्रचालन	प्रशस्ति प्रमाणपत्र वर्ग–दो	अग्निशमन के कार्य और/या बचाव कार्य के अवसर पर अग्निशमन सेवा की सहायता करने अथवा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के विशिष्ट प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मामले में रु0 3000/– की सीमा तक।
4.	जिला अग्निशमन अधिकारी	प्रशस्ति प्रमाणपत्र वर्ग–दो	अग्निशमन के कार्य और/या बचाव कार्य के अवसर पर अग्निशमन सेवा की सहायता करने अथवा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के विशिष्ट प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक मामले में रु0 500/– की सीमा तक।

अनुसूची–पांच

अग्निशमन सेवा के परिनियोजन हेतु शुल्क

(नियम–30 देखिये)

1. **स्टैण्ड–बाय ड्यूटी पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का परिनियोजन–**

महानिदेशक अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी, जिला प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से अनुरोध की प्राप्ति पर और जनहित में एवं उपलब्धता होने पर निम्नलिखित सारणी में यथा उल्लिखित प्रभारो के भुगतान पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओ से परे कर्मीदल के साथ, अग्निशमन साधन–सामग्रियों का परिनियोजन कर सकते हैं :–

स. क्र.	कर्मीदल के साथ अग्निशमन साधन–सामग्रियों का प्रकार	प्रति कॉल परिनियोजन प्रभार (रुपए)	माइलेज प्रभार (रुपये प्रति कि.मी)	पम्पिंग / प्रचालन प्रति घड़ी घंटा	अन्य प्रभार (रुपये)
1.	वॉटर टेण्डर / वॉटर बाऊजर / फोम टेण्डर / ड्राई केमिकल पावडर टेण्डर	10,000.00	25.00	1000.00	(एक) खपत हुए सान्द्रित (गाढ़ा) फोम रु. 150.00 प्रति लीटर की दर से (दो) खपत हुए DCP (MAP) रु. 110.00 प्रति कि.ग्रा. की दर से, बशर्ते कि न्यूनतम रु. 25,000.00 हो। (तीन) प्रयुक्त प्रति बी ए

					(BA) सेट के लिए रु.200.00की दर से
2.	एरियल सीढ़ी/प्लेट फार्म/हैजमैट वाहन (वैन)/बचाव टेण्डर/बचाव रिस्पाण्डर	15,000.00	150.00	—	—
3.	मोटर पम्प	2000.00	25.00	500.00	—
4.	श्वसन उपकरण वाहन	5000.00	25.00	—	प्रयुक्त प्रति बीए सेट रु. 500.00 की दर से

2. **परिनियोजन शुल्क में वृद्धि.**— परिनियोजन शुल्क में वृद्धि, शुल्क के 10% की दर से उप–खण्ड (1) के अधीन प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।

3. **सहायता हेतु अनुरोध किए जाने पर प्राधिकरण पर बिल भारित किया जायेगा.**— परिनियोजन स्थल से फायर स्टेशन में वापस पहुंचने के बाद, प्रभारी अधिकारी, जो कर्मी दल के साथ गए थे, संबंधित अधिकारी को प्रचालन कार्य और माईलेज का विवरण प्रस्तुत करेंगे, जो जिला प्राधिकारी के पास या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष, जिनके द्वारा सहायता का अनुरोध किया गया था, बिल की प्रस्तुति करेगा ।

4. **प्रादेशिक सीमाओं से परे, परिनियोजन स्टेशन ऑफिसर के प्रभार के अधीन होगा.**— उप–खण्ड (1) के अधीन प्रादेशिक सीमाओं से परे, परिनियोजन ऐसे किसी अधिकारी के प्रभार के अधीन रहेगा, जो स्टेशन ऑफिसर से कम रैंक के न हो।

अनुसूची–छः

(नियम 57 (4) देखिये)

स. क्र.	उपकरण (साधन सामग्री) का नाम	जीवन–काल
1.	मेल और फिमेल कपलिंग तथा वाशर के साथ डिलीवरी होज पाईप	02 वर्ष
2.	सक्शन रबर होज पाईप	02 वर्ष
3.	समायोजनीय हैण्ड ब्रांच पाईप	10 वर्ष
4.	आपातकालीन ब्रांच पाईप	10 वर्ष
5.	बचाव के प्रयोजन हेतु 30 मीटर लंबा मनीला रोप (रस्सी)	02 वर्ष
6.	नलका कुंजी (हाइड्रेंट की)	10 वर्ष
7.	मेल से मेल एडॉप्टर	10 वर्ष
8.	फिमेल से फिमेल एडॉप्टर	10 वर्ष
9.	बड़ी गैंती	10 वर्ष
10.	कुदाली / गैंती	10 वर्ष
11.	फावड़ा	10 वर्ष
12.	बेलचा	10 वर्ष
13.	नुकीले कांटे के साथ सीलिंग हुक	10 वर्ष
14.	होज रैम्प्स (ढलान / रपटा)	05 वर्ष
15.	बास्केट नुमा छलनी	02 वर्ष
16.	आपातकालीन ड्रैगन लाईट व्ही.डी. 1010	05 वर्ष
17.	टार्च	05 वर्ष
18.	प्राथमिक उपचार बॉक्स, 2500 सीरीज	02 वर्ष
19.	पोर्टेबल पम्प	10 वर्ष

20.	श्वसन वायु उपकरण बैक प्लैट सेट	10 वर्ष
21.	गतिमान पोल (खंभा) विस्तारक पट्टी (स्ट्रेचर)	10 वर्ष
22.	स्प्रेडर (बिछाई मशीन/विस्तारक) और कटर	15 वर्ष
23.	हस्त औजार किट (बॉक्स) मेट्रिक एवं ए/एफ 132	10 वर्ष
24.	पॉवर कोड हैण्ड ग्लोव्स (हाथ के दस्ताने)	03 वर्ष
25.	कैमाटेक्स कैनवास से निर्मित हाथ के दस्ताने	03 वर्ष
26.	सक्शन स्पैनर	10 वर्ष
27.	सक्शन रेंच	10 वर्ष
28.	सक्शन वाशर	02 वर्ष
29.	व्हील स्पैनर (पाना)	10 वर्ष
30.	इंसुलेटेड फायर मैन गैंती	10 वर्ष
31.	फोम ब्रांच शार्ट FB 2	10 वर्ष
32.	फोम ब्रांच शार्ट FB 10	15 वर्ष
33.	स्पेयर (अतिरिक्त) ऑक्सीजन सिलेण्डर	15 वर्ष
34.	सर्चलाईट हाई पॉवर एल ई डी	05 वर्ष
35.	फायर फाईटर के लिए सुरक्षात्मक लांग बूट्स	02 वर्ष
36.	फायर फाईटर के लिए फायर हेलमेट	05 वर्ष
37.	सर्च लाईट हाई पॉवर एल ई डी	05 वर्ष
38.	सुरक्षा ES016 क्लीयर गॉगल्स (साफ चश्मा)	05 वर्ष
39.	पोर्टेबल फायर पम्प फ्लोटिंग	05 वर्ष
40.	अग्निशमन उपकरण एरोसोल/केमिकल	10 वर्ष
41.	होज रील टाईप 'ए'	05 वर्ष
42.	आग में प्रवेश हेतु सूट (पोशाक)	05 वर्ष
43.	एल्युमीनियम–युक्त फायर–समीपता सूट या फायर जैकेट	05 वर्ष
44.	फायर हुक	10 वर्ष
45.	बोल्ट कटर	10 वर्ष
46.	पूर्ण बॉडी हारनेस (साज) PN 56	05 वर्ष

47.	PRT (प्रतिघातक अनुक्रिया औजार)	10 वर्ष
48.	B.A. MSA एयर एक्सप्रेस सेट	10 वर्ष
49.	विभिन्न प्रकार के गैसो के लिए गैस मास्क	05 वर्ष
50.	आपदा चेतावनी संदेश इकाई	05 वर्ष
51.	इवैक PN 407 बहु–निर्वातन, त्वरित बाहर निकलने और बचाव तथा नीचे उतरने में सहायक	10 वर्ष
52.	सिर के ऊपर लाईट	05 वर्ष
53.	निर्वातन / रिक्तता त्रिकोण	02 वर्ष
54.	गैर–चिंगारी, गैर–चुम्बकीय किट	10 वर्ष
55.	फॉल फायर	10 वर्ष
56.	हस्त प्रयुक्त गैस डिटेक्टर (जांच मापक)	10 वर्ष
57.	पैरा–अरामिड सिरेमिक PU कोटिंग नीडल स्टीक एवं पंचर मुक्त हस्त दस्ताना	05 वर्ष
58.	अग्नि सुरक्षा उपकरण किट	10 वर्ष
59.	कर्नमेन्टल रोप (रस्सी) PN 950 K	05 वर्ष
60.	पायलट चेयर IMP 005 EN 1498	05 वर्ष
61.	गर्म और ठण्डी से बचाव हेतु सुरक्षा दस्ते	02 वर्ष
62.	उच्च गुणवत्ता वाले वॉटर जेल फायर बर्न कम्बल	05 वर्ष
63.	द्वि–रंगो के साथ चालू (लाईव) स्थिति में कार्य हेतु औजार किट	05 वर्ष
64.	गतिमान स्पाईन बोर्ड स्ट्रेचर	10 वर्ष
65.	अस्पर्शी टाईप गो या नो गो उपकरण 230 के.व्ही.	05 वर्ष
66.	नीले सर्कल सभी उपांगो (पुर्जो) के साथ सुरक्षा कुषन (गद्दे) 25 वर्ग मीटर	05 वर्ष
67.	लकड़ी के लिए स्व–ऊर्जित आरी	05 वर्ष
68.	विद्युत श्रृखंला (चैन) आरी	10 वर्ष
69.	एल्युमिनियम विस्तारक सीढ़ी	10 वर्ष
70.	विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) गरारी	10 वर्ष

71.	कांक्रीट छेदन हथौड़ी	10 वर्ष
72.	सपाट बरमा छीलने वाली हथौड़ी	10 वर्ष
73.	नुकीला बरमा छीलने वाली हथौड़ी	10 वर्ष
74.	घूर्णमान (रोटरी) हथौड़ा ड्रिल	10 वर्ष
75.	रोटरी हैमर ड्रिल बिट	10 वर्ष
76.	चार आरियों के सेट के साथ पूर्ण छिद्रमय आरी	10 वर्ष
77.	सरल रेखीय गति से चलने वाली आरी	10 वर्ष
78.	सरल रेखीय गति से चलने वाली ब्लेड वुड आरी	10 वर्ष
79	सरल रेखीय गति से चलने वाली ब्लेड मेटल आरी	10 वर्ष
80.	रस्सीहीन (कॉर्डलेस) हैमर ड्रील	10 वर्ष
81.	पोर्टेबल ऑक्सीजन श्वसनीय यूनिट	10 वर्ष
82.	हेलमेट	05 वर्ष
83.	आंखों की सुरक्षा उपकरण	02 वर्ष
84.	कानों की सुरक्षा उपकरण	02 वर्ष
85.	सुरक्षा स्टील पंजे बूट	02 वर्ष
86.	काम करने के दस्ताने	02 वर्ष
87.	गम बूट/सेफ्टी बूट/अग्निशमन बूट (जूते)	02 वर्ष
88.	पोर्टेबल जलीय कुहासा प्रोद्योगिकी पैक	05 वर्ष
89.	पूर्ण पॉवर यूनिट के साथ हाईड्रॉलिक कटर	10 वर्ष
90.	पॉवर कटर (एच डी)	10 वर्ष
91.	पीड़ित/आहत को ढूढने संबंधी कैमरा	10 वर्ष
92.	कम वजन वाला (हल्का) विस्तारक (स्ट्रेचर)	10 वर्ष
93.	बचाव रपटा (रैम्स) (एच डी)	05 वर्ष
94.	आंखों की सुरक्षा उपकरण	02 वर्ष
95.	सेफ्टी (सुरक्षा) टार्च (आंतरिक सुरक्षा)	05 वर्ष
96.	अग्निशामक हेतु सुरक्षा लाइफ लाईन	02 वर्ष
97.	दोहरी दृष्टि पॉवर	05 वर्ष

98.	सुरक्षा बूट (जूते) (स्टील पंजे और केमिकल प्रतिरोध के साथ)	02 वर्ष
99.	सुरक्षा वस्त्र (पोशाक)	05 वर्ष
100.	फायर बेल (अग्नि घंटा)	10 वर्ष
101.	अग्नि सूचक हूटर/सायरन	10 वर्ष
102.	वृत्ताकार आरी (विद्युत) (संपूर्ण पूर्जा)	10 वर्ष
103.	पोर्टेबल जनरेटर 10 के.व्ही.ए. ट्राली सहित (सम्पूर्ण पूर्जा)	10 वर्ष
104.	20 के.व्ही. नक्काशीयुक्त डाई इलेक्ट्रिक जूते के साथ आर्क फ्लैश सुरक्षा किट और संमिश्रित दस्ताने ATPV 21.6 Kac	05 वर्ष
105.	बचाव लाईफ लाईन	02 वर्ष
106.	बैक–पैक कोहासा अग्निशमन इकाई (केवल किट)	05 वर्ष
107.	होज	02 वर्ष
108.	गाय–लाईन	02 वर्ष
109.	एयर ब्लोअर	10 वर्ष
110.	सर्च लाईट	10 वर्ष
111.	ब्रश	02 वर्ष
112.	प्राथमिक उपचार/चिकित्सा बॉक्स	02 वर्ष
113.	फायर जापानी पम्प	05 वर्ष
114.	सेक्शन मेटल स्ट्रेनर (छलनी)	10 वर्ष
115.	डिवाईडिंग ब्रीचिंग	10 वर्ष
116.	द्विपथवर्ती कलेक्टिंग हेड	10 वर्ष
117.	त्रिपथवर्ती कलेक्टिंग हेड	10 वर्ष
118.	नोजल पाना	10 वर्ष
119.	सक्शन कपलिंग	05 वर्ष
120.	शार्ट ब्रांच	10 वर्ष
121.	पम्प फूट वॉल्व	10 वर्ष
122.	सक्शन रेंच पाना	10 वर्ष
123.	ABC अग्निशामक	10 वर्ष

124.	CO2 अग्निशामक	10 वर्ष
125.	X- रेग्यूलर ब्रांच	10 वर्ष
126.	FB 10 X ब्रांच	10 वर्ष
127.	FB 5 X ब्रांच	10 वर्ष
128.	फायर होज बॉक्स	10 वर्ष
129.	आयरन बकेट	10 वर्ष
130.	को बार	10 वर्ष
131.	निम्न दाब एप्लीकेटर	10 वर्ष
132.	रिवाल्विंग (परिक्रामी) ब्रांच	10 वर्ष
133.	फॉग नोजल	10 वर्ष
134.	हस्त नियंत्रण ब्रांच	10 वर्ष
135.	तिहरा उद्देश्य ब्रांच	10 वर्ष
136.	लांग रोप्स	02 वर्ष
137.	अग्नि सुरक्षा चश्मा	02 वर्ष
138.	हथौड़ा (हैमर)	10 वर्ष
139.	शार्ट ब्रांच	10 वर्ष
140.	शार्ट नोजल	10 वर्ष
141.	T.P ब्रांच	10 वर्ष
142.	लंदन पैटर्न ब्रांच	10 वर्ष
143.	होज लपेटने की मशीन	05 वर्ष
144.	फोम ब्रांच 10 X	10 वर्ष
145.	होज कैनवास	02 वर्ष
146.	होज रबर	02 वर्ष
147.	ऑक्सीजन किट	05 वर्ष
148	हैंड ग्लब्स	02 वर्ष
149.	पोर्टेबल जनरेटर	10 वर्ष
150.	सक्शन मेल (एडाप्टर)	10 वर्ष

151.	मॉनिटर	10 वर्ष
152.	होज रील	05 वर्ष
153.	रबर लाईन होज	05 वर्ष
154.	ब्रांच स्टीम फोम	10 वर्ष
155.	डी पी पावडर सिलेण्डर	10 वर्ष
156.	फोम गाढ़ा	05 वर्ष
157.	10 X मॉनिटर	10 वर्ष
158.	उच्च विस्तार फोम मॉनिटर	10 वर्ष
159.	पिक–अप ट्यूब (छोटा)	05 वर्ष
160.	एल्युमिनियम ठोस ब्रांच	10 वर्ष
161.	कनेक्टिंग डिवाईडर ब्रांच	10 वर्ष
162.	स्ट्रेचर (विस्तारक)	05 वर्ष
163.	फोम पाईप	02 वर्ष
164.	छलनी (जाली)	05 वर्ष
165.	ठोस ब्रांच	10 वर्ष
166.	फोम ब्रांच	10 वर्ष
167.	मैकेनिकल फोम	05 वर्ष
168.	AFT (ए एफ टी)	10 वर्ष
169.	लाईफ जैकेट	05 वर्ष
170.	वॉटर मिस्ट एयर सिलेण्डर	10 वर्ष
171.	वॉटर मिस्ट अग्निशामक	10 वर्ष
172.	द्विपथी फायर इनलेट	10 वर्ष
173.	स्टील ब्रांच	10 वर्ष
174.	पीतल ब्रांच	10 वर्ष
175.	ब्रांच निप्पल	10 वर्ष
176.	फायर प्रूफ सूट	10 वर्ष
177.	चेन आरी	10 वर्ष

178.	फोल्डिंग स्ट्रेचर (विस्तारक)	10 वर्ष
179.	ऑखों का चश्मा	02 वर्ष
180.	पोर्टेबल (परिवहनीय) फायर पम्प	10 वर्ष
181.	साधारण ब्रांच	10 वर्ष
182.	डिफ्यूजर ब्रांच	10 वर्ष
183.	मेटल छलनी	10 वर्ष
184.	DCP (डी सी पी) अग्निशामक	10 वर्ष
185.	बकेट	10 वर्ष
186.	फायर हुक	10 वर्ष
187.	एयर लिफ्टिंग बैग	10 वर्ष
188.	एयर सिलेण्डर	10 वर्ष
189.	लांग (लम्बा) ब्रांच	10 वर्ष
190.	डिलीवरी होज पाईप	05 वर्ष
191.	कार्बन–डाई–ऑक्साईड (CO_2) कार्ट्रिज पैक	10 वर्ष
192.	भण्डारित प्रेशर सिलेण्डर	10 वर्ष
193.	फायर बीटर	10 वर्ष
194.	DCP शामक	10 वर्ष
195.	सीलिंग हुक (बड़ा)	10 वर्ष
196.	सीलिंग हुक (छोटा)	10 वर्ष
197.	रबर के दस्ताने	02 वर्ष
198.	इलेक्ट्रिक दस्ताने	02 वर्ष
199.	कैनवास के फायर सूट (पोशाक)	10 वर्ष
200.	लाईफ डिटेक्टर MK-I, II	10 वर्ष
201.	पीड़ित/आहत के स्थल का उपकरण और श्वसन प्रणाली	10 वर्ष
202.	बहु–गैस डिटेक्टर (संसूचक)	05 वर्ष
203.	रोटरी (वृत्ताकार) बचाव सॉ 14", डायमण्ड ऊपरी ब्लेड के साथ	10 वर्ष
204..	बुलेट चैन सॉ (आरी) 16"	10 वर्ष

205.	डायमण्ड चैन सॉ (आरी)	10 वर्ष
206.	संयुक्त कटर एवं स्प्रेडर	10 वर्ष
207.	वृत्ताकार आंरी (सॉ) (इलेक्ट्रिकल) 16" व्यास	10 वर्ष
208.	रैमसेट मैचिंग बूट पम्प सहित	10 वर्ष
209.	हाईड्रॉलिक जैक, 20 टन	10 वर्ष
210.	कोम 1.5 टन के साथ	12 वर्ष
211.	हैमर ड्रिल कांक्रीट	10 वर्ष
212.	गैस कटर हेतु रेगुलेटर	10 वर्ष
213.	आक्सीजन सिलेण्डर	10 वर्ष
214.	एयर सिलेण्डर के साथ एयर लिफ्टिंग बैग सेट	10 वर्ष
215.	बहु–कैबल विंच (गरारी)	10 वर्ष
216.	मशीनी आरा जो आगे–पीछे (होकर) चलता है	नष्ट होने योग्य
217.	मशीनी आरा जो आगे–पीछे (होकर) चलता है लकड़ी का ब्लेड	नष्ट होने योग्य
218.	मशीनी आरा जो आगे–पीछे (होकर) चलता है मेटल का ब्लेड	10 वर्ष
219.	चिपिंग हैमर (हथौड़ा)	नष्ट होने योग्य
220.	सीधा बिट्स चिपिंग हैमर (हथौड़ा)	नष्ट होने योग्य
221.	नुकीले बिट्स चिपिंग हैमर (हथौड़ा)	नष्ट होने योग्य
222.	इलेक्ट्रिक ड्रिल	10 वर्ष
223.	इलेक्ट्रिक ड्रिल बिट सेट	नष्ट होने योग्य
224.	रोटरी हैमर ड्रिल	10 वर्ष
225.	रोटरी हैमर ड्रिल बिट	नष्ट होने योग्य
226.	की–होल सॉ (आरी), चार आरी सेट के साथ संपूर्ण	नष्ट होने योग्य
227.	कॉर्डलेस हैमर ड्रिल	05 वर्ष
228.	कॉर्डलेस हैमर ड्रिल बिट सेट	नष्ट होने योग्य
229.	कॉर्डहीन हैमर ड्रिल हेतु स्पेयर बैटरी	02 वर्ष
230.	परिवहनीय (पोर्टेबल) जनरेटर 2.5 KVA	10 वर्ष (बैटरी 02 वर्ष)

231.	पोर्टेबल जनरेटर सेट 10.5 KVA	10 वर्ष (बैटरी 02 वर्ष)
232.	स्फीती योग्य लाइटिंग टॉवर	05 वर्ष
233.	बोल्ट कटर 14 इंच	05 वर्ष
234.	बोल्ट कटर 30 इंच	05 वर्ष
235.	वॉटर प्रुफ–रिफ्लेक्टिव जैकेट	05 वर्ष
236.	सेफ्टी हेलमेट	05 वर्ष
237.	बूट्स हार्ड टो स्टील	05 वर्ष
238.	सेफ्टी (सुरक्षा) टार्च	05 वर्ष
239.	वॉटर बॉटल (हल्का वजन, सुरक्षित कैरियर के साथ)	05 वर्ष
240.	मेगा फोन	07 वर्ष
241.	नायलोन रस्सी, 100 मी. रोल	नष्ट होने योग्य
242.	फूल–बॉडी हार्नेस	03 वर्ष
243.	हैवी ड्यूटी वर्क दस्ताने	नष्ट होने योग्य
244.	सुरक्षा चश्मा	नष्ट होने योग्य
245.	हेड लाईट	नष्ट होने योग्य
246.	नाक के मास्क	नष्ट होने योग्य
247.	धूल से बचाव हेतु मास्क	नष्ट होने योग्य
248.	घुटना पैड कुशन 1 इंच	नष्ट होने योग्य
249.	उच्च दाब श्वसन एयर कंप्रेशर/डीजल ड्राईवन (8.5 से 9)	15 वर्ष

पासपोर्ट
आकार का
फोटो

प्ररूप–क
नियुक्ति प्रमाणपत्र
(नियम 17 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन,

अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं मुख्यालय, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

स. क्र.————————

दिनांक————————

नियुक्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ————————————

पिता श्री ————————————————————

निवासी ————————————————————

जिनका फोटो इस प्रमाणपत्र के ऊपरी दांहिनी कोने में दर्शित है, को छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 (क्र. 19 सन् 2018) की धारा 10 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किया जाता है और उन्हें दिनांक———— से अग्निशमन सेवा के सदस्य की शक्तियॉं, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियॉं प्रदान की जाती हैं।

सामान्य परिस्थितियों में श्री ———————————— के सेवानिवृत्ति की तिथि ———————— है।

सदस्य का नाम और हस्ताक्षर
स्थल————————

————————
अनुप्रमाणन कर्ता
महानिदेशक
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा
तथा राज्य आपदा मोचन बल
छत्तीसगढ़

प्ररूप–ख

पण्डाल लगाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र का प्ररूप

(नियम 34 देखिये)

अधिनियम की धारा 15 के अधीन पण्डाल लगाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र

मैं ———————————— (पण्डाल लगाने वाले का नाम), जिसका पंजीकृत कार्यालय ———————————— में है, एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ————————————(स्थल) पर निर्मित पण्डाल जिसका क्षेत्रफल ———— मीटर———— मीटर है, अपने निर्मित स्थल पर दिनांक ———— से ———— तक यथावत् रहेगा और यह कि इसमें छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2021 के नियम 33 के अधीन यथा आवश्यक अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों का प्रावधान किया गया है और आगे यह कि, पण्डाल का सम्पूर्ण निर्माण तथा विद्युत सेवाएं मानकों के अधीन हैं।

यह भी घोषणा की जाती है कि पण्डाल में किसी भी प्रकार की ज्वलनशील द्रव्य का प्रयोग या गैस/गैसों का भण्डारण नहीं किया गया है और यह कि पण्डाल में इलेक्ट्रिकल वायरिंग का कार्य अधिकृत व्यक्तियों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा एवं विद्युत सप्लाई के उपायों से संबंधित) विनियम, 2010 का अनुपालन करते हुए किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि पण्डाल के उपयोग के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षित अग्निशमन स्टॉफ ड्यूटी पर उपस्थित रहेंगे :–

1. ————————————
2. ————————————
3. ————————————

पण्डाल की स्थापना करने वाले
का हस्ताक्षर

दिनांक ————————
स्थान————————

प्ररूप—ग

अपील हेतु प्ररूप

(नियम 50 देखिये)

अपीलीय प्राधिकारी को अपील का प्ररूप

दिनांक————————की अपील संख्या ——————————————————
श्री——————————————————पिता श्री ——————————————————
निवासी—————————————————————————————— अपीलार्थी बनाम नामित प्राधिकारी/महानिदेशक/अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधिकृत सदस्य— प्रतिवादी श्री ——————————————————————नामित प्राधिकारी/महानिदेशक/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट के नोटिस/आदेश, दिनांक———— के विरूद्ध धारा———————————— के तहत् एतद्द्वारा अपील करते है ।

महोदय,

अपीलार्थी एतद्द्वारा निम्नानुसार सादर निवेदन करता है :—

1. तथ्यों का विवरण
2. अपील का आधार
3. पावती संख्या ———————— दिनांक ———————— के तहत यथा निर्धारित शुल्क (राज्य शासन द्वारा यथा निर्धारित) का भुगतान कर दिया गया है ।
4. समयावधि के भीतर अपील की गई है
5. इस अपील की विषयवस्तु से संबंधित कोई अन्य अपील या कोई अन्य मामला विधि के किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. राहत/अनुतोष का दावा किया गया है।

————————————————————————

अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है का हस्ताक्षर

अपीलार्थी का नाम और हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं———————————— अपीलार्थी एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य मेरी सम्पूर्ण व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के साथ सत्य है और मैंने किसी भी सारभूत तथ्य/तथ्यों को छुपाया नहीं है।

आज दिनांक ———————— को सत्यापित किया गया।

स्थान ————————————

दिनांक————————————

अधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है,
का हस्ताक्षर

अपीलार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

प्ररूप—घ

(छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 के विनियमन हेतु नियम 44(1) देखिये)

परिसरों में प्रवेश व निरीक्षण हेतु नोटिस

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 44 द्वारा सशक्त, मैं ——————————————————एतदद्वारा आपको नोटिस देता हूँ कि दिनांक ————————————————को

1. मैं अधिनियम और इसके तहत् सृजित नियमों के अधीन, यथा आवश्यक अग्नि की रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों की पर्याप्तता अथवा उल्लंघन, जांच कर पता लगाने हेतु ———————— पर स्थित आपके परिसर में प्रवेश और निरीक्षण करूँगा।

निरीक्षण अधिकारी

सेवा में,

स्वामी / कब्जाधारी————————————

————————————————

————————————————

टीपः— प्रतिवेदन / अवलोकनार्थ पृथक शीट संलग्न किया जा सकेगा।

प्ररूप—ड.

अग्नि की रोकथाम/सुरक्षा उपायों के उल्लघंन हेतु नोटिस (छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2018 के विनियमन हेतु नियम 47 (7) देखिये)

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 की धारा 33 एवं छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2021 के नियम 44 द्वारा सशक्त, मैं———————————————एतद्द्वारा, आपकी जानकारी में यह लाना चाहता हूँ कि आपने अपने परिसरों में अपेक्षित अग्नि रोकथाम और सुरक्षा उपायों को नही अपनाया है और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2021 के शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके कारण आपने परिसरों के अंदर और उसके आसपास के रहवासियों के जीवन और संपत्तियों को खतरे में डाला है। अतः एतद्द्वारा आपको यह सूचित किया जाता है कि आप तत्काल अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त कर इस निर्देश का पालन करें अन्यथा विधि के प्रावधानों के अनुसार आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिस की प्राप्ति तिथि से ————————— दिनांक के भीतर अपने परिसर (रों) में अग्नि रोकथाम और अग्निसुरक्षा उपायों का प्रावधान यथाशीघ्र स्थापित करने के लिए भी आपको सूचित किया जाता है और यह कि ऐसा न करने की स्थिति में आपकी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

स्थान———————————

दिनांक ———————————

महानिदेशक/प्राधिकृत सदस्य

प्ररूप–च

(छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम, 2018 के विनियमन हेतु नियम 46 (7) देखिये)

सीलिंग के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस

जैसा कि, जनहित और सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह आवश्यक है, मैं एतद्द्वारा आपको, अर्थात् श्री/श्रीमती ———————————— मेसर्स———————— (फर्म/कंपनी/व्यापार/मालिक/कब्जाधारी) को, जिनके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र संख्या————दिनांक———— धारित है/नहीं है, (जो लागू न हो, काट दें) निर्देशित करता हूँ कि अग्निशमन प्रणाली को संतोषजनक कार्यरत स्थिति में अनुरक्षित नहीं रखने के कारण अथवा दोषपूर्ण स्थिति में रखा जिसमें निम्नलिखित दोष पाये गये, जिसके कारण अपने परिसरों में या इसके चारों ओर रहवासियों और लोगों के जीवन तथा संपत्तियों को खतरे में डाला है :

1.

2.

3.

4.

5.

एतद्द्वारा नोटिस लेते हुए आपको उपर्युक्त दोषों को दूर करने/सुधारने और अग्निसुरक्षा प्रणाली को पुनः स्थापित कर सुचारू रूप से कार्यरत स्थिति में लाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि इस नोटिस की प्राप्ति तिथि से 15 दिन के भीतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, अन्यथा आपको जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया जाएगा अथवा आपके द्वारा प्रस्तुत नवीनीकरण के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपके भवनों/परिसरों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 की समुचित धाराओं के अंतर्गत विधिक में आपके विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।

आपसे इस नोटिस की प्राप्ति की पावती, इसकी दूसरी प्रति (डुप्लीकेट) में देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

अग्निशमन अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक———————

स्थान ———————

श्री ———————

———————

———————

प्ररूप—छ

(नियम 47 (1) देखिये)

प्रतिवेदन

(जो लागू न हो, उसे काट दें)

1. जिला ——————————————————————

अग्निशमन केन्द्र————————————————————

वर्ष ——————————————प्रतिवेदन क्रमांक————

दिनांक ——————

2. (एक) अधिनियम—————— धारा (ए)——————

(दो) अधिनियम—————— धारा (ऍ)——————

(तीन) अधिनियम—————— धारा (ऍ)——————

(चार) अन्य अधिनियम और————— धारा (ऍ)—————

3. (क) स्टेशन डायरी संदर्भ : प्रविष्टि सं.———— समय————

(ख) घटना का: दिन ——— दिनांक ———— समय————

(ग) सूचना प्राप्ती का: दिनांक ————— समय —————

(घ) फायर स्टेशन से डिस्पैच की तिथि —————

4. सूचना का प्रकार : लिखित/मौखिक

दुर्घटना स्थल : ——————————————————

5. (क) फायर स्टेशन से दिशा और दूरी ——————

(ख) पता : ——————————————————

(ग) इस फायर स्टेशन की अधिकारिता सीमा से बाहर होने की स्थिति में अन्य फायर स्टेशन का नाम —————— जिला —————

6. शिकायकर्ता/सूचनादाता :

(क) नाम ——————————————————

(ख) पिता/माता/पति का नाम ————————————

(ग) दिनांक/जन्म वर्ष ————————————

(घ) राष्ट्रीयता ————————————

(ड.) पता : ————————————

(च) पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेंस/मतदाता पहचान पत्र सं.————

जारी तिथि ———— जारी करने का स्थान ————

(छ) व्यवसाय ————————————

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात/अपराधी का विवरण (पृथक शीट संलग्न करें,यदि आवश्यक हो)

————————————

————————————

8. शिकायतकर्ता/सूचनादाता द्वारा सूचना देने में विलम्ब का कारण

————————————

————————————

9. चोरी गई/नुकसान हुई/संबंधित संपत्तियों का विवरण (पृथक शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो) ————————————

10. चोरी गई/नुकसान हुई/संबंधित संपत्तियों का अनुमानित मूल्य

————————————

11. प्रतिवेदन के तत्वों का विवरण (पृथक शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)

————————————

————————————

12. की गई कार्रवाईः चूंकि उपर्युक्त रिपोर्ट से धारा————————————

के तहत् विवरण 2 में यथा उल्लिखित) अपराध (धों) का होना उजागर

होता है, अतः अपराध पंजीकृत किया जाता है **और जांच** किए जाने/जांच न करना/करने हेतु निर्देशित किया जाता है/ जांच पहले ही आरम्भ की जा चुकी है/अधिकारिता की दृष्टिकोण से जांच को ———————— फायर स्टेशन को स्थानांतरित किया जाता है।

रिपोर्ट को परिवादी (शिकायतकर्ता)/सूचनादाता को पढ़कर सुनाया गया, सही रूप से दर्ज किया जाना स्वीकृत किया गया और शिकायतकर्ता/सूचनादाता को इसकी प्रति निःशुल्क दी गई।

प्रभारी, फायर स्टेशन का हस्ताक्षर,
नाम सहित————————
रैंक ————————
पर्सनल नं.————————
(यदि कोई है)
दिनांकः ————————
शिकायतकर्ता/सूचनादाता
का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्ररूप–ज

[(नियम 47 (2) देखिये)]

केस डायरी

फायर स्टेशन ———————————— जिला ————————

सूचना रिपोर्ट सं.———————— वर्ष ———————— केस डायरी सं.–

धारा ————————————————————

दुर्घटना घटित होने की तिथि एवं स्थान

————————————————

कार्रवाई करने की और स्थान दौरा करने की तिथि (घण्टा सहित) ————————	जांच का रिकार्ड

विवेचन अधिकारी का हस्ताक्षर

प्ररूप—झ

अंतिम रिपोर्ट / शिकायत
(नियम 47 (2) देखिये)
रिपोर्ट
(जो लागू न हो, उसे काट दें)

समक्ष न्यायालय ——————————————————

1. जिला —————————— फायर स्टेशन——————————
   वर्ष —————— रिपोर्ट सं.—————— दिनांक ——————
2. अंतिम रिपोर्ट / चार्जशीट (आरोप पत्र) सं. ——————————
3. दिनांक ——————————————————
4. (एक) अधिनियम—————————— धारा(ऍ)——————————
   (दो) अधिनियम——————————धारा(ऍ)——————————
   (तीन) अधिनियम——————————धारा(ऍ)——————————
   (चार) अन्य अधिनियम और धारा (ऍ) ——————————
5. अंतिम प्रारूप का प्रकार :
   साक्ष्य / अन्य चाहने हेतु चार्ज शीट नहीं किया जा रहा / कोई सूची नहीं / अघटित / आरोप प्रपत्र ——————
6. यदि रिपोर्ट अपेक्षित हो: झूठा / तथ्य की गलती / कानून की गलती / असंज्ञेय
   ——————————————————
7. संदर्भित नोटिस :
   (क) तामिल / तामिल नहीं
   (ख) प्रतिलिपि संलग्न : हाँ / नहीं (यदि नहीं,तो कारण बताऍ)——————
8. यदि पूरक अथवा मूल है? ——————————
9. जांच अधिकारी / अधिकारियों का नाम, रैंक और नं. (यदि कोई है)——————
10. (क) परिवादी / सूचनादाता का नाम ——————————
    (ख) पिता / माता / पति का नाम ——————————
11. परिवादी / सूचना दाता को परिणाम सूचित करने की तिथि ——————

12. जांच के दौरान् बरामद/जब्त संपत्तियों/वस्तुओं/दस्तावेजों का विवरण और जिन पर निर्भर रहकर जांच की गई (पृथक सूची संलग्न की जा सकती है, यदि आवश्यक हो)

सं. क्र.	संपत्ति का विवरण	अनुमानित मूल्य (रू. में)	फायर स्टेशन संपत्ति रजिस्टर नं.	किससे/कहॉ से बरामद या जब्त किया गया	निपटान

13. आरोपित व्यक्तियों, जिनको चार्जशीट किया गया, का विवरण :

क्रम संख्या----------

(एक) नाम ----------

क्या सत्यापित किया गया है – हाँ / नहीं

(दो) पिता/माता/पति का नाम ----------

(तीन) जन्म तिथि/वर्ष ----------

(चार) लिंग ----------

(पांच) राष्ट्रीयता ----------

(क) पासपोर्ट/अन्य पहचान पत्र संख्या----------

(ख) जारी तिथि ----------

(ग) जारी होने का स्थान ----------

(छः) धर्म ----------

(सात) क्या अ.जा./अ. जनजाति है? ----------

यदि हां, तो जाति...../जनजाति.....

(आठ) व्यवसाय

(नौ) विवरणात्मक विशेषतायें----------

(दस) पता ----------

क्या सत्यापित किया गया ? हॉ / नहीं

(ग्यारह) संदर्भ सहित पिछला दोष सिद्ध मामला, यदि कोई है:

(बारह) आरोपी की विशेषतायें :

पुलिस द्वारा अग्रेषित / जमानत प्राप्त / न्यायालयीन जमानत प्राप्त / पुलिस अभिरक्षा में / न्यायालयीन अभिरक्षा में / फरार / उद्घोषित अपराधी / गिरफ्तार नहीं (पृथक शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)

14. आरोपित व्यक्ति (यों) का विवरण, जो आरोप पत्रित (चार्जशीटेड) नहीं हैं (संदेही हैं)

क. सं. ----------

(एक) नाम ----------

(दो) पिता / माता / पति का नाम ----------

(तीन) जन्मतिथि / वर्ष ----------

(चार) लिंग ----------

(पांच) राष्ट्रीयता ----------

(छः) पासपोर्ट / अन्य पहचान पत्र संख्या----------

जारी तिथि ----------

(सात) जारी होने का स्थान ----------

(आठ) धर्म ----------

(नौ) क्या अ.जा. / अ.ज.जा. है? ----------हॉ / नहीं --------

जाति...../जनजाति.....

(दस) व्यवसाय ----------

(ग्यारह) पता ----------

क्या सत्यापित किया गया ? हॉ / नहीं

(बारह) संदर्भ सहित पिछला दोषसिद्ध मामला, ----------

(तेरह) आरोपी की विशेषताऐं :

पुलिस द्वारा अग्रेषित / जमानत प्राप्त / न्यायालयीन जमानत प्राप्त / पुलिस अभिरक्षा में / न्यायालयीन अभिरक्षा में / फरार / उद्घोषित अपराधी / गिरफ्तार नहीं (पृथक शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)

(चौदह) किस अधिनियम / धारा (ओं) के अधीन----------

(पन्द्रह) आरोप पत्रित नहीं होने के कारण सहित कोई विशेष टिप्पणी/टिप्पणियॉ

(पृथक शीट संलग्न करें, यदि आवश्यक हो)

15. परीक्षण किए जाने वाले साक्षियों का विवरण :

स. क्र.	नाम	पिता/माता / पति का नाम	जन्म तिथि / वर्ष	व्यवसाय	पता	पेश किये जाने वाले साक्ष्य का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

16. यदि रिपोर्ट झूठी है, तो की गई कार्रवाई का उल्लेख करें अथवा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई :----------

17. प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम ----------

18. मामले का संक्षिप्त विवरण : ----------

प्रेषित शीट

अंतिम रिपोर्ट/आरोप प्रस्तुत करने वाले जांच अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ----------

रैंक ----------

पर्सनल नं.----------

(यदि कोई हो)

दिनांक----------

प्रभारी अधिकारी का हस्ताक्षर

रैंक ----------

प्ररूप–ञ

(नियम 47 (3) देखिये)

पंचनामा

प्रकरण सं. ————————

स्थान ————————

दिनांक ————————

समय ————————

1. फर्म का नाम व पता ————————————————————

2. उपस्थित प्रभारी व्यक्ति का नाम व पता ————————————————

3. पंचों के नाम व पता :

(1) श्री / श्रीमती / कुमारी————————————————

पिता / माता / पति का नाम ————————————

निवासी ————————————————————

आयु ———————— वर्ष ————————

व्यवसाय ————————————————

(2) श्री / श्रीमती / कुमारी ————————————————

पिता / माता / पति का नाम ————————————

निवासी ————————————————————

आयु ———————— वर्ष

व्यवसाय ————————————————

हम ऊपर उल्लिखित पंचगणों को आज दिनांक ———————— को श्री ———————— पदनाम ————————स्थान ———————— द्वारा ———— के पते पर स्थित फर्म ———————— (फर्म का नाम) से कुछ संपत्ति(यों) की जब्ती कार्य में गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है जिन्हें हमारे समक्ष उक्त फर्म के परिसरों में रखा होना बताया गया तथा हमें दिखाया गया। उक्त

अग्नि **रोकथाम अधिकारी** द्वारा उधोउल्लिखित संपत्तियों को जब्त किया **गया. जिसे** हमने सही पाया :–

स. क्र.	स्थान जहां से जब्ती की गई	जब्त संपत्ति(यों) का विवरण	मात्रा	जब्ती और निरोध का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पंचानामा को हमें पढ़कर सुनाया गया और इसे समझाया गया और हमारे द्वारा देखे जाने पर हमने इसे सही पाया।

पंचगणों के हस्ताक्षर जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर

1. ————————

2. ————————

पंचनामा की प्रति प्राप्त हुई।

————————————

परिसरों के प्रभारी व्यक्ति का हस्ताक्षर

प्ररूप–ट

(नियम 47 (3) देखिये)

सम्पत्ति जब्ती ज्ञापन

प्रति,

नाम ———————————— दिनांक व समय ————————

पंचनामा स्थल का पता ————————प्रकरण संख्या ————————

पंचों के नाम व पता :–

1. ————————

2. ————————

आपके निम्नलिखित संपत्ति(यों) को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 के विनियमन हेतु नियम 47 (3) के अधीन नीचे दर्शाए गए कारणों से जब्त/निरूद्ध किया गया है :–

स. क्र.	स्थान जहां से जब्ती की गई	जब्त संपत्ति(यों) का विवरण	मात्रा	जब्ती/निरोध का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

उस व्यक्ति का हस्ताक्षर
जिनकी संपत्ति(यों) को
जब्त/निरोध किया गया

जांच अधिकारी का हस्ताक्षर

गवाहों के हस्ताक्षर

1. ————————

2. ————————

प्ररूप–ठ

(नियम 47 (8) देखिये)

व्यतिक्रमी के अभियोजन हेतु जारी किया जाने वाला कारण बताओ नोटिस

जनहित और सुरक्षा में, मैं एतदद्वारा, श्री/श्रीमती ———————— मेसर्स ————————(फर्म/कंपनी/व्यापार/स्वामी/कब्जाधारी), अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र सं. ——— दिनांक ————————के धारक को निर्देशित करता हूँ कि आपने अपने भवन/परिसर में अग्निशमन प्रणाली को उचित एवं संतोषजनक कार्यरत स्थिति में रखने संबंधी निहित शर्तों का उल्लंघन किया है, जिसके कारण आपके परिसर(रों) में और उसके आसपास के रहवासियों और स्थित संपत्तियों के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। वहाँ निम्नलिखित कमियाँ/दोष पाया गया :–

1. ————————
2. ————————
3. ————————
4. ————————

उल्लिखित मदों को देखते हुए/आपको उक्त दोषों का निवारण कर इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर अग्निसुरक्षा को पुनः सुनिश्चित कर सुरक्षित बनाने हेतु निर्देशित किया जाता है। अन्यथा आपको जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया जाएगा या आपके द्वारा आवेदित नवीनीकरण आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 की धारा 35 के अधीन विधि के न्यायालय में अभियोजन हेतु आपके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

दिनांक ————————

स्थान ————————

जाँच अधिकारी का हस्ताक्षर

श्री ————————

————————

प्ररूप–ड

सहायक अग्निशमन बल के सदस्यों की नियुक्ति प्रमाण पत्र
(अधिनियम के अध्याय दो की धारा–4 एवं नियम का नियम क्रमांक 16 देखिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ———————— पिता ————————निवासी ———————————— पुलिस स्टेशन ———————— जिला ———— को छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं अपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 की धारा 4 के अधीन दिनांक ———— को ———————— के रैंक में सहायक अग्निशमन बल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा नियम, 2021 के नियम 16 में यथा उल्लिखित सेवा के सदस्य के रूप में शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार प्रदत्त किया जाता है।

नोट :– पहचान चिन्ह :

1. ————————————

2. ————————————

महानिदेशक
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा
अथवा
प्राधिकृत अधिकारी

अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2021

क्रमांक एफ 13-33/दो-गृह/न. से./2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-33/दो-गृह/न. से./2019, दिनांक 7-10-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा चंपावत, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 7th October 2021

NOTIFICATION

No. F-13-33/two-Home/Home Gard/2019.— In exercise of the powers conferred by Section 59 of "The Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act, 2018 (No. 19 of 2018), the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules for regulating the organization, condition of service, levy of fine, tax and other charges and matters related thereto, namely:-

RULES

CHAPTER- I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called as The Chhattisgarh Fire and Emergency Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "**Act**" means the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act, 2018 (No. 19 of 2018);
(b) "**Form**" means the form appended to these rules;
(c) "**Schedule**" means the Schedule appended to these rules;
(d) "**Section**" means the Sections of the Act;
(e) "**Sub-Section**" means the sub-sections of the Act;

(2) The words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

(d) **"Section"** means the Sections of the Act;

(e) **"Sub-Section"** means the sub-sections of the Act;

(2) The words and expressions used in these rules, but not defined, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

CHAPTER-II
ORGANIZATION

3. Constitution of Fire Divisions.– The State Government may create fire divisions in the State, according to the exigency of the fire situation, by a separate notification.

4. Constitution of Fire Districts.– There shall be, in every revenue district, a Fire District, or any other district as may be created by the Government by a general or special order, in the State of Chhattisgarh for the purposes of Section 9 of the Act, as per the contingencies of work.

5. Constitution of Fire Sub-divisions.– (1) There shall be, in every revenue sub-division, a fire sub-division in the State of Chhattisgarh as per the contingencies of work, for the purposes of sub-section (2) of Section 9 of the Act.

(2) Each of the Fire Sub-Divisions shall have fire stations as the government may notify later.

(3) Each Fire Station shall be under the charge of a Station Fire Officer who may be assisted by one or more Sub-Officers in discharging of his duties.

6. Constitution of Service.– (1) From the date of commencement of these rules, there shall be constituted the Chhattisgarh Fire and Emergency Service.

(2) The Government may, from the commencement of these rules, appoint any person for service, who from the commencement of these rules is holding, in a substantive capacity, any post included in the cadre of the service:

Provided that, for the purpose of initial Constitution of Service, the person holding any post, in substantive capacity, for which he was appointed by the competent authority under rules included in the cadre of the service, in its sanctioned scale of pay shall deemed to have been appointed to the service under these rules if he/she is fully qualified to hold the post under these rules unless he/she opts otherwise within 15 days from the commencement of these rules.

Explanation:-The word "holding" means any person holding any post included in the cadre of the Chhattisgarh Fire and Emergency Services in its sanctioned scale of pay on regular basis under orders of the competent authority and will not cover the person holding a post on ex-cadre/deputation basis or on ad-hoc basis.

7. Strength and Composition of the Service.- (1) The authorized permanent and temporary strength of the cadre and the nature of the posts included therein shall be determined by the Government, from time to time, and shall, at the initial Constitution of the service under these rules, be such as specified in the **Schedule-I** annexed to these rules:

Provided that the Government may create temporary posts in the cadre or the service for specified period or purpose as may be considered necessary from time to time.

(2) The Government shall, at the interval of every five years or any such intervals as may be necessary, re-examine the strength and composition of the cadre of the service and make such alterations therein, as it deems fit.

8. **Construction or hiring of places for fire stations.-** (1) The Director General shall identify the area where the establishment of a fire station is tactically advantageous in providing fire protection service to the community.

(2) The Director General, with the previous approval of the Government, shall require the local authority to provide land in accordance with the provisions of Master Plan of the respective urban body in Chhattisgarh on payment of such premium as fixed by the competent authority.

(3) The Government may hire any building or premises on payment of such rent and on such terms and conditions as may be agreed to by both the parties where no land is made available by the local authority.

(4) The size of fire station may either be 3-bays or 5-bays depending upon the fire risk in the area and the same shall be constructed in accordance with the model plan, as suggested by expert organization of the central government of India, other governments or private establishments:

Provided that Director General may also consider construction of different fire station, from the model plan, in the existing area where infrastructure provided does not meet the standard requirements.

9.Equipment and Appliances for Fire and Emergency Service.(1) The Director General may determine the equipment and appliances for rescue, fire fighting, personal protection in such numbers and with such specifications in accordance with the fire risk in the area and the availability of resources for effective and efficient response in times of emergency.

(2) The Director General, with the previous sanction of the Government, shall procure equipment and appliances determined under sub-rule (1) in such a way that each Fire Division is adequately equipped to meet the requirement of a medium category fire and make all necessary arrangements for their upkeep and maintenance and to ensure their availability for service as and when required.

(3) The life of equipment and appliances shall be as per the recommendations of the Standing Fire Advisory Council to the Ministry of Home Affairs, Government of India or of any other authority as may be created by the Government for such purposes.

CHAPTER-III
ESTABLISHMENT AND ADMINISTRATION

10. Organizational Structure in Fire and Emergency Service.– Organization structure Fire and Emergency Service is mentioned in Schedule-II and 'command and control' will be as per the Schedule.

11. Recruitment to Fire and Emergency Service.–The recruitment to various ranks in Fire and Emergency Service under Section 7(2) of the Act shall be made in accordance with the recruitment rules notified by the Government.

12. Qualification and Method of Recruitment.–(1) No person shall be eligible for appointment or promotion to any post in any class, category or grade in the service unless he/ she possesses the qualifications as laid down in Chhattisgarh Fire and Emergency Service, and State Disaster Response Force (S.D.R.F) Service Recruitment and Promotion Rules and fulfill all requirements of recruitment as provided in the rules and orders, for the time being in force.

(2) First appointment to the service, in any class, may be made:-

(a) By direct recruitment; or

(b) By promotion; or

(c) Partly by (a) and partly by (b) in the ratio and manner as mentioned against each post in "The Chhattisgarh Fire and Emergency Service and State Disaster Response Force (S.D.R.F.) Service Recruitment and Promotion Rules".

Provided that all the posts under direct recruitment of Gazetteh Officer shall be filled through Chhattisgarh Public Service Commission and, of Non-Gazetted Officer through departmental recruitment committee as per the rules/orders of the Government issued for that purpose.

(3) The departments shall refer available vacancies of Gazetted Officers, in the direct and in promotion quota, to Public Service Commission.

13.Reservation in appointment.– While making appointments and promotion, the reservation rules, issued from time to time for

members of Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Backward Classes or any other category or class entitled under those rules, as prevalent in the State of Chhattisgarh, shall be followed.

14. Probation.– (1) Persons appointed for the service by direct recruitment shall be on probation for two years and their confirmation for the class or category shall be made under the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961:

Provided that, those who are promoted to the Gazetted rank from non Gazetted rank shall also be on probation for two years, after such first promotion only.

(2) The pay of a person appointed to the service under these rules shall be regularized as per the provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 or general rules, as issued from time to time.

15. Pay and Allowances in Fire and Emergency Service under Section 6 of the Act.- The pay and allowances for various ranks in Fire and Emergency Service shall be as per the recommendations of the Pay Commission or any other authority as may be appointed by the Government to determine the pay and allowances of the officers and other members of the Fire and Emergency Service.

16. Auxiliary Force.- Auxiliary force shall be constituted as per the Act, and the members of such force shall be given the certificate of appointment as referred in **Form –'M'.**

17. Certificate of Appointment under sub-Section (1) of Section 10 of the Act.- The certificate of appointment shall be issued under the seal and signature of the Director General, or any other authority nominated by the Director General, in **Form -'A'** .

18. Rewards.– (1) The Director General, Inspector General, Director Training Centre, Director Training Operation, District Fire Officer, and Assistant Director (Training Centre) of Fire Service may sanction rewards by way of certificate or cash rewards or with both, to public or members of Fire and Emergency Service, up to the limits, noted against each, under **Schedule IV:**

Provided that the Government may, on the recommendation of the Director General, in each case, grant rewards up to Full Power in budget limit in recognition of specific instances of exemplary performance by the members of Fire and Emergency Service or member of the public for assistance to Fire and Emergency Service on the occasion of fire and rescue.

(2) The rewards to the members of Fire and Emergency Service under sub-rule (1) shall be made to be recorded in the Service Book in green ink by the authority granting such reward.

19. Training and Departmental Examination.- Person appointed to the service by competitive examination shall be required to undergo such training from time to time during the course of probation, and to pass during the period of probation or trial, such departmental examination as the Government may prescribe:

Provided that the Government may exempt any persons(s) from such training or departmental examination, either wholly or partly, who have passed a departmental examination or undergone training declared by Government to be equivalent to a departmental examination or training prescribed under these rules.

20.Purposes of Meetings or Demonstration.- No member of the Fire and Emergency Service shall participate in, or address, any meeting or take part in any demonstration organized by anybody or persons, for any political purposes or for such other purposes, as may be prescribed.

21. Badges of Ranks in Fire and Emergency Service.- The badges of various ranks in Fire and Emergency Service shall be as per the **Schedule –III** of these rules.

22. Postings and transfer of members of Fire and Emergency Service.- (1) The interest of public service shall normally be the only reason for transfers more often than once in three years.

(2) No member of the Fire and Emergency Service shall be transferred within a period of two years, except with the prior approval of the Director General.

(3) No fire officer shall ordinarily be kept at a fire station, without transfer, for over three years:

Provided that the period of stay of the fire officers with special skills may be increased by the Principal Secretary (Home), Government of Chhattisgarh or the Director General as per requirement.

(4) Transfers shall normally be made between the Month of May and June every year.

(5) No traveling allowance shall be paid in the case of transfers made at the request of the member of Fire and Emergency Service.

(6) When a transfer of the post of Station Officer or Sub Officer takes place, a certificate regarding charge report shall be sent by the District Fire Officer to the Director General.

(7) When a Station Officer hands over charge of a Fire Station, he shall give, to relieving officer, all the records and property maintained by him. The relieving officer shall duly acknowledge the receipt of the same.

(8) The register of Government property kept with the Fire Station shall constitute the record of property in the Fire Stations and the relieving officer shall, within thirty days, visit each such property, check the property and bring to the notice of the District Fire Officer for deficiencies, if any, for which the outgoing officer shall have to be held responsible.

(9) When a Sub-Officer hands over the charge of a station, he shall give the relieving officer a charge list which shall contain details of property, registers and records maintained by the Station Officer. While taking charge, the relieving officer shall check all the items of property, equipments and appliances, records and registers, mentioned in the charge list, and give an acknowledgement to the relieved officer. If he finds any discrepancy or shortage in the items handed over to him, he

shall make an entry to that defect in the register, besides submitting a special report to the District Fire Officer.

(10) The pay and other dues of a member of the Fire and Emergency Service who is leaving the Fire and Emergency Service consequent on retirement, resignation, removal or dismissal from service shall not be finally settled and paid to him, until all the government property, records and registers which are in his custody are properly accounted for and handed over to his successor.

23. Powers of Transfer.- The powers of transfer of Fire Officers and other members of the Fire and Emergency Service shall be vested in the following officers:-

(a) The Director General, or any person authorized by him, may order the transfer of members of Fire and Emergency Service, of and below the rank of, Station Officer and equivalent.

(b) The Director General shall propose the transfer of members of Fire and Emergency Service, of and above the rank of, District Fire Officer to the Government of Chhattisgarh and the government will issue the order, as it deems fit.

24. Writing of confidential reports of fire officers.- The annual confidential reports of the Fire Officers shall be written and maintained as per the instructions issued by the Government.

25. Duties and responsibilities of fire officers and staff.- (1) The Director General, in due course, shall prepare the Fire Service

manual, with approval of the State Government, in which the duties and responsibilities of fire officers and staff shall be specified in detail. In the meanwhile, the members of the service shall be governed by relevant sections/rules, including but not limited to, sections 7(1), 8, 9(5)(i), 9(5)(ii), 10(2), 12, 15(3), 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, and 45 of the Act, and rule numbers 9, 19, 20, 22, 26, 32, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52,54, 56, 57, and 58 of the 'Rules For Regulation of Chhattisgarh Fire and Emergency Services Act 2021', in the discharge of their duties and responsibilities.

(2) The Director General with the approval of the Government, may, by general or special order, add to, or delete from, or modify the duties and responsibilities of the fire officers or staff; and thereupon the Fire Service Manual will stand amended accordingly.

26. Disciplinary or other actions against fire officer or fire personnel.- Every fire officer or fire personnel who violates his duty or commits willful breach of any provisions of the Act, or the rules or any order made by his superior officer, or exhibits or indulges in any cowardice, or withdraws from duties of his office without permission, or being absent on leave fails without reasonable cause to report himself for duty on the expiry of such leave, or engages, without authority, in any employment other than his duty, shall be liable to be proceeded against for breach of discipline, including disciplinary action for breach of this rule as per Chhattisgarh Civil Service conduct Rule 1965 and Civil Service (classification, control and appeal) Rules, 1966.

CHAPTER-IV
LEVY OF FIRE TAX AND OTHER CHARGES

27. Rate of surcharge on Property Tax to be levied as Fire Tax under Section 26 of the Act.- The rate of surcharge on property tax charged by local authority, to be levied as Fire Tax, in respect of buildings or premises shall be as may be notified by the Government, keeping in view the administrative expenses in the maintenance of the Fire and Emergency Service.

28. Mode of assessment.– It will be followed as per the instructions of Government of Chhattisgarh.

29. Manner of Collection of Fire Tax under sub-Section (1) of Section 27 of the Act.–(1) On receipt of the statement of collection of Fire Tax from the local authority, for every quarter, the local authority shall credit a sum equal to 1% of the collection as collection charges by to local authority.

(2) The collection charges under sub-rule (1) shall be credited to the head of accounts of the respective local authority, while the balance namely, 99% of the collection, shall be paid by the local authority to the Fire and Emergency Service on presentation of a bill by the Fire and Emergency Service at pre-audit counter.

(3) The payment made to Fire and Emergency Service under sub-rule (2) shall be shown as deduction from **"(Head of account to be created for the purpose)"**

30. Fee on Deployment of Fire and Emergency Service.– (1) The fee on deployment of members of Fire and Emergency Service along with necessary equipment and appliances beyond the jurisdiction of State of Chhattisgarh under Sub-Section (1) of Section 29 of the Act shall be charged as per **Schedule-V.**

(2) No fee shall be charged whenever the deployment of members of Fire and Emergency Service or equipment and appliances or both is made under Section 29 of the Act where a valid agreement on reciprocal basis in public interest exists.

31. Terms for Reciprocal Fire Fighting arrangements under Section 30.- On the occasion of fire, the Director General or any authorized member-in-charge of a Fire Station on the spot, if the situation so requires, can:-

(a) Generally, take such measures as may appear necessary like requisitioning police personnel, Magistrate for maintaining peace and law and order at the site of fire or rescue operation for protection of fire appliances and preservation of life and property;

(b) Take the assistance and co-operation from all Government Agencies like Electricity & Power, Airport Authority, Health, Public Works Department, Engineering Organization, Municipal Corporation and Departments of Revenue, Agriculture, Veterinary, Forest and Excise, who shall extend their co-operation with available resources at their disposal on the requisition of officer-in-charge of the Fire Station for effective execution of fire fighting, rescue and salvage operation;

(c) Requisition fire fighting equipments and it will be lawful duty for all private and Government bodies to provide the available fire fighting equipments at their disposal; and

(d) File requisition with the Collector and the District Magistrate or the Sub Divisional Magistrate, who shall hire equipments or machineries, as required, for effective fire fighting, rescue and salvage operations.

CHAPTER-V

GENERAL MEASURES FOR FIRE PREVENTION

32. **Minimum standards for fire prevention and fire safety for buildings.-** (1) For the purposes of Section 14 of the Act, the minimum standards for fire prevention and fire safety for buildings shall be applicable with reference to the height of the building and class of occupancy of the building, and in accordance with National Building Code of India Part – IV 2016, relating to the following matters:-

(1) Access to building;
(2) Number, Width, Type and Arrangement of exits;
(3) Protection for Exits by means of fire check door(s) and/or pressurization;
(4) Compartmentalization;
(5) Smoke Management System;
(6) Fire Extinguishers;
(7) First-Aid Hose Reels;
(8) Automatic fire detection and alarming system;
(9) MOEFA [Audio Visual];
(10) Public Address System;
(11) Automatic Sprinkler System;
(12) Internal Hydrants and Yard Hydrants/ Wet Riser;

(13) Pumping Arrangements (Underground tank with pumps);
(14) Captive Water Storage for firefighting (Terrace Tank);
(15) Exit Signage;
(16) Provision of Lifts;
(17) Standby power supply;
(18) Refuge Area;
(19) Fire Control Room;
(20)Special Fire Protection Systems for Protection of Special Risk;
(21) Terrace tank pump 450/900 LPM;
(22) Specified place for Assembly:

Provided that classes of occupancies or buildings or premises for which fire prevention and fire safety measures are not provided in the building By-laws or National Building Code of India Part – IV 2016, the Director General may require owner or occupier of such occupancies or buildings or premises to provide fire prevention and fire safety measures in accordance with National standards as may be provided:

Provided further that where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax or modify or annul any requirement concerning fire prevention and fire safety measures under these rules with respect to any class of occupancy in any building or premises in special areas or in respect of any building or premises in any area that was constructed or which was under construction prior to the date of enforcement of these rules.

(2) Where the Director General is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he/she may, for reasons to be

recorded in writing, require the owner or occupier of the buildings or premises to provide additional fire prevention and fire safety measures.

33. Minimum standards for fire prevention and fire safety for Pandal.- The minimum standards for fire prevention and fire safety for Pandal, for the Purposes of Section 15, shall be in accordance with IS 8758:1993 published by Bureau of Indian Standards, New Delhi and National Building Code of India Part-IV 2016, relating to the following matters:-

(1) Access to pandal;
(2) Open space around the pandal;
(3) Distance from medium and high voltage electrical lines and hazardous installations;
(4) Means of exits;
(5) Material of construction;
(6) First-aid fire fighting arrangements;
(7) Water Storage for fire fighting;
(8) Electrical Wiring;
(9) Availability of trained fire fighting staff.

34. Form of declaration.- The erector of pandal shall, for the purposes of sub-section (2) of Section 15 of the Act, make declaration in **Form 'B'.**

35. Requirement of Fire Safety Certificate.- (1) All buildings or premises or occupancies as specified in National Building Code of India Part –IV 2016, under rule-37, shall have a valid Fire Safety Certificate at all times.

(2) No Authority or Officer empowered to issue certificate of completion or permission for occupation in respect of classes of buildings or premises or part thereof as specified in National Building Code of India Part –IV 2016, shall issue such Certificate or permission, except on production of Fire Safety Certificate issued by the Director General, or an officer authorized by him in this behalf.

(3) No Authority or Officer empowered to issue or renew a license for operation of cinema hall and multiplex, clinical establishments, factory, hotel, warehouse and cold storage or any business, trade or profession, or any other activity whatsoever, in a building or premises or part there of as specified in National Building Code of India Part IV 2016, unless he is satisfied about the adequacy and operability of the fire prevention and safety measures therein and possession of valid Fire Safety Certificate.

(4) **Storage of Hazardaus Goods/Chemical, explosive, inflammable, Highly inflammable material and its safety measures** – The officer concerned of every district of the State shall inform state fire department about storage of Hazardaus Goods/Chemical, explosive, inflammable/Highly inflammable material and its fire safety measures and will get no objection certificate (NOC) mandatorily from state fire department in this regard.

36. Qualification of Inspecting Officer for Issuing fire Safety Certificate and Fire Audit Report.- (1) For fire inspection, for the purposes of issuing a Fire Safety Certificate and

conducting fire audit, the inspecting officer should have technical qualification for fire inspection, he/she should possess an advance diploma in fire engineering (Divisional officer course) from National Fire Service College, Nagpur, Ministry of home Affairs Government of India or Bachelor of Engineering (Fire) from recognize university; or in special condition, Fire Officer having qualification of Station Officer course with One year field [firefighting] experience may be authorized by the Director General to do so.

(2) Any fire audit may be conducted by the Fire and Emergency Services, either on the request of owner/occupier/any lawful authorized person of buildings/premises or Suo motu, considering the exigencies of the fire situation.

37. Competent Authority to issue Fire Safety Certificate and Fire Audit Report.- On the recommendation, mentioned in rule 36, for Fire Safety inspection and conducting Fire Audit, Director General, fire and emergency services, or officer authorized by him, shall be the competent officer to issue the fire safety certificate and conducting fire audit. The building or premises shall be inspected by a team of fire officers to ascertain the availability and operability of the fire prevention and fire safety measures, the Team shall recommend to the Director General for grant or refusal of fire safety certificate.

38. Duration of Fire Safety Certificate.- Fire Safety Certificate shall be issued by fire service authority for 1 to 3 years to all the occupancies, based on their fire hazards and risk.

39. Renewal of Fire Safety Certificate.- Application for renewal of Fire Safety Certificate granted, under rule 37, shall be made to the Director General, or Authorized officer, along with a copy of the Fire Safety Certificate, 03 months before the expiry of the Fire Safety Certificate.

40. Fire Inspection /fire audit fees.- Fire inspection and fire audit fee will be levied as per instruction of the State Government.

41. Liability to maintain fire safety measures.- (1) The occupier of the building or premises, as the case may be, shall maintain the fire prevention and fire safety measures provided in the building or premises, at all times, in best repairs for use by the occupants or members of Fire Service or both, in the event of an outbreak of fire.

(2) The occupier of the building or premises or the Fire Safety Officer appointed under Section 18 of the Act, as the case may be, shall declare every year in a Form, as specified by the Director General, that fire prevention and fire safety measures provided in the building or premises, as the case may be, are in best repairs.

(3) It shall be lawful for the Director General, or Nominated Authority, to enter and inspect the building or premises, as the case may be, with a view to verifying the correctness of the declaration made above and to point out the shortcomings, if any, with directions to remove them within a specified time. If the directions of the inspecting officer are not complied within the time so given, the inspecting officer,

with the previous approval of the Director General, shall declare the building or premises unfit, from fire safety point of view, and direct the local body or any other authority concerned to disconnect the electricity and water supply to the local building or the premises, as the case may be, and the local body or the other authority shall comply with the directions of the inspecting officer.

42. Time for Completion of Fire Safety Measures.- (1) Nominated Authority shall indicate the time, not exceeding 90 days, within which fire prevention and fire safety measures should be provided as per the requirements.

(2) The Director General may review the time allowed by the Nominated Authority under sub-rule(1) above and grant extension of time once or several times if he is satisfied with the progress of the work, subject to maximum of 180 days.

(3) The Fire Safety Certificate, issued under rule 37, shall remain suspended from the date of notice of the Nominated Authority issued, under sub-rule (1), till the compliance is made to the satisfaction of the Director General, or the Nominated Authority, and this shall be duly recorded on the Fire Safety Certificate.

(4) The occupancy of the building or premises during the time allowed for completion of work under sub-rule (1) and sub-rule (2) above shall be at the risk and liability of the owner or occupier.

43. Cancellation of Fire Safety Certificate.- (1) If the owner or occupier fails to comply with direction given, under rule 42,

within the specified time, the Director General, or any other officer authorized by him in this behalf may, without prejudice to any other action under the Act or rules, after giving owner or occupier an opportunity to show cause, why such an order should not be passed, by an order in writing stating the reasons there for, to cancel the Fire Safety Certificate issued under rule 37.

(2) The owner or occupier of the building or premises, whose Fire Safety Certificate has been cancelled by the Director General or any other officer authorized by him in this behalf under sub-rule (1), may within 90 days of the receipt of a copy of the order by him prefer an appeal in the manner laid down, under rule 50, to the Appellate Authority who may after giving the owner or occupier an opportunity of being heard, confirm, reverse or modify such order.

44. Power of Inspection etc.- (1) The Director General or an authorized member by Director General of special order, may, after giving at least three days notice in **Form-'D'** to the owner or the occupier or the lawful authorized person of the premise, by serving it through post or email or such other means as may be feasible or by affixing a copy thereof on the premises, enter and inspect such premises with a view to verify the correctness of the information furnished as required under sub-section (1) of Section 33 of the Act, and to ascertain the adequacy and operability of fire prevention and fire safety measures or violation of any provision of the Act or these rules, and direct the owner or occupier to rectify the

deficiencies, if any, within such period as may be specified in the order.

(2) The inspecting officers shall be provided with all possible assistance and cooperation by the owner or occupier or any lawful authorized person of such premises for carrying out inspection under sub-rule (1).

(3) If the directions of the inspecting officer under sub-rule (1) are not complied with within the specified time, the Fire Safety Certificate of the said premises may be cancelled by the Issuing Authority with due intimation to concerned regulatory of Licensing Authority.

(4) The owner or the occupier or any lawful authorized person who gives inaccurate information under sub-section (1) of Section 33 of the Act shall, without prejudice to action under any law for the time being in force, be jointly and severally liable to be punished under the Act and the Fire Safety Certificate of the said building or premises may be cancelled by the Issuing Authority.

(5) Where the inspection is carried out by an authorized member under sub-rule (1), he shall submit a report of such inspection to the Director General.

45. Action for Violation of provisions of the Act or rules or directions issued there under.- (1) The Director General or the authorized member may cancel the Fire Safety Certificate, after giving the owner or the occupier or any lawful authorized person as the case may be, an opportunity to show cause within fifteen days of service of the notice for,-

(a) Violation of any of the provisions of the Act or these rules or any of the conditions prescribed in the Fire Safety Certificate; or

(b) Non-compliance or incomplete compliance of directions issued under the Act or these rules; or

(c) Preventing inspection under Sub-rule (1) of Rule 44 either by obstruction or non co-operation etc:

Provided that a Fire Safety Certificate cannot be cancelled by an officer lower in rank to the one who had issued or renewed the same.

(2) After cancellation of the Fire Safety Certificate of a building or premises, the Director General or an authorized member shall report to,-

(a) The Licensing Authority concerned to cancel the license for operation of cinema hall and multiplex, clinical establishments, factory, hotel, warehouse and cold storage or any business, trade or profession or any other activity whatsoever for which a license is required.

(b) The Sub-Divisional Magistrate or the District Magistrate concerned for taking action under section 133 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) and other relevant laws.

(3) The authorities responsible for supply of water and electricity shall disconnect the supply with immediate effect on getting information form Director General or Officer authorized by him.

(4) If the Licensing Authority does not act as per the report, the Director General or the authorized member may take steps for sealing and may start prosecution after recording the reasons thereof.

46. Procedure of Sealing.- (1) Where it appears to the Director General or the authorized member that the condition of any building or premises is dangerous to life or property and it is likely to cause risk of fire, the authorized member, without prejudice to any action taken, may by order, require the owner or occupier of such premises to remove themselves from such premises forthwith.

(2) If the direction made by the Director General or the authorized member under sub-rule (1) is not complied with, the Inspector in-charge of the Police Station having jurisdiction in the area shall provide necessary assistance to remove such persons from the premises and facilitate the process of sealing.

(3) After removal of the persons, the Director General or authorized member shall seal the premises in the manner as he deems fit with the help of the Magistrate and inform the local Police.

(4) The seal used for sealing the premises shall remain in custody of the Director General or any authorized member.

(5) No person shall remove such seal except under the order made by the Director General or the authorized member.

(6) If the premises, required to be sealed on receipt of the report from the authorized member, is found to be locked or inaccessible, he may break open the lock, enter the premises and after taking all necessary steps to be taken under the Act, relock and seal the premises:

Provided that, if any premises is forced open under this rule, an inventory of the material found in the premises shall be prepared in the presence of the Magistrate or two respectable independent witnesses and a copy thereof shall be delivered to the owner or occupier.

(7) Prior to sealing, a notice in **Form-F** shall be served on the owner or occupier of the premises indicating the reasons of sealing and in emergency cases such notice may be dispensed with.

(8) The Inspector in-charge of the concerned Police Station or the Magistrate having jurisdiction in the area in which the premises are situated shall provide all assistance to the Director General or authorized member during sealing process.

(9) If the seal fixed under the rules on any premises is found to be broken or tampered with, the Inspector In-charge of the Police Station having the jurisdiction in the area shall be informed.

(10) It shall be the duty of the Police Officers of all ranks to aid the members of Fire and Emergency Service in execution of their duties under this rule.

47. Prosecution procedure.- (1) The officer not below the rank of Station Officer or authorised officer, who issues Fire Safety Certificate within his jurisdiction shall submit a report in the prescribed **Form-G** to his immediate superior for initiating prosecution against the offender and send a copy of the same to the Court of competent jurisdiction.

(2) The Investigating Officer shall maintain the case diary in **Form-H** and after completion of investigation, he will lodge complaint or final report in **Form-I** against the offenders/defaulters before the Court of competent jurisdiction under Section 15, 20, 24, 35, 38, 41, 47, 48, 49 and 50 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act 2018.

(3) During investigation, the Investigating Officer will check, examine, test weigh, record and seize the properties which he has reasons to believe to be fire prone or endangering the safety of lives and properties and while making such seizure, he shall make a Panchanama as prescribed in **Form-J** and Seizure Memorandum in **Form-K** and shall submit complaint of final report within 60 (Sixty) days from the date of filing of the case.

(4) The Investigating Officer shall also submit a copy of final form or complaint case to the Court of competent jurisdiction.

(5) The Investigating Officer may, if felt necessary, seek the assistance of the Police who will aid in execution of the investigation made by the authorized member of the Fire and Emergency Service.

(6) All cases registered shall be recorded in a case register.

(7) The Director General or authorized member shall serve a notice in **Form-E** on the occupier or owner or any lawful authorized person of the premises who is bound to obtain a Fire Safety Certificate under the provisions of the Act, but has failed to obtain the same or fails to comply with any of the conditions specified in the license, requiring him to obtain Fire Safety Certificate or comply with any of the conditions specified in the Fire Safety Certificate, as the cause may be.

(8) If the owner or occupier of the premises does not comply with notice, the Director General or any authorized member shall serve a show case notice in **Form-L** and if the owner or occupier or any lawful authorized person further fails to comply with the notice, the Director General or any authorized member shall initiate prosecution punishable under Section 35 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Services Act 2018.

48. General power of the Director General and the State Government.- (1) Subject to the provisions of the Act and these rules, the Director General may, from time to time, issue circulars and orders for effective implementation of the fire prevention and fire safety measures in various classes of buildings or premises and matters connected therewith or incident thereto.

(2) The Director General or the State Government may, at any time, call for an examination of the record of any action taken by any officer the Act or these rules, for the purpose of

satisfying themselves as to the legality or propriety of such action and pass such order as they may deem fit.

(3) Before passing an order, reasonable opportunity to show cause shall be given to the person likely to be affected by such order.

(4) If any question arises as to the interpretation of these rules, decision of the State Government, thereon, shall be final.

CHAPTER-VI
NOTICES AND APPEAL

49. Forms of Notice.- Notice will be served for violation of fire prevention and fire protection measures.

50. Appeal.- (1) An appeal to the Appellate Authority under sub-Section (7) of Section 16 of the Act shall be preferred in **Form–C** and shall be accompanied by a copy of order or notice appealed against and by a fee of Rs. 5,000/- (Rupees five thousand only) through a bank draft drawn in favor of Director General, Fire and emergency services.

(2) The appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable and his order shall be final.

(3) The authority which made the order appealed against shall give effect to the order passed by the appellate authority.

51. Compounding of offences.- (1) The District Fire Officer may compound offences under sub-section (1) of Section 51 of the

Act, punishable with fine to the limit as notified by the State Government.

(2) The compounding limit for the Director training/ operation, fire and emergency services, for purposes under sub-rule (1) shall be limited as notified by the State Government.

(3) The Director General may compound any offence under Section 51 of the Act and under these rules punishable with fine.

(4) All such compounding fee shall be deposited, under the head, as the State Government may notify later, through bank draft/pay order payable at Director General Fire and Emergency services.

CHAPTER-VII
MISCELLANEOUS

52. Fire and Emergency Service response to an Emergency.- The Fire and Emergency Service response to an emergency arising due to an outbreak of fire or any other emergency requiring Fire and Emergency Service intervention shall be in accordance with the administrative instructions issued by the Director General.

53. Adequate supply of water for fire fighting.– (1) Notwithstanding anything contrary to the provisions in any other Act or rules for time being in force, the Director General may require the authority having jurisdiction to provide

hydrants at strategic locations on the public mains or private mains of not less than 150 mm diameter on payment of charges as demanded by such authority.

(2) The residual pressure at the hydrant shall not be less than 1.5 bar (20 lbs. per square inch).

(3) There shall be provided near each hydrant provided under sub-rule (1) an identification plate showing hydrant number and size of mains and each such hydrant shall be maintained by the authority which provided the hydrant.

54. Standard Operating Procedure for Fire Fighting Operations.- According operation of Fire and Emergency Service standing operation procedure is as under-

(1) Control Room:-

(a) **Call Receiving** - The calls regarding Fire Accidents and Rescue Operation(s) shall be received by Control Room of District/City level and following information with regard to fire Accident and/or Rescue Operation shall be collected from the person calling-

(i) Full Name of the Person Calling.

(ii) Telephone No. of Person Calling.

(iii) Type of fire e.g. Gas Fire, Oil Fire, Electrical Fire, Fire in Office/ Residence, General Fire Accident etc.

(iv) Full Address of fire Accident site.

(v) Nature of fire (small, Medium, Serious, Very Severe).

After that noting the time of receipt of fire call will be done, and then dispatch of the fire Tender/s towards Accident site will be done, within 30 seconds from receipt of call.

(b) **Call Verification** - On receipt of Information given by caller with regard to fire Accident, the Main Control Room/Fire Station Control Room shall verify its veracity by redialing on the given number about whether the Information given by caller regarding Fire Accident is authentic or not.

(c) **Dispatch Mobilization** - After receiving detailed Information with regard to fire Accident, First Turn Out (First Respond Vehicle) shall be sent to Fire Accident site, without delay within 30 seconds, along with first turn out officer; and the Control Room shall be in contact with the Turn Out officer continually through Walky-Talky set/other communication media, and shall continue exchange of Instructions/Directions simultaneously. The Turnout officer shall keep on giving information about distance of Accident site, about Traffic Position or Status of Traffic jam to control Room.

(d) **To Intimate other Departments by Control Room, after dispatching fire Tender to the Accident site:-**

(i) Energy Department - The Officers/Employees of Power Company concerned may be requested to disconnect/cut-off the power supply of fire Accident site and they should cut off the power supply of shops/Buildings and offices etc. located in the vicinity of fire accident site to ensure that no loss is caused to fire employees while extinguishing the fire, and they shall be directed to appoint a responsible employee(s) of power department at the incident site till the control of fire accident. The said department shall provide power supply separately for many equipments/tools which run with power energy like cutter, spreader and wall breaker etc, of fire department.

(ii) Police Station of fire Accident Area - The Control Room may intimate the Police Station of the area concerned, about Fire Accident site and may ask assistance from police station for dispatching police personnel to the accident site so that they can give direction to handle the unwanted crowd, gathered at Accident site, away from the Fire Accident site, so that the Fire Extinguishing job may be carried out smoothly, without any hindrance.

(iii) Medical Center - The Control Room shall give the information about fire accident spontaneously to medical center or Ambulance service providing Institutions, situated near fire Accident site, so that

the fire accident victim(s), if any, may be shifted immediately to medical center(s) for the receipt of medical treatment aid without delay.

(iv) Municipal Corporation, Municipality/Public Works Department (PWD) - Heavy Vehicles like Dozer, Dumper, JCB shall be demanded from Municipal Corporation Department for road clearance in Fire Accident or in case of building collapse, in removal of debris, so that there is no hindrance for the movement of fire tenders, and shall direct the water tanker filling center run by M.C.D., that there should not be any hindrance in continuous supply of water to fire tenders.

(e) **Action taken by Fire Officer after arriving at fire Accident Site:-**

(i) Preliminary Assessment - First Turn out officers shall carry out an initial evaluation on the basis of fire call slip on intimation of fire accident/rescue operation and shall prepare a strategy with his subordinate fire fighting employees/staff that how to utilize fire equipments and resources and fire fighter employees for controlling the fire/rescue operation without delay, so that the fire accident and rescue operation can be controlled soon.

(ii) Line of Action - After arriving at fire Accident site, first turnout officer shall intimate the control room with information firstly about arrival of vehicle(s) and about

severity of fire accident and/or present status of the same. The officer shall work as per his own discretion for controlling the gas fire, electrical fire, chemical fire, house/building fire etc. and shall demand for additional force/staff, equipment, pumps, rescue equipments/tools etc. He shall firstly search out for victims at fire accident site and shall send them to hospital immediately for treatment and also shall take help of services of Police Department and Ambulance. Thereafter, they shall control the fire, after full control over fire accident, he shall inform to his senior officers, and to control room, about report of equipments and fire personnel.

(iii) Demobilization of Fire Fighting Vehicles/Fire Tenders- After controlling the fire accident the Main Control Room and fire Control Room shall be intimated about this for demobilization of fire-extinguishing vehicles/fire tenders from accident site. Prior to this, the fire officer shall obtain clearance certificate from owner of fire accident site or from any responsible person, wherein the owner shall state that the fire has been controlled fully and no injured is present at fire accident site. Prior to leaving fire Accident site, the officer shall thoroughly check all the equipment of vehicles and in case of any loss or damage of any equipment; he shall intimate his senior officer about this.

In case of any specific level fire accident/emergency condition, the Director, fire and emergency services shall determine which officer shall

work in ground zero and which officer shall work with adequate force/employees in operation zone. In such scenarios, the Director General may coordinate for making relevant officers, of various levels; present themselves at the site and for assistance, from other departments.

(2) Kind of Fire-

(i) Oil Fire:- On the receipt of information of fire of inflammable oil, the fire station control room shall dispatch the foam tender towards fire accident site as first Turn Out along with officer. Simultaneously, the other related equipments like Dry Chemical Powder Fire Extinguisher (50 kg), foam extinguisher (45Ltrs), High expansion foam Generator, High Pressure foam Monitor and foam branch of various types shall be sent to the fire accident site, along with another small vehicle for controlling the fire without delay.

Arrangement of additional foam compound drum shall be made for continuous supply of foam compound and first Turn out officer shall be in contact with Control Room continuously.

(ii) Electrical Fire:- On receipt of information of fire accident regarding fire from electricity like in Transformer fire, High Tension Cable Fire, Cable Tunnel fire, electrical Gadget fire, electric pole fire, Large Electrical fixer and electric meter fire, the control room shall, first, dispatch the combined fire tender towards fire accident site along with First Turn out officer; and thereafter shall intimate

to the employees of Power Company concerned to disconnect/cut-off the power supply of fire accident site.

The fire officers and employees should spray dry chemical powder by combined fire tender to control the electrical fire and try to control the fire accident, simultaneously, at the earliest by CO_2 fire Extinguishing equipment and Inert Gas Fire Ball.

(iii) Fire of Gas:- On receipt of information of fire in any inflammable gas, the fire officer shall try immediately to control the fire through CO_2 Fire Extinguisher, Inert Gas fire Ball and Water Spray cooling along with Dry Chemical Powder Tender at fire accident site. If the related equipments are not available in the Fire Tender vehicle then it should be informed immediately to Control Room, so that assistance could be obtained without delay and the fire can be controlled. In case of gas fire in Industrial Areas, attempts shall be made firstly to disconnect gas supply, so that fire accident could be checked and restricted to become more severe.

(iv) Fire in Tall Buildings:- The buildings above 15 meters height fall under the category of high-rise building. On receipt of information of fire accident in high-rise buildings, the fire officer shall send Hydraulic platform (Rescue Vehicle) along with fire Tender towards fire accident site and, simultaneously, should inform other fire stations for additional force/staff for assistance at accident site, so that the person/victims entrapped in high-rise building (s), due to fire accident, can be brought

down at ground level with the help of Hydraulic Platform (Rescue Vehicle) and/or extension ladder.

The help of Ambulance Service may be taken for better treatment of victims. In case of non-availability of Ambulance service, the victims shall, first, be taken to hospital by small vehicles of fire Department, thereafter, they shall control the fire immediately through High Pressure Water Monitor established in Hydraulic Platform (Rescue Vehicle). Considering the fire accident in High-rise Building(s), the assistance from other Fire Tenders of nearby Industrial units may be taken.

(v) General Fire:- On receipt of information from Control Room, First Turn-out officer shall control the general fire or small fire through water tender and fire-extinguishing instruments/equipments and, simultaneously, shall protect the houses located around by cooling them through water spray to check against spreading of fire accident, so that the fire does not reach other buildings by radiation.

(3) Classification of Fire-

Small Fire: Loss of property/articles amounting to less than Rs.50,000/-.

Medium Fire: Loss of property/articles amounting to more than Rs.50,000/- and less then Rs.1,00,000/-.

Severe Fire: Causing death of a person in Fire Accident.

Large Fire: Loss of property/articles amounting to more than Rs. 1,00,000/-.

Brigade Call: Most severe fire accidents causing injury to many persons or collapse of multi-storey building(s) etc.

(4) Categorization of fire-

A- Class Fire: General fire, like furniture, coal, cloth, paper, household items and plastic, rubber etc.

Suitable Fire extinguishing equipment: Water-type fire extinguishing equipment.

B- Class Fire: Inflammable liquid materials, like Petrol, Benzene, Paint, Diesel, Solvent and Kerosene coil, etc.

Suitable Fire extinguishing equipment: Mechanical Foam extinguisher.

C- Class Fire: In Inflammable Gases like those in LPG, Acetylene Gas, Butane, Hydrogen, Methane and other gases.

Suitable Fire Extinguishing equipment: Dry Chemical Powder and CO_2 type fire extinguishing equipment, Hydro-fluoro carbon fire extinguishing equipment.

D- Class Fire: (i) Metal Fire like those in Magnesium, Aluminum, Sodium, Potassium etc.

Suitable Fire extinguishing equipment: Dry Chemical Powder type fire extinguishing equipment.

(ii) Electrical Fire, like those in Switch Board, Power Board, Computer etc.

Suitable Fire Extinguishing equipment: CO_2 type fire extinguishing equipment, Hydro-fluoro carbon, Heptafluoropropane fire extinguishing equipment.

(5) According to the situation, for the operation of Fire and Emergency Service, Director General shall issue standing operation procedure.

55.Chhattisgarh Fire and Emergency Service Benevolent Fund.–

(1) There shall be established a fund known by name 'Chhattisgarh Fire and Emergency Service Benevolent Fund' duly registered with the Registrar of Societies;

(2) The Fund under sub-rule (1) shall be managed by the Committee consisting of 6 members nominated by the Director General.

(3) Director General shall be ex-officio President of the Managing Committee of the Fund.

(4) The contribution to the Fund shall be by way of membership fee received from the serving members of the Fire and Emergency Service, and donations received from the public, through cheque, during Fire Service week while pinning of flags.

(5) The quantum, of monetary assistance, and the occasion, on which such assistance is provided, shall be as per the decision of the Managing Committee.

56. Administrative Instructions.– The Director General, with the previous approval of the Government, may issue Administrative Instructions on the following matters:-

(i) Training of the members of fire and Emergency Service;

(ii)Discipline and good conduct of members of Fire and Emergency Service;

(iii) Speedy attendance of members of Fire and Emergency Service with necessary appliances and equipment on the occasion of any alarm of fire;

(iv)Conditions of service of the members of Fire and Emergency Service;

(v) Assigning duties to fire officers of all ranks and grades, and prescribing the manner in which and the conditions subject to which they shall exercise and perform their respective powers and duties;

(vi)Institution, management and regulation of any Fire and Emergency Service fund for any purpose connected with policy administration;

(vii) Maintenance of Fire and Emergency Service equipment and appliances to keep them in due state of efficiency;

(viii)Generally, for the purpose of rendering the Fire and Emergency Service efficient and preventing abuse or neglect of their duties; and

(ix) Any other matter which is required to be, or may be, provided by rules.

57. Purchasing, Maintenance and Life Period of Fire vehicles and Equipments.–

(1) Fire tenders and related equipment will be purchased as per Chhattisgarh Purchases Rules, 2002 (as amended 2004).

(2) All fire vehicles and equipment will be kept ready at all time, and all the expanses and payment shall be as per Financial Power Book Part I & II.

(3) The life span of various types of vehicles in terms of distance run (in kilometer) and length of use (in years) shall be as mentioned in column 3:

S.L. No.	Types of Vehicles and fire Vehicles	Life Spans
(1)	(2)	(3)
01	Water Tender Type "A" & "B" and other fire tender vehicle	10 Years or 1.5 lakh km
02	Hydraulic Platform	15 years or 1.5 lakh km
03	Petrol driven P.T.O. Motor Cycle	10 years or 1.5 lakh km
04	Smoke extractor vehicle	10 years or 1.5 lakh km

(4) The Life period of Fire Fighting equipment shall be as mentioned in **Schedule – VI**.

58. Report of accident to fire officer or fire personnel during fire and payment of compensation.– The fire officer in-charge of fire or natural calamity operations, shall submit a report of any accident occurring during such operation to the Director General, and the compensation payable to any fire officer, or fire personnel, in the case of such accident, or to their dependents in the case of death or permanent disability, shall be such as the Director General may, with the approval of the State Government, by any general or special order, determine.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEHA CHAMPAWAT, Special Secretary.

SCHEDULE – I
(See rule- 7)

S. No	Name of the posts included in the service	Total number of posts	Classification
1.	Director General	01	Class-I
2.	Inspector General	01	Class-I
3.	Director(Additional Commandant General home Guards, DIG Rank)	01	Class-I
4.	Director, Training/operation (S.P Rank)	01	Class-I
5.	Joint Director (S.P Rank)	01	Class-I
6.	Staff Officer home Guards	01	Class-I
7.	Senior Technical fire officers	02	Class-II
8.	Fire Officer Technical officer	02	Class-II
9.	Assistant Director (District commandant/DSP Rank)	02	Class-II
10.	District Fire Officer	27	Class-II
11.	Medical Officer	01	Class-II
12.	Account Officer	01	Class-II
13.	Junior Technical fire officer	02	Class-III
14.	Fire Officer (inspector rank)	30	Class-III
15.	Station officer QM/MTO	04	Class-III
16.	Inspector/Company Commander	06	Class-III
17.	Platoon Commander/Sub-Inspector, fire Officer (Sub- inspector Rank	52	Class-III

18.	Havaldar Training	04	Class-III
19.	Leading Fireman(LFM)	94	Class-III
20.	Mechanic	04	Class-III
21.	Compounder	01	Class-III
22.	Male Nurse	02	Class-III
23.	Store keeper	33	Class-III
24.	Firemen	313	Class-III
25.	Vehicle Driver	37	Class-III
26.	Vehicle Driver cum operator	198	Class-III
27.	Wireless Operator (Control room) Contract post	08	Class-III
28.	Watch Room operator	42	Class-III
29.	Cook	19	Class III
30.	Office Superintendent	01	Class-III
31.	Assistant Grade- I (Head Clerk)	03	Class-III
32.	Stenographer Grade-III	04	Class-III
33.	Assistant Grade-II	04	Class-III
34.	Data Entry Operator	01	Class-III
35.	Assistant Grade-III	34	Class-III
36.	Assistant Grade-III (Control Room) Contract Post	02	Class-III
37.	Peon	07	Class-IV

SCHEDULE –II
Organizational Structure in Fire and Emergency Service

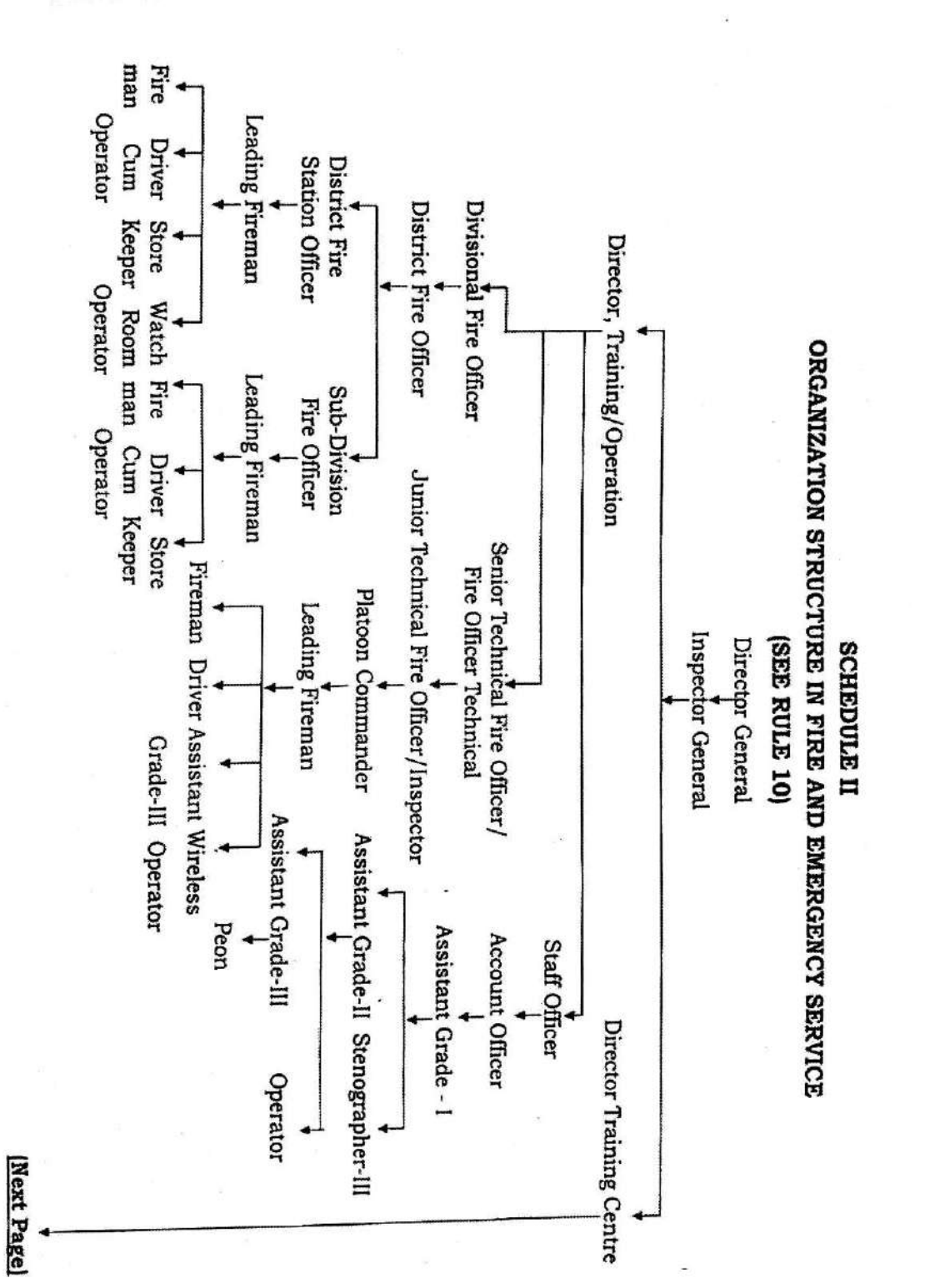

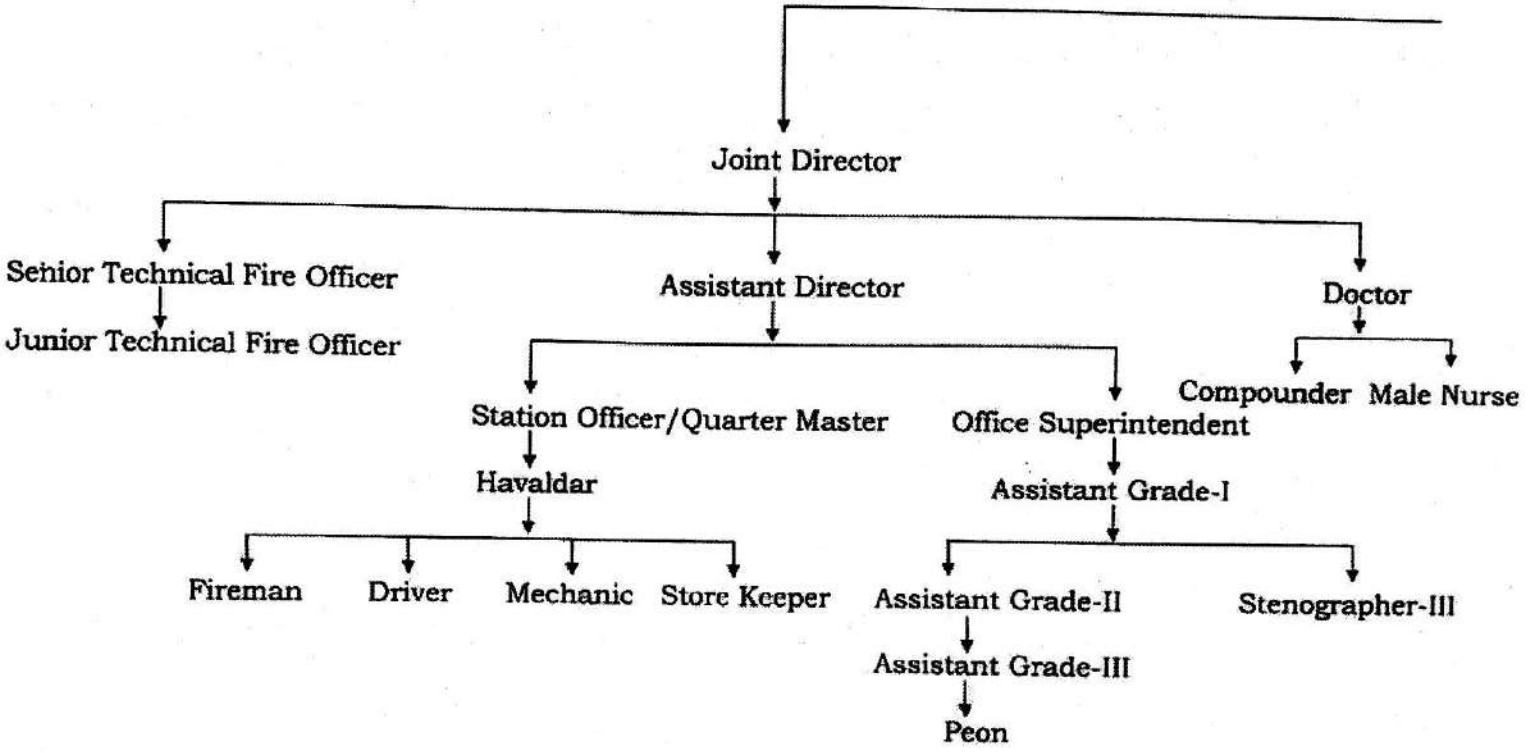
Joint Director
Senior Technical Fire Officer
Junior Technical Fire Officer
Assistant Director
Doctor
Compounder
Male Nurse
Station Officer/Quarter Master
Office Superintendent
Havaldar
Assistant Grade-I
Fireman
Driver
Mechanic
Store Keeper
Assistant Grade-II
Stenographer-III
Assistant Grade-III
Peon

SCHEDULE –III
Badges of Ranks in Fire and Emergency Service
[See rule 21]

Badges of Ranks, Peak Cap, Collar Patches and Helmet Markings- The Badges of Ranks, Peak Cap, Collar Patches and Helmet Markings for various posts in Fire and Emergency Service shall be as per the table below :-

Badges of Ranks, Peak Cap Collar Patches and Helmet Markings :-

S. No.	Name of the Post	Badges of rank	Collar Patches	Peak Cap	Helmet
1.	Dy. Inspector General Fire Service	Ashoka emblem with Three small impellers ¾" diameter	One Silver line 7 cm long line on blue blazer cloth	One row of silver oak leaves on peak cap, embroidered badge and black band placed around the head level.	White with two 19mm black bands with 12.5mm separation.
2.	Director (SSP Rank) Fire Service	Ashoka emblem with Two small impellers ¾" diameter	One Silver line 7 cm long line on blue blazer cloth	One row of silver oak leaves on peak cap embroidered badge and black band placed around the head level	White with two 19 mm black bands with 12.5mm separation.
3.	Director (SP Rank) Fire Service	Ashoka emblem with One small impellers ¾" diameter	-	Plain peak cap with embroidered badge	White with three 12.5mm black band with 12.5mm separation
4.	Assistant Director (Director Fire Service) Fire Service	Three small impellers ¾" diameter + Shoulder titles "CFES"	-	Plain peak cap with metal badge.	White with one 12.5mm black band

5.	Station Officer (Inspector Rank)	Three small impellers ¾" diameter with blue strip+ Shoulder titles "CFES"	-	Plain peak cap with metal badge	Yellow with one 12.5mm black
6.	Station Officer (Sub- Inspector Rank)	Two small impellers ¾" diameter with blue strip+ Shoulder titles "CFES"	-	Plain peak cap with metal badge	Yellow
7.	Leading Fireman	One bar ½" wind and 1½" long with semicircular cross section flat with bottom surface and round surface on top mad out of white metal + Shoulder titles "CFES"	-	Navy blue Beret cap with metal badge.	Black
8.	Driver cum operator	2" dia 3 spoke steering wheels embroidered in white on blue back ground worn on the right sleeve halfway between the shoulder and the elbow + shoulder titles "CFES".	-	Navy blue Beret cap with metal badge.	Black
9.	Fireman	Shoulder titles "CFES"	-	Navy blue Beret cap with metal badge.	Black

SCHEDULE IV
(See rule 18)

S. No.	Authority competent to sanction	Type of commendation	Cash Rewards
1.	Director General	Commendation Roll	Full Power in budget limit.
2.	Inspector General	Commendation Certificate Class I	Up to Rs 5000/- in each case for actions of special merit as to deserve a higher form of recognition than a Director is empowered to give.
3.	Director Training Center/Director Training/ Operation	Commendation Certificate Class II	Up to Rs. 3000/- in each case in recognition of specific instances of exemplary performance or assistance to Fire Service on the occasion of fire and or rescue.
4.	District Fire Officer	Commendation Certificate Class II	Up to Rs. 500/- in each case in recognition of specific instances of exemplary performance or assistance to Fire Service on the occasion of fire and or rescue.

SCHEDULE – V

FEE ON DEPLOYMENT OF FIRE SERVICE
[See rule 30]

1. **Deployment of Fire and Emergency Service on Stand-by duty.-** The Director General, or any other officer authorized by him in this behalf, may, on receipt of a request from the District Authority or any other authority and subject to availability, permit, in public interest, deployment of fire fighting appliances along with crew beyond the limits of State of Chhattisgarh on payment of charges as mentioned in the table below:-

S. No.	Type of Fire Fighting Appliance along with crew	Deployment Charges per call [Rupees]	Mileage Charges [Rupees per Km]	Pumping /Operation per clock hour	Other Charges [Rupees]
1.	Water Tender/Water Bowser/ Foam Tender Dry Chemical Powder Tender	10000.00	25.00	1000.00	I. @150.00 per liter foam concentrate consumed. II. @ 110.00 per kg of DCP (MAP) consumed subject to minimum of Rs 25000.0 III. @ 200.0 per BA set used

2.	Aerial Ladder/ Platform/Hazmat Van/Rescue Tender/Rescue Responder	15000.00	150.00	.....	---
3.	Motor Pump	2000.00	25.00	500.00	
4.	Breathing Apparatus Van	5000.00	25.00	----	@ 500.00 per BA set used

2. Enhancement of Deployment Fee.- The deployment fee shall be enhanced at the rate of 10% of the fee under sub-clause (1) every year with effect from first April.

3. Bill to be raised on the authority requesting for assistance.-

After the arrival, back from the place of deployment, to the Fire Station the Officer-in-charge, who accompanied the crew, shall submit the details of the operation and mileage to the officer concerned, for raising the bill on the District Authority, or any other authority, who requested for assistance.

4. Extra Territorial deployment to be under the charge of a Station Officer.- The extra territorial deployment under sub-clause (1) shall be under the charge of an officer not below the rank of a Station Officer.

SCHEDULE - VI

[See Rules 57 (4)]

S. No.	Name of Equipment	Life Spans
1.	Delivery Hose Pipe With Male & Female Coupling And Washer	02 Yrs.
2.	Suction Rubber Hose Pipe	02 Yrs.
3.	Adjustable Hand Branch Pipe	10 Yrs.
4.	Emergency Branch Pipe	10 Yrs.
5.	30 meters manila rope for rescue purpose	02 Yrs.
6.	Hydrant key	10 Yrs.
7.	Male to male adopter	10 Yrs.
8.	Female to female adopter	10 Yrs.
9.	Large axe	10 Yrs.
10.	Pick axe	10 Yrs.
11.	Spade	10 Yrs.
12.	Shovels	10 Yrs.
13.	Ceiling hook with spur	10 Yrs.
14.	Hose ramps	05 Yrs.
15.	Basket strainer	02 Yrs.
16.	Emergency Dragon light VD1010	05 Yrs.
17.	Torch	05 Yrs.
18.	First aid box 2500 Searis	02 Yrs.
19.	Portable pump	10 Yrs.
20.	Breathing Air apparatus Back Plate set	10 Yrs.
21.	Mobilize Pole Stretcher	10 Yrs.
22.	Spreader and cutter	15 Yrs.
23.	Hand Tool kit Metric & A/F 132	10 Yrs.
24.	Power Code hand gloves	03 Yrs.
25.	Camatex Canvas hand gloves	03 Yrs.
26.	Suction spanner	10 Yrs.
27.	Suction wrench	10 Yrs.
28.	suction washers	02 Yrs.
29.	Wheel spanner	10 Yrs.
30.	Insulated fire man axe	10 Yrs.
31.	Foam Branch short FB 2	10 Yrs.
32.	Foam Branch short FB 10	15 Yrs.

33.	Spare oxygen cylinder	15 Yrs.
34.	Search Light High power LED	05 Yrs.
35.	Safety Long Boots for Fire fighter	02 Yrs.
36.	Fire fighter Fire Helmet	05 Yrs.
37.	Search Light High power LED	05 Yrs.
38.	Safety ES016 Clear Goggles	05 Yrs.
39.	Portable Fire Pump floating	05 Yrs.
40.	Fire Extinguisher Aerosol/chemical	10 Yrs.
41.	Hose Reel Type A	05 Yrs.
42.	Fire entry Suits	05 Yrs.
43.	Fire Jacket or aluminized fire proximity suits.	05 Yrs.
44.	Fire hook	10 Yrs.
45.	Bolt cutter	10 Yrs.
46.	Full Body Harness PN 56	05 Yrs.
47.	PRT (Percussive Response Tool)	10 Yrs.
48.	B.A.MSA Air Express Set	10 Yrs.
49.	Gas Masks for Various types of Gases	05 Yrs.
50.	Distress signal unit	05 Yrs.
51.	Evac PN 407 multiple Evacuation that enables rapid escape & rescue and descent	10 Yrs.
52.	Heads up light	05 Yrs.
53.	Evacuation Triangle	02 Yrs.
54.	Non sparking non magnetic kit	10 Yrs.
55.	Fall Fire	10 Yrs.
56.	Hand held gas detector	10 Yrs.
57.	Para aramid ceramic PU coating Needle stick & puncture resistant hand Glove	05 Yrs.
58.	Fire Pro. Equipment Kit	10 Yrs.
59.	Kernmantle Rope PN 950K	05 Yrs.
60.	Pilot Chair IMP 005 EN1498	05 Yrs.
61.	Protective Gloves for hot & cold protection	02 Yrs.

62.	High Quality Water Gel Fire Burn Blanket	05 Yrs.
63.	Live working tool kit with bi-color	05 Yrs.
64.	Mobilize spine board stretcher	10 Yrs.
65.	Non Contact type Go or no go device 230 KV	05 Yrs.
66.	Safety cushions 25sq meter with blue circle all accessories	05 Yrs.
67.	Self Powered Saw for Wood	05 Yrs.
68.	Electric Chain Saw	10 Yrs.
69.	Aluminium Extension ladder	10 Yrs.
70.	Electric Winch	10 Yrs.
71.	Hammer Drill Concrete	10 Yrs.
72.	Chipping Hammer bit flat	10 Yrs.
73.	Chipping Hammer bit pointed	10 Yrs.
74.	Rotary Hammer drill	10 Yrs.
75.	Rotary Hammer drill bit	10 Yrs.
76.	Keyhole saw complete with set of four saws	10 Yrs.
77.	Reciprocating saw	10 Yrs.
78.	Reciprocating saw blade Wood	10 Yrs.
79.	Reciprocating saw blade Metal	10 Yrs.
80.	Cordless Hammer drill	10 Yrs.
81.	Portable Oxygen Breathing Unit	10 Yrs.
82.	Helmet	05 Yrs.
83.	Eye protection	02 Yrs.
84.	Ear protection	02 Yrs.
85.	Safety steel-toe boots	02 Yrs.
86.	Work gloves	02 Yrs.
87.	Gum boot/safety boot/fire fighting boot	02 Yrs.
88.	Portable Water Mist Technology Pack	05 Yrs.
89.	Hydraulic Cutters with complete power unit	10 Yrs.
90.	Power Cutter (HD)	10 Yrs.
91.	Victim Locating Camera	10 Yrs.

92.	Light Weight Stretcher	10 Yrs.
93.	Rescue Rams (HD)	05 Yrs.
94.	Eye protection equipments	02 Yrs.
95.	Safety Torches (Intrinsically safe)	05 Yrs.
96.	Safety Life line for Fire Fighter	02 Yrs.
97.	Double Vision Power	05 Yrs.
98.	Safety Boots (with steel toe & chemical resistance)	02 Yrs.
99.	Protective clothing	05 Yrs.
100.	Fire bell	10 Yrs.
101.	Fire hooter/siren	10 Yrs.
102.	Circular Saw (electric)(complete accessories)	10 Yrs.
103.	Portable Generator 10 KVA with Trolley (complete accessories)	10 Yrs.
104.	Arc Flash Protection kit with 20KV embossed dielectric Shoes and Composite Glove ATPV 21.6 kac	05 Yrs.
105.	Rescue Life Line	02 Yrs.
106.	back pack mist fire fighting unit (Only Kit)	05 Yrs.
107.	Hose	02 Yrs.
108.	Guy-line	02 Yrs.
109.	Air Blower	10 Yrs.
110.	Search Light	10 Yrs.
111.	Brush	02 Yrs.
112.	First aid Box	02 Yrs.
113.	Fire Japanese Pump	05 Yrs.
114.	Section Metal Strainer	10 Yrs.
115.	Dividing Breeching	10 Yrs.
116.	Two way collecting head	10 Yrs.
117.	Three way collecting head	10 Yrs.
118.	Nozzle pana	10 Yrs.
119.	Suction coupling	05 Yrs.
120.	Short branch	10 Yrs.

121.	Pump Foot valve	10 Yrs.
122.	Suction rench pana	10 Yrs.
123.	ABC extinguisher	10 Yrs.
124.	Co2 extinguisher	10 Yrs.
125.	X-regular branch	10 Yrs.
126.	Fb 10 X branch	10 Yrs.
127.	Fb 5 X branch	10 Yrs.
128.	Fire Hose Box	10 Yrs.
129.	Iron bucket	10 Yrs.
130.	Crow bar	10 Yrs.
131.	Low pressure applicator	10 Yrs.
132.	Revolving Branch	10 Yrs.
133.	Fog nozzle	10 Yrs.
134.	Hand control branch	10 Yrs.
135.	Triple purpose branch	10 Yrs.
136.	Long ropes	02 Yrs.
137.	Fire Safety goggles	02 Yrs.
138.	Hammer	10 Yrs.
139.	Short branch	10 Yrs.
140.	Short nozzle	10 Yrs.
141.	T.P. Branch	10 Yrs.
142.	London Pattern Branch	10 Yrs.
143.	Hose winder machine	05 Yrs.
144.	Foam branch 10X	10 Yrs.
145.	Hose Canvas	02 Yrs.
146.	Hose rubber	02 Yrs.
147.	Oxygen kit	05 Yrs.
148.	Hand Gloves	02 Yrs.
149.	Portable Generator	10 Yrs.
150.	Suction Male (adapter)	10 Yrs.
151.	Monitor	10 Yrs.

152.	Hose reel	05 Yrs.
153.	Rubber line hose	02 Yrs.
154.	Branch Steam Foam	10 Yrs.
155.	DP Powder cylinder	10 Yrs.
156.	Foam Concentrate	05 Yrs.
157.	10X Monitor	10 Yrs.
158.	High extension foam monitor	10 Yrs.
159.	Pickup Tube (Small)	05 Yrs.
160.	Aluminum solid branch	10 Yrs.
161.	Connecting divider branch	10 Yrs.
162.	Stretcher	05 Yrs.
163.	Foam Pipe	02 Yrs.
164.	Strainer (Jali)	05 Yrs.
165.	Solid branch	10 Yrs.
166.	Foam branch	10 Yrs.
167.	Mechanical Foam	05 Yrs.
168.	AFT	10 Yrs.
169.	Life jacket	05 Yrs.
170.	Water mist air cylinder	10 Yrs.
171.	Water mist fire Extinguisher	10 Yrs.
172.	2 way fire inlet	10 Yrs.
173.	Steel branch	10 Yrs.
174.	Brass branch	10 Yrs.
175.	Branch Nipple	10 Yrs.
176.	Fire proof suit	10 Yrs.
177.	Chain saw	10 Yrs.
178.	Folding Stretcher	10 Yrs.

179	Eye Goggle	02 Yrs.
180	Portable fire pump	10 Yrs.
181	Ordinary branch	10 Yrs.
182	Diffuser branch	10 Yrs.
183	Metal Strainer	10 Yrs.
184	DCP extinguisher	10 Yrs.
185	Bucket	10 Yrs.
186	Fire hook	10 Yrs.
187	Air lifting bag	10 Yrs.
188	Air Cylinder	10 Yrs.
189	Long branch	10 Yrs.
190	Delivery hose pipe	05 Yrs.
191	CO_2 cartridge pack	10 Yrs.
192	Stored pressure cylinder	10 Yrs.
193	Fire beater	10 Yrs.
194	DCP Extinguisher	10 Yrs.
195	Ceiling hook (big)	10 Yrs.
196	Ceiling hook (small)	10 Yrs.
197	Rubber gloves	02 Yrs.
198	Electric gloves	02 Yrs.
199	Canvas fire suit	10 Yrs.
200	Life detector MK- I , II	10 Yrs.
201	Victim location equipment & breathing system	10 Yrs.
202	Multi gas detector	05Yrs.
203	Rotary (Circular) Rescue saw 14" with diamond upped blade	10 Yrs.
204	Bullet chain saw 16"	10 Yrs.
205	Diamond chain saw	10 Yrs.
206	Combination cutter and Spreader	10 Yrs.
207	Circular saw (Electrical) 16" dia	10 Yrs.
208	Ramset with matching boot pump	10 Yrs.
209	Hydraulic Jack 20 tons	10 Yrs.
210	Come along 1.5 tons	12 Yrs.
211	Hammer drill concrete	10 Yrs.
212	Regulator for gas cutter	10 Yrs.
213	Oxygen cylinder	10 Yrs.
214	Air lifting bag set with air cylinder	10 Yrs.
215	Multi cable winch	10 Yrs.
216	Reciprocating saw	Expendable

217	Reciprocating saw blade wood	Expendable
218	Reciprocating saw blade metal	10 Yrs.
219	Chipping Hammer	Expendable
220	Chipping Hammer bits Flat	Expendable
221	Chipping Hammer bits pointed	Expendable
222	Electric drill	10 Yrs.
223	Electric drill bit set	Expendable
224	Rotary hammer drill	10 Yrs.
225	Rotary hammer drill bit	Expendable
226	Keyhole saw complete with set four saws	Expendable
227	Cordless Hammer drill	05 Yrs.
228	Cordless Hammer drill bit sets	Expendable
229	Spare Battery for Cordless hammer drill	02 Yrs.
230	Portable Generator 2.5 KVA	10 Yrs. (Bty-02 Yrs.)
231	Portable Generator set 10.5 KVA	10 Yrs. (Bty-02 Yrs.)
232	Inflatable lighting Tower	05 Yrs.
233	Bolt cutter 14 inches	5 Yrs.
234	Bolt cutter 30 inches	5 Yrs.
235	Reflective jackets waterproof	5 Yrs.
236	Safety Helmets	5 Yrs.
237	Boots Hard Toe Steel	5 Yrs.
238	Safety Torches	5 Yrs.
239	Water bottle (light weight with protective carrier)	5 Yrs.
240	Mega Phone	7 Yrs.
241	Rope Nylon 100m rolls	Expendable
242	Full body harness	3 Yrs.
243	Heavy duty works gloves	Expendable
244	Safety Goggles	Expendable
245	Head light	Expendable
246	Nose mask	Expendable
247	Dust mask	Expendable
248	Knee pad cushion 1 inch	Expendable
249	High pressure breathing air compressor/ Diesel Driven (8.5 to 9)	15 Yrs.

FORM-A

CERTIFICATE OF APPOINTMENT
[See rule 17]
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
FIRE AND EMERGENCY SERVICES HEADQUARTERS
NAVA RAIPUR, CHHATTISGARH

No. Dated:

CERTIFICATE OF APPOINTMENT

Certified that Shri .....

Son of Shri .....

Resident of .....

whose photograph appear on the right corner of the certificate, has been appointed under sub-section (1) of Section 10 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act , 2018 (Act 19 of 2018) and vested with the powers, privileges and immunities of a member of Fire Service with effect from ..... .

The date of superannuation of Shri ..... is ..... under normal circumstances.

Name and Signature of the member

Attestation by.....

Place:

Director General
Fire & Emergency Service and SDRF,
Chhattisgarh

FORM - B

FORM OF DECLARATION BY ERECTOR OF A PANDAL

[See rule 34]

DECLARATION BY ERECTOR OF PANDAL UNDER SECTION 15 OF THE ACT

I .....(Name of the erector of pandal) having registered office at .....

do hereby declare that the pandal erected at .....measuring..... .....meters by ..... meters shall remain in place with effect from ..... to ..... and that fire prevention and fire safety measures as required under rule 33 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Rules, 2021 have been provided therein and further that the complete erection of pandal and electrical services are in conformity with the standards.

Also, it is declared that no storage/use of the flammable liquid or gases is done in the pandal and that electrical wiring has been done in conformity with Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and electricity Supply) Regulation, 2010 by authorized persons.

I, also, declare that following trained fire fighting staff shall remain on duty during the occupancy of the pandal:-

1. .....

2. . . . .

3. . .....

(Signature of erector of pandal)

Dated: .....

Place: .....

FORM – C
FORM FOR APPEAL
[See rule 50]

FORM OF APPEAL TO THE APPELLATE AUTHORITY

Appeal No..... of ..... 20.....

Shri..... Son of Shri.....
resident of .....Appellant Versus

Nominated Authority/Director General/Sub Divisional Magistrate-Respondent

Appeal under section..... against the notice /order of Shri ..... Nominated Authority/ authorized member of Fire and Emergency Services/Director General dated: .....

Sir,

The Appellant respectfully showeth as under:-

1. Statement of facts
2. Ground of Appeal
3. Fee of (as prescribed by the State Government) has been paid vide receipt No.....dated .....
4. Appeal is within time
5. No other Appeal or any matter relating to the subject matter of this appeal is pending in any court of law
6. Relief claimed

Signature of Authorized representative, if any.

Name and Signature of Appellant

VERIFICATION

I..... the appellant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material facts.

Verified today, the ..... day of .....20.....

Place: .....

Dated: .....

Signature of Authorized representative, if any.

Name and Signature of Appellant

FORM-D

[See rule-44 (1) for regulation of Chhattisgarh Fire and emergency Services Act, 2018]

NOTICE TO ENTER AND INSPECT THE PREMISES

I ..... empowered by rule 44 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Rules 2021, do hereby give you notice that on .....at ..... I shall enter and Inspect your premises located at ..... for the purpose of ascertaining the adequacy or contravention of Fire Prevention and Fire Safety Measures as required under the Act and the rules framed thereunder.

Inspecting Officer

To,

..... Owner/Occupier

.....

.....

.....

Note:- Separate sheet may be appended for reports/observations.

Form- E

Notice for violation of Fire prevention/Safety measures [See rule 47 (7) for regulation of Chhattisgarh Fire and emergency Services Act, 2018]

I ..... empowered by rule 44 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Rules 2021, and Section 33 of the Chhattisgarh fire and emergency Service Act, 2018 hereby bring to your notice that you have not adopted the required fire prevention and safety measures in your Premises and violated the conditions of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service rule, 2021, endangering the lives and properties of the inmates in and around your premises. It is hereby noticed that you are directed to obtain Fire Safety certificate immediately, failing which, actions will be taken against you as per provisions of law. You are also hereby informed to undertake the Fire Prevention and fire safety measures in your premises within ..... days from the date of receipt of this notice, failing which your safety certificate shall be cancelled and actions will be taken against you as per rules.

Place:
Dated:

Director General/Authorized Member

FORM-F

[See rule 46(7) for regulation of Chhattisgarh Fire and emergency Services Act, 2018]

Show Cause notice against sealing

Whereas, it is necessary in public interest and safety, I hereby direct you, Sri/Smt..... M/s..... (Firm/Company /Business / Owner / Occupier) does not possess/possesses (strike out which is not applicable) Fire Safety Certificate No ..... Dated ..... that you have violated the following conditions by not maintaining the fire fighting system in satisfactory working condition / defective, having not provided the following, thereby endangering lives and properties of the inmates and public in and around your premises-

1.

2.

3.

4.

5.

Take notice hereby, that you are directed to rectify the above defects and re-set the fire protection system ensuring the safety within 15 days from the date of receipt of this notice lest, Fire Safety Certificate issued to you shall be cancelled / your renewal application shall be refused. Besides, action will be taken to seal the building/premises and initiate prosecution against you in the Court of Law under appropriate sections of Chhattisgarh Fire and Emergency Services Act, 2018.

You are directed to acknowledge receipt of this notice on its duplicate.

Signature of the Fire Officer

Dated:
Place :
Shri .....
.....
.....

FORM-G

[See rule 47 (1)]

Report

(Strike out which is not applicable)

1. District .....

   Fire Station. .....

   Year ..... Report No .....

   Date.....

2. (i) Act ..... Sections

   (ii) Act ..... Sections

   (iii) Act ..... Sections

   (iv) Other Acts and ..... Sections .....

3. (a) Station Diary Reference: Entry No ..... Time .....

   (b) Occurrence of Offence: Day..... Date.....Time .....

   (c) Information Received: Date ..... Time .....

   (d) Date of dispatch from Fire Station .....

4. Type of information : Written/Oral

   Place of Occurrence:

5. (a) Direction and distance from F.S. .....

   (b) Address.....

   .....

   .....

   (c) In case outside limit of these Fie Station, then the name of F.S.....

   District .....

6. Complainant/Informant :

(a) Name .....

(b) Father's/Mother's/Husband's name .....

(c) Date/Year of Birth .....

(d) Nationality .....

(e) Address .....

.....

.....

(f) Passport No./Driving License/Voter I.D. .....

Date of Issue .....

Place of Issue .....

(g) Occupation .....

7. Details of known/suspected/unknown/accused (attach separate sheet, if necessary)

.....

.....

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant

.....

.....

9. Particulars of properties stolen/damaged/Involved (attach separate sheet, if required) .....

.....

10. Approximate value of properties

Stolen/ Involved/damaged .....

11. Report Contents (attach separate sheet, if required) .

12. Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s)

U/s ..... (as mentioned at item No. 2) and directed to register the case/refused investigation/took up the Investigation/directed/has already taken up the investigation/transferred to F.S. ..... on point of Jurisdiction.

Report, read over to the Complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/Informant free of cost.

.....

.....

Signature of the Officer in-charge,

Fire Station with Name .....

Rank .....

Personal Number, if any.....

Dated .....

Signature/Thump impression of the Complainant/Informant

FORM-H

[See rule 47 (2)]

Case Diary

Fire Station ..... District .....

Information Report No. ..... of 20.....Case Diary No. .....

Section/s .....

Date and Place of Occurrence .....

.....

.....

Date (with hour) on which action was taken and place visited	**Record of Investigation**

Signature of Investigating Officer

FORM-I

Final Report/complaint

[See rule 47 (2)]

Report

(Strike out which is not applicable)

In the Court of .....

1. District ..... F.S. .....

   Year ..... Report No. ..... Dated .....

2. Final Report/Charge Sheet No. .....

3. Date .....

4. (i) Act ..... Sections .....

   (ii) Act ..... Sections .....

   (iii) Act ..... Sections .....

   (iv) Other Act and Sections .....

5. Type of Final Form: Charge sheet/No Clue/Unoccurred/Not Charge Sheeted for want of evidence/others .....

6. If Report required False/Mistake of fact/Mistake of Law/Non Cognizable .....

7. Refer Notice :-

   (a) Served / Not Served .....

   (b) Copy enclosed : Yes/No(if No, reasons thereof) .....

8. If Supplementary or Original .....

9. Name, Rank and Number (if any) of the I.O(s) .....

   .....

10. (a) name of the Complainant/Informant .....

    (b) Father's/Mother's/Husband's Name .....

11. Date on which the Complainant/Informant was informed of the result .....

12. Details of properties/Article/Documents recovered/Seized during investigation and replied upon (separate list can be attached, if necessary)

S.L. No.	Property Description	Estimated Value (In Rs)	F.S. property Register No.	From whom/ where recovered or seized	Disposal

13. Particulars of accused persons Charge Sheeted

SL. No. ..... (i) Name.....

Whether Verified ..... Yes/No

(ii) Father's/Mother's/Husband's.....

Name.....

(iii) Date/Year of Birth .....

(iv) Sex .....

(v) Nationality .....

(a) Passport/other ID..... (b) Date of Issue .....

(c) Place of Issue .....

(vi) Religion .....

(vii) Whether S.C/S.T. ..... Caste/Tribe.....

(vi) Occupation .....

(vii) Descriptive Particulars .....

.....

.....

.....

(x) Address .....
.....
..... Whether verified ..... Yes/ No

(xi) Previous convictions case with reference
.....
.....
.....

(xii) Status of the accused :
Forwarded/Bailed by Police/by court /under Police Custody/ under Judicial Custody /Absconding /proclaimed offender / Not arrested (Attach separate sheet, if necessary)

14. Particulars of accused persons not charged sheeted (suspected)
SL. No. (i) Name ..... Whether Verified .....
.....Yes/No.

(ii) Father's/Mother's/Husband's .....
Name .....
(iii) Date/Year of Birth .....
(iv) Sex .....
(v) Nationality .....
(vi) Passport/Other ID .....Date of Issue.....
(vii) Place of Issue .....
.....
(viii) Religion .....
.....
(ix) Whether S.C/S.T. .....
Caste /Tribe.....
(x) Occupation.....
(xi) Address .....
.....
Whether Verified.....Yes/No
(xii) Previous Convictions case with reference .....
.....
.....

(xiii) Status of the accused:
Forwarded/Bailed by Police/Bailed by court /under Police Custody/under Judicial Custody /Absconding /proclaimed offender / Not arrested

.....

.....

.....

(xiv) Under Acts and Sections .....

(xv) Any Special remarks including reasons for not Charge Sheeting

.....

.....

.....

(Attached separate sheet, if necessary)

15. Particulars of witnesses to be examined)

S.L. No.	Name	Father's/Mother's/ Husband's	Date/year of Birth	Occupation	Address	Type of evidence to be tendered
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

16. If Report is false, indicate action taken or proposed to be taken

.....

.....

17. Result of Laboratory Analysis .....

.....

18. Brief Facts of the Case

Dispatched Sheet

Signature of the Investigating Officer
Submitting the final Report/Charge Sheet

Name .....

Signature of the Incharge Officer

Rank ..... Personal No. if any .....

Dated .....

FORM-J

[See rule-47 (3)]

PANCHANAMA

Case No .....

Place .....

Dated .....

Time .....

1. Name and Address of the Firm
2. Name and Address of the Person in charge present
2. Name and Address of the Panchas

1. Sri/Smt .....
S/O, D/O, W/O .....
Resident of .....
Age ..... Years .....
Occupation .....
2. Sri/Smt .....
S/O, D/O, W/O .....
Resident of .....
Age ..... Years .....
Occupation .....

We the above panchas are this day ..... called by Sri .....Designation .....Place ..... to witness the Act of seizing certain property from ..... address of the Firm ..... which were possessed and exposed into premises of the said Firm, in our presence, the said Fire Prevention Officer seized the following mentioned property which we testify to be correct-

SL.NO.	Place from where seized	particulars of seized property	Quantity	Reasons for Seizure and Detention

The Panchanama is read over and explained to us and it is correct, when we saw.

Signature of the Panchas Signature of the Investigating Officer

1.

2.

Received the copy of Panchanama

Signature of the person In-Charge
of the premises

Form- K
See Rule- 47(3)
Property Seizure Memorandum

To,

Name .....Date and Time.....
Address.....Place of Panchnama.....
Case No.....
Name and Address of Panchas
1.
2.

The following property belongs to you has been seized and detained under rule 47(3) of Rules for Regulation of Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act 2018, 2021 for the cases stated below:-

S.No	Place from where seized	Particulars of seized property	Quantity seizure and Detention	Reasons For
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Signature of the person from
Whose property seized

Signature of
Investigating officer

Signature of witness
(1)
(2)

FORM-L

[See rule 47 (8)]

Show Cause notice to be served on the defaulter for prosecution

In the public interest and safety, I hereby direct you, Sri/Smt. .....M/S..... (Firm/Company/Business/Owner /Occupier) Possessor of Fire Safety certificate No. ..... Dated ..... that you have violated the conditions mentioned therein by not maintaining the Fire Fighting system in a satisfactory working condition endangering live and properties of the inmates and public in and around your premises. The following defects have been noticed –

1.

2.

3.

4.

Take notice hereby, that your are directed to rectify the above defects and re-set the Fire Protection ensuring the safety within 15 days from the date of receipt of this notice lest Fire Safety Certificate issued to you shall be cancelled or your renewal application shall be refused. Besides, action will be taken against you to prosecute in the Court of Law under section 35 of the Chhattisgarh fire and Emergency Service Act 2018.

Signature of the Investigating Officer

Dated :
Place :

Shri .....

.....

Form- M

ertificate of appointment for members of auxiliary fire force
(See Section 4 of Chapter II of
Act and rule 16 of rules)

Affix photograph here

This is to certify that Shri ..... S/O ....residing at ..... P.S .....

District ..... has been appointed as a member of Auxiliary Fire Force in the rank of ..... on ..... under Section 4 the Chhattisgarh Fire and Emergency service Act, 2018 and is vested with the powers, functions and privileges of a member of service as given in rule 16 of the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Rules 2021.

N.B:- Mark of identification
1.
2.

Director General
Fire and Emergency Service
Or
Authorized Officer

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.